लोक सभा

मंगलवार,
१४ सितम्बर, १९५४

वाद विवाद

(भाग १—प्रश्नोतर)

खंड ४, १९५४

(२३ अगस्त से २४ सितम्बर, १९५४)

1st Lok Sabha

सप्तम सत्र, १९५४

(खंड ४, में अंक १ से अंक २५ तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय,
नई दिल्ली

• विषय-सूची

(खंड ४—अंक १ से २५—२३ अगस्त से २४ सितम्बर, १९५४)

अंक १—सोमवार, २३ अगस्त, १९५४ ... स्तम्भ

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १ से ५, ७, १०, २४, ३१, ९, १२ से १७, १९, २१ से २३, २५ से २७, २९, ३२, ३३, ३५ . . १—४०

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ६, ८, ११, १८, २०, २८, ३०, ३४ ४०–४५

अतारांकित प्रश्न संख्या १ से ५, ७ से १७ . . . ४५–५६

अंक २—मंगलवार, २४ अगस्त, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३६ से ३९, ४१ से ४३, ४५ से ५४, ५६ से ६०, ६२, ६३, ६५ से ७६, ७८ से ८१ और ८३ . . ५७–१०७

अल्पसूचना प्रश्न संख्या १ से ३ . . . . . १०७–११५

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ४०, ४४, ५५, ६१, ६४, ७७, ८२ और ८४ ११५–११९

अतारांकित प्रश्न संख्या १८ से ३८, ४० से ४३ . . ११९–१३८

अंक ३—बुधवार, २५ अगस्त, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ८५ से ९०, १२७, ९१ से ९३, ९५ से १०३, १०५ से ११२, १२४, ११३ और ११४ १३९–१८२

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ४ १८३–१८५

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १०४, ११५ से १२३, १२५, १२६, १२८ से १४० १८५-१९९

अतारांकित प्रश्न संख्या ४४ से ४८, ५० से ५९, ६१ और ६२ १९९-२१०

अंक ४— बृहस्पतिवार, २६ अगस्त, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १४१ से १४५, १४७ से १६१, १६३, १६५ से १७८ २११-२५६

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ५ २५६-२५९

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १४६, १६२, १६४, १७९ से १८५ २५९-२६६

अतारांकित प्रश्न संख्या ६३ से ७४ २६६-२७४

अंक ५— शुक्रवार, २७ अगस्त, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर —

तारांकित प्रश्न संख्या १८६, २२७, १८७ से २०१, २०३, २०५, २१७, २०६, २०७, २०९ से २१६, २१८, २१९ . . . . २७५–३२०

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २०२, २०४, २२०, २२१ से २२६, २२८ से २३० . . . . . ३२१–३२८

अतारांकित प्रश्न संख्या ७५ से १०५ . . . . . ३२८–३५०

अंक ६— सोमवार, ३० अगस्त, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर —

तारांकित प्रश्न संख्या २३१ से २३४, २३६, २३८ से २४८, २५० से २५२, २५५ से २५७, २५९, २६०, २६२ से २६५ . . ३५१–३९५

	स्तम्भ
प्रश्नों के लिखित उत्तर--	
तारांकित प्रश्न संख्या २३५, २४९, २५४, २५८, २६१, २६६ से २७१, २७३, २७४, २७६, २७७ से २७९ . . .	३९५–४०६
अतारांकित प्रश्न संख्या १०६ से ११७, ११९ से १२८ . . .	४०६–४२४

अंक ७-- मंगलवार, ३१ अगस्त, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--	
तारांकित प्रश्न संख्या २८० से २८७, २८९ से ३०१, ३०५, ३०६, ३०८ से ३११, ३१३, ३१४, ३१६, ३१८ से ३२० . .	४२५–४७२
प्रश्नों के लिखित उत्तर--	
तारांकित प्रश्न संख्या २८८, ३०२, ३०५, ३०७, ३१५, ३१७, ३२१ से ३३२	४७३–४८४
अतारांकित प्रश्न संख्या १२९ से १५१ . .	४८४–४९८

अंक ८-- बुधवार, १ सितम्बर, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ३३३, ३३५, ३३६, ३३८ से ३४३, ३४५, ३४७, ३४८, ३५८, ३४९, ३५०, ३५२, ३५३, ३५५, ३५६, ३५९, ३६०, ३६३ से ३६६, ३६९ से ३७२, ३७४, ३७६ से ३७८ . .	४९९–५४५
अल्प सूचना प्रश्न संख्या ६	५४५–५४८
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ३३४, ३३७, ३४४, ३४६, ३५१, ३५४, ३५७, ३६१, ३६२, ३६७, ३६८, ३७३, ३७५, ३७९ से ३९५ . . .	५४८–५६४
अतारांकित प्रश्न संख्या १५२ से १५६, १५९ से २०० . .	५६५–५९८

अंक ९—बृहस्पतिवार, २ सितम्बर, १९५४ स्तम्भ

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३९६, ३९८ से ४०१, ४०३ से ४०७, ४०९, ४१०, ४१३ से ४१५, ४१८ से ४२०, ४२४, ४३८, ४२५ से ४२७, ४२९ से ४३२, ४३४, ४३५, ४३७, ५९९—६४३

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३९७, ४०३, ४०८, ४११, ४१२, ४१६, ४१७, ४२१, से ४२३, ४२८, ४३३, ४३६, ४३९ से ४४१. . ६४३—६५१

अतारांकित प्रश्न संख्या २०१ से २१९. . . . ६५१—६६२

अंक १०—शुक्रवार, ३ सितम्बर, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ४४२, ४४५ से ४५६, ४५८, ४६० से ४६६, ४६८, ४७०, ४७१, ४७३, ४७५, ४७७ से ४८२ . . ६६३—७०७

अल्प सूचना प्रश्न तथा उत्तर—

अल्पसूचना प्रश्न संख्या ६ . . . . . ७०७—७११

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न–संख्या ४४३, ४४४, ४५७, ४५९, ४६७, ४६९, ४७२, ४७४, ४७६, ४८३ से ५०४ . . . . ७११—७३०

अतारांकित प्रश्न संख्या २२० से २३३, २३४ से २४१ . . ७३०—७४४

अंक ११—सोमवार, ७ सितम्बर, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ५०६, ५०७, ५०९ से ५१६, ५१९, से ५२१, ५२६, ५२८, ५२९, ५३३, ५३५, ५३९, ५४१, ५४७, ५४९, ५५०, ५५२ से ५५५, ५६१, ५६४, ५६५ ७४५-७९०

प्रश्नों के लिखित उत्तर—— स्तम्भ

तारांकित प्रश्न संख्या ५०५, ५०८, ५१७, ५१८, ५२२ से ५२५, ५२७, ५३० से ५३२, ५३४, ५३६ से ५३८, ५४०, ५४२ से ५४६, ५४८, ५५१, ५५६ से ५६०, ५६२, ५६३, ५६६ से ५७५ . . . . ७९०-८१४

अतारांकित प्रश्न संख्या २४२ से २७४ . . . . ८१४-८३२

———

अंक १२—बृहस्पतिवार, ७ सितम्बर, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ५७७, ५७९, ५८१ से ५८४, ५८६, ५८७, ५८९, ५९१ से ५९४, ६०२, ६०८, ६०६, ६०७, ६०९, ६१२, ६३४, ६३५, ६१३ से ६१५, ६२० से ६२६, ६२८, ६२९, ६३३ . . . . ८३३-८७२

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ५७६, ५७८, ५८०, ५८५, ५८८, ५९०, ५९५ से ६०१, ६०३, ६०४, ६१०, ६१६ से ६१९, ६२४, ६२५, ६२७, ६३० से ६३२ . . ८७३-८८७

अतारांकित प्रश्न संख्या २७५ से २८२, २८४ से २९१, २९३ से २९५ . . . . . ८८८-८९८

———

अंक १३— बुधवार ८ सितम्बर, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ६३६, ६३८ से ६४०, ६४२ से ६४७, ६५०, ६५१, ६५५ से ६५७, ६६१ से ६६४, ६६७, ६६८, ६७० से ६७५, ६७७, ६७८, ६८१ से ६८४ . . ८९९—९४३

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ८ . . . . . ९४४—९४६

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ६३७, ६४१, ६४८, ६४९, ६५३, ६५४, ६५८ से ६६०, ६६५, ६६६, ६६९, ६७६, ८७९, ६८०, ६८५ से ६९७ . . . . . ९४६—९६१

अतारांकित प्रश्न संख्या २९६ से ३२६ . . . ९६२—९८४

अंक १४—शुक्रवार १० सितम्बर, १९५४ स्तम्भ

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ६९८, ७०० से ७०३, ७०५ से ७१६, ७२०, ७१७, ७२२, ७२४, ७२५, ७२७, ७३० से ७३३, ७३८, ७४०, ७४१, ७४४, ७६२, ७४५, ७४६ . . . ९८५—१०३२

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ९ . . . . १०३२—१०३५

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ६९९, ७०४, ७१८, ७१९, ७२१, ७२३, ७२६, ७२८, ७२९, ७३४ से ७३७, ७३९, ७४२, ७४३, ७४७, से ७६१, ७६३ से ७७१ . . . . १०३५—१०६२

अतारांकित प्रश्न संख्या ३२७ से ३७९ . . . १०६२—१०९२

अंक १५—शनिवार, ११ सितम्बर, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ७७२ से ७७५, ७७६ से ७८२, ७८५, ८०९, ७८८, ७८९, ७९१, ७९३, ७९५ से ७९७, ७९९ से ८०५, ८०७, ८११ से ८१३, ८१६ से ८१८ . . १०९३—११४०

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १० . . . . ११४०—११४३

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ७७५, ७८४, ७८६, ७८७, ७९२, ७९४ ७९८, ८०६, ८०८, ८१० . . . . . ११४३—११४९

अतारांकित प्रश्न संख्या ३८० से ३९८, ४०१ से ४०३ . ११४९—११६६

अंक १६—सोमवार, १३ सितम्बर, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ८१९, ८२१ से ८३१, ८३३ से ८३५, ८३७, ८३९, ८४२ से ८४४, ८४७ से ८५६, ८५८, ८६० से ८६२ ११६७—१२०९

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ८२०, ८३२, ८३६, ८३८, ८४०, ८४१, ८४५, ८४६, ८५७, ८६३ से ८७५ . . . १२१०—१२२३

अतारांकित प्रश्न संख्या ४०४ से ४२९ . . . . १२२४—१२४२

अंक १७—मंगलवार, १४ सितम्बर, १९५४

	स्तम्भ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ८७८ से ८८०, ८८३ से ८९०, ८९२, ८९३, ८९६, ९०१ से ९०७, ९१०, ९११, ९११क, ९१२ से ९१५, ९१७, ९१९, ९२०, ९२३, ९२४, ९२६, ८७७	१२४३—१२८६
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ८७९, ८८१, ८८२, ८९१, ८९४, ८९५, ८९७ से ९००, ९०८, ९०९, ९१८, ९२१, ९२२, ९२५ .	१२८६—१२९४
अतारांकित प्रश्न संख्या ४३० से ४[illegible]	१२९४—१३१४

अंक १८—बुधवार, १५ सितम्बर, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ९२८, ९३०, ९३२ से ९४०, ९४४, ९४८ से ९५९, ९६१, ९६२, ९६४ और ९६५ . . .	१३१५—१३५९
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ९२७, ९२९, ९३२, ९४१ से ९४३, ९४६, ९४७, ९६३, ९६६ से ९७९, ९८१ से ९८६, ७८३, ७९०, ८१४ और ८१५	१३५९—१३७६
अतारांकित प्रश्न संख्या ४६३ से ४८५, ४८७ और ४८८ .	१३७६—१३९२

अंक १९—बृहस्पतिवार, १६ सितम्बर, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ९८७, ९९० से ९९६, ९९८, ९९९, १००२ से १००४, १०३६, १००५ से १००८, १०१०, १०१३, १०१६ से १०२५, १०२७ से १०२९	१३९३—१४४२
अल्प-सूचना प्रश्न संख्या ११	१४४२—१४४६
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ९८८, ९८९, ९९७, १०००, १००९, १०११, १०१२, १०१४, १०१५, १०२६, १०३० से १०३५, १०३७ से १०४३ . .	१४४६—१४६२
अतारांकित प्रश्न संख्या ४८९ से ५११	१४६२—१४७८

अंक २०—शुक्रवार, १७ सितम्बर, १९५४ स्तम्भ

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १०४८, १०४९ से १०५५, १०५७ से १०६०, १०६२ से १०६४, १०६७, १०६८, १०७२ से १०७८, १०८० से १०८५ . . . . . १५७९—१५२४

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १२ . . . . . १५२४—१५२७

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १०४५, १०५६, १०६३, १०६५, १०६६, १०७०, १०७६, १०८६ से ११०५ . . . . १५२७—१५४२

अतारांकित प्रश्न संख्या ५१२ से ५४६ . . १५४२—१५६६

अंक २१—सोमवार, २० सितम्बर, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ११०६ से १११०, १११२, १११४, ११२२, ११२४ से ११२६, ११२९, ११३१, ११३४, ११३६, ११३९ से ११४३, ११४५ से ११४७, ११४९, ११५०, ११३७, ११२७, ११३५, ११२१, ११२०, ११३८, ११२८ १५६७—१६१४

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १११३, १११५ से १११७, १११९, ११२३, ११३०, ११४४, ११४८ ... ... १६१४—१६१८

अतारांकित प्रश्न संख्या ५४७ से ५६७ ... १६१९—१६३४

अंक २२—मंगलवार, २१ सितम्बर, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ११५१ से ११५३, ११५५, ११५७, ११५८, ११६०, ११६१, ११६३, ११६७ से ११७०, ११७३, ११७४, ११७६, ११७७, ११७९ से ११८७, ११८९ से ११९१, ११९४, ११९५, ११९८, ११९९, १२०१, १२०३ तथा ११५४ . . . १६३५—१६८४

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १३ . . . . १६८४—१६८७

प्रश्नों के लिखित उत्तर-- स्तम्भ

तारांकित प्रश्न संख्या ११५६, ११५९, ११६२, ११६४, ११६५, ११६६, ११७१, ११७२, ११७५, ११७८, ११८८, ११९२, ११९३, ११९६, ११९७, १२००, १२०२ तथा १२०४ . . . १६८७–१६९६

अतारांकित प्रश्न संख्या ५६८ से ५९३ . १६९७–१७१४

अंक २३—बुधवार, २२ सितम्बर, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या १२०६, १२०९, १२१०, १२१५, १२१७, १२१९, १२२०, १२२३ से १२२६, १२२८ से १२३०, १२३१ से १२३९, १२४१ से १२४५, १२४७ से १२४९, १२५१ से १२५३, १२५५ १२५७, १२५९ . . . . . १७१५—१७६१

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १४ . . . १७६१--१७६४

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १२०५, १२०७, १२०८, १२११, १२१३ से १२१४, १२१६, १२१८, १२२१, १२२२, १२२७, १२३१, १२४०, १२४६, १२५०, १२५४, १२५६, १२५८, १२६० . . १७६४—१७७६

अतारांकित प्रश्न संख्या ५९४ से ६४८ . . . . १७७६—१८०८

अंक २४—बृहस्पतिवार, २३ सितम्बर, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या १२६१, १२६३ से १२७०, १२७२, १२७६, १२७७, १२७९, १२८०, १२८४, १२८६, १२८८, १२८९, १२९१ से १३००, १२७५, १२७४ और १११८ . . . . . १८०९—१८५५

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या १२६३, १२७३, १२७८, १२८२ से १२८३, १२९० . . . . . १८५५—१८६१

अतारांकित प्रश्न संख्या ६४९ से ६७९ . . . . १८६१—१८८४

अंक २५—शुक्रवार, २४ सितम्बर, १९५४

	स्तम्भ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या १३०१, १३०३, १३०५ से १३१०, १३१२ से १३१४, १३१६, १३१८, १३२०, १३२१, १३२३, १३२४, १३२६, १३२८, १३३०, १३३१, १३३३ से १३३६, १३३८ से १३४१, १३४३, १३४४	१८८५—१९३३
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या १३०२, १३०४, १३११, १३१५, १३१७, १३१९ १३२२, १३२९, १३३२, १३३७, १३४२	१९३३—१९३९
अतारांकित प्रश्न संख्या ६८० से ७०६ ७०८ से ७१४	१९३९—१९६०

लोक-सभा

मंगलवार, १४ सितम्बर, १९५४

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

भारतीय नौवहन

*८७८. **श्री झूलन सिन्हा** : क्या **परिवहन** मंत्री बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सत्य है कि प्रशिक्षित कर्मचारियों की कमी के कारण भारतीय नौवहन उद्योग के विकास तथा विस्तार में बाधा पड़ी है; और

(ख) यदि हां, तो इस बाधा को दूर करने के लिए क्या पग उठाये गये हैं या उठाये जा रहे हैं ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) जी नहीं।

(ख) उत्पन्न नहीं होता।

श्री झूलन सिन्हा : भारत में नौवहन के विकास के लिए टेक्निकल कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने के लिए क्या सुविधाएं हैं ?

श्री अलगेशन : 'डफ़रिन' पर हम छात्र सैनिकों को नौपरिवहन का प्रशिक्षण दे रहे हैं। मेरीन इंजीनियरिंग कालेज, कलकत्ता में

हम इंजीनियरिंग पदाधिकारियों को प्रशिक्षण दे रहे हैं। बम्बई के नाटिकल एंड इजीनियरिंग कालेज में समुद्र प्रशिक्षणोत्तर प्रशिक्षण भी दिया जाता है।

श्रीमती इला पालचौधरी : हमारा कितना प्रतिशत व्यापार भारतीय जहाज़ों के द्वारा होता है ?

श्री अलगेशन : सारा तटीय व्यापार भारतीय जहाज़ों के द्वारा होता है।

केन्द्रीय ट्रैक्टर संगठन प्रशिक्षण योजना

*८७९. **श्री के० पी० सिन्हा** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करगे :

(क) कि केन्द्रीय ट्रक्टर सगठन में प्रशिक्षण लेने के बाद कितने प्रशिक्षार्थियों को अब तक उक्त संगठन में सेवायुक्त किया जा चुका है;

(ख) जून १९५४ तक कुल कितने व्यक्ति प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं; और

(ग) इस समय दिल्ली और बैरागढ़ में कुल कितने प्रशिक्षार्थी प्रशिक्षण ले रहे हैं ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) (क) ६।

(ख) ७८।

(ग) दिल्ली में २६ और बैरागढ़ में १३।

श्री के० पी० सिन्हा : क्या इंजीनियरिंग स्नातकों और अन्य प्रशिक्षार्थियों के पाठय-क्रमों में कोई अन्तर है ?

श्री किदवई : प्रशिक्षण में अन्तर है । कुछ लोग केवल ट्रैक्टर चलाने और मशीनों के काम का प्रशिक्षण लेने आते हैं । कुछ लोग शिक्षा मंत्रालय द्वारा किसी विशेष प्रशिक्षण के लिए भेजे जाते हैं; कुछ अन्य व्यक्ति राज्यों द्वारा भेजे जाते हैं ।

श्री के० पी० सिन्हा : क्या प्रशिक्षार्थियों को सरकार कोई सहायता देती है; यदि हां, तो क्या सहायता दी जाती है ?

श्री किदवई : जब राज्य सरकारें उन्हें भेजती हैं तो उन्हें कुछ न कुछ देती ही होंगी ।

तांबे की तारों की चोरी

*८८०. **श्री कृष्णाचार्य जोशी** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) कि १९५३ में विभिन्न स्थानों पर तांबे की तारों की चोरी के अपराध के लिए कितने व्यक्तियों पर अभियोग चलाया गया था और कितनों को दंड दिया गया था; और

(ख) ऐसी चोरियों को रोकने के लिए सरकार ने क्या पग उठाये हैं ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जिन पर अभियोग चलाए गए..२५०

सिद्धदोष ..१२३

(ख) अपेक्षित जानकारी सम्बन्धी एक विवरण पटल पर रखा जाता है **[देखिए परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या १]** ।

श्री कृष्णाचार्य जोशी : सिद्ध-दोष व्यक्तियों को किस प्रकार का दंड दिया जाता है ?

श्री राज बहादुर: किस प्रकार का दंड ?

अध्यक्ष महोदय : वह यह जानना चाहते हैं कि जुर्माने का या कैद का दंड दिया जाता है ।

श्री राज बहादुर : कैद । यह चोरी का मामला है ।

श्री कृष्णाचार्य जोशी : इन चोरियों के कारण सरकार को कुल कितनी हानि हुई है ?

श्री राज बहादुर : पुस्त मूल्य के अनुसार १९५१ में यह ३,२१,९८० रुपये थी और १९५२ में २,५२,६५० रुपये । वास्तविक मूल्य जो कि पुस्त मूल्य का लगभग तीन गुना है—१९५३ में ८,४१,२०० रुपये था ।

श्री कृष्णाचार्य जोशी: कितने प्रतिशत व्यक्तियों को बरी किया गया है ?

श्री राज बहादुर : जैसा कि मैंने कहा है, १९५३ में २५० अभियुक्तों में से १२३ को दंड दिया गया है । यह लगभग ५० प्रतिशत होता है ।

श्री तिम्मय्या : क्या इन मामलों में किन्हीं डाक और तार कर्मचारियों का भी हाथ है ?

श्री राज बहादुर: जहां तक मुझे मालूम है, ऐसा नहीं है ।

अंशदायी स्वास्थ्य योजना

*८८३. **श्री कृष्ण चन्द्र** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी :

(क) कि केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए अंशदायी स्वास्थ्य योजना लागू कर दी गई है ;

(ख) क्या इस योजना को अनिवार्य रूप से लागू करने के विरुद्ध कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(ग) इस योजना को क्रियान्वित करने पर अनुमानतया कितना व्यय होगा ?

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृतकौर) : (क) जी हां ।

(ख) जी हां । कुछ अभ्यावेदन इस आधार पर प्राप्त हुए हैं कि इलाज निःशुल्क होना चाहिए ।

(ग) १९५४–५५ के लिए अब तक १४·१५ लाख रुपये के अनुमानित व्यय की मंजूरी दी गई है।

श्री कृष्ण चन्द्र: इस योजना से कितने व्यक्ति लाभ उठा रहे हैं ?

राजकुमारी अमृतकौर : लगभग २ ½ लाख व्यक्ति इस योजना के अधीन आते हैं और दैनिक हाज़री ४००० से ऊपर है।

श्री कृष्ण चन्द्र : क्या इस योजना को क्रियान्वित करने के सम्बन्ध में माननीय मंत्री या सरकार को कोई शिकायत प्राप्त हुई है ?

राजकुमारी अमृतकौर : अब तक जो शिकायत प्राप्त हुई है वह यह है कि डाक्टरी कर्मचारियों की कमी के कारण उन्हें बहुत देर तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है। इस मामले पर विचार किया जा रहा है।

श्री कृष्ण चन्द्र: क्या यह सत्य नहीं है कि अस्पताल में कर्मचारियों को इलाज से पहले कई स्थानों पर क्यू में प्रतीक्षा करनी पड़ती है ?

राजकुमारी अमृतकौर : कई स्थानों पर प्रतीक्षा करने का प्रश्न नहीं है। किन्तु अत्यधिक भीड़ के कारण, जो कि इस मास विशेष रूप से थी, उन्हें बहुत देर तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है। हम नहीं चाहते कि वे इतनी देर प्रतीक्षा करें। इसलिए अतिरिक्त डाक्टरों को नियुक्त करने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : क्या इस अभिप्राय का कोई अभ्यावेदन किया गया है कि चतुर्थ श्रणी के कर्मचारियों को अंशदान के बिना निःशुल्क सुविधाएं दी जायें ?

राजकुमारी अमृतकौर : निःशुल्क इलाज के लिए कुछ अभ्यावेदन दिये गये थे परन्तु ये चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की ओर से नहीं थे। ये उच्च श्रेणी के कर्मचारियों ने दिये थे।

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : पहली श्रेणी के।

रेलगाड़ियों का देरी से चलना

*८८४. **श्री तुषार चटर्जी**: क्या रेलवे मंत्री बताने की कृपा करेंगे :

(क) कि क्या सरकार इससे अवगत है कि पूर्वी रेलवे के स्याल्दाह तथा हावड़ा विभागों पर उपनगरीय रेलगाड़ियां निरन्तर देरी से चलती हैं;

(ख) यदि हां, तो इस समस्या के समाधान के लिये क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) क्या यह सच है कि देरी का एक कारण यह है कि इन रेलगाड़ियों में पुराने इंजनों का प्रयोग किया जाता है; और

(घ) स्याल्दाह और हावड़ा में अब भी कितने पुराने इंजन प्रयोग में आ रहे हैं ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) और (ख)। जी हां, किन्तु इस सम्बन्ध में प्रत्येक सम्भव प्रयत्न किया जा रहा है कि उपनगरीय रेलगाड़ियां ठीक समय पर चलें। इस दिशा में विशेष उपाय यह किये गये हैं कि खतरे की जंजीर का खींचा जाना रोका जाय और जो कर्मचारी इस विलम्ब के उत्तरदायी हों उनके विरुद्ध अनुशासन सम्बन्धी कार्यवाही की जाय।

इस विभाग में इंजनों के काम में आने वाले पानी की ओर विशेष ध्यान दिया जा रहा है और इस सम्बन्ध में महान् सुधार किये गये हैं।

(ग) नहीं श्रीमान्।

(घ) दोनों विभागों की उपनगरीय रेलगाड़ियों में काम में आने वाले कुल १४३

इंजनों में से ४७ अपनी निश्चित आयु भोग चुके हैं।

उत्तर पूर्वी रेलवे में पंखे

*८८५. **पंडित डी० एन० तिवारी :** क्या **रेलवे** मंत्री बताने की कृपा करेंगे :

(क) कि क्या यह सच है कि उत्तर पूर्वी रेलवे के मध्यम तथा तृतीय श्रेणी के डिब्बों में लगाये गये पंखों में से बहुत से चालू नहीं हैं; और

(ख) क्या यह सच है कि बढ़ी हुई संख्या में इन पंखों की मरम्मत के लिये अपेक्षित शिल्पी तथा मिस्त्री उचित मात्रा में नहीं हैं ?

रेलवे तथा परिवहनउ पमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) उत्तर पूर्वी रेलवे की गाड़ियों में पंखों के बन्द होने की घटनाओं का आयात अन्य रेलों की तुलना में अधिक नहीं है।

(ख) नहीं, श्रीमान्।

पंडित डी० एन० तिवारी : इस बात को देखते हुए कि मध्यम और तृतीय श्रेणी में पंखों की संख्या बढ़ गई है, क्या मैं जान सकता हूं कि अनेक स्टेशनों पर उनकी मरम्मत के लिये शिल्पियों की संख्या में कितनी वृद्धि की गई है, अर्थात् पंखों के साथ साथ क्या शिल्पियों की संख्या में भी वृद्धि हुई है ?

श्री अलगेशन : शिल्पियों का कोई अभाव नहीं है। किन्तु उत्तर पूर्वी रेलवे की सब गाड़ियों में बैटरियां अथवा डायनैमो नहीं लगे हैं। यह सब कार्यक्रम के अनुसार किया जा रहा है। इस वर्ष भी, यह विचार है कि २७२ गाड़ियों में यह बैटरियां और लगाई जायेंगी।

पंडित डी० एन० तिवारी : क्या सरकार को मालूम है कि स्टेशनों पर इन पंखों के सम्भालने की शिकायतों की ओर कोई ध्यान नहीं दिया जाता, केवल इतना ही नहीं, अपितु कर्मचारियों के दुर्व्यवहार की भी शंका रहती है जैसा कि मुगलसराय पर इस सभा के एक सदस्य के साथ हुआ ?

अध्यक्ष महोदय : उन्हें यह जानने की इच्छा है कि क्या कुछ व्यक्तियों, जिनमें एक संसद् सदस्य भी सम्मिलित हैं के साथ होने वाले दुर्व्यवहार के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई हैं ?

श्री अलगेशन : मुझे खेद है कि मैं इस प्रकार की किसी घटना से अवगत नहीं। हमें इसकी जानकारी नहीं हुई है।

श्री भागवत झा आजाद. : क्या किसी विशिष्ट पदाधिकारी को यह उत्तरदायित्व सौंप दिया गया है कि इन बातों के बारे में उससे मिला जा सकता है। होता यह है कि जब गार्ड से मिला जाता है तब वह टिकिट कलक्टर के पास भेज देता है, वहां से फिर स्टेशन मास्टर के पास जाना पड़ता है और इसी बीच में गाड़ी छूट जाती है।

रेलवे तथा परिवहन मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री) : संसद् सदस्य द्वारा एक प्रकरण हमारी सूचना में लाया गया। उन्होंने मेरे पास एक शिकायत भी भेजी। मैंने तुरन्त जांच करने के लिये आदेश दे दिया और वह जांच अब भी हो रही है। जहां तक स्टेशनों पर कर्मचारियों को किसी मामले की सूचना देने का प्रश्न है, माननीय सदस्य तथा जनता के व्यक्ति गार्ड और स्टेशन मास्टर दोनों को उस सम्बन्ध में सूचित कर सकते हैं।

समाहृत तथा आयातित अन्न के सम्बन्ध में हानि

*८८६. **श्री एस० सी० सिंघल** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री बताने की कृपा करेंगे :

(क) कि १९५१ से १९५३ तक समाहृत तथा आयातित अन्न के मूल्यों के सम्बन्ध में सरकार को कितनी हानि हुई है; और

(ख) स्कन्धों में मात्रिक हानि का क्या प्रतिशत था ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : (क) १९५१ से १९५३ तक भारत सरकार ने अन्न का समाहार स्थानीय रूप से नहीं किया। आयातित अन्न के सम्बन्ध में राज्य व्यापार योजना 'न लाभ न हानि' की नीति के आधार पर चलाई जाती है और मूल्य की हानि का प्रश्न ही नहीं उठता।

(ख) मात्रिक हानि का प्रतिशत निम्नलिखित है :—

वर्ष	समुद्र पार	भारत में पारनयन तथा संग्रह में
१९५१	०·३	०·३०५
१९५२	०·२४	०·७३
१९५३	०·१२	०·७९

(अस्थायी)

श्री एस० सी० सिंघल : एस्टीमेट कमेटी की सन् ५३–५४ की रिपोर्ट में दिया हुआ है कि जो माल सन् ५१, ५२ में जहाज़ों से आया, उसमें सब सवा दो करोड़ रुपये का घाटा हुआ और उस घाटे को राइट आफ कर दिया है, यह कहां तक सही है ?

श्री किदवई : मैंने अर्ज़ किया कि जो माल जहाज़ों से आया उस पर सन् ५२ में— ०·२४ परसेंट लौस हुआ और यहां रखने से ०·७३ परसेंट लौस हुआ और एक कमेटी कई वर्ष हुए श्री वी० टी० कृष्णमाचारी की सदारत में बनायी गयी थी, उसने कहा कि दो से तीन परसेंट तक लौस तो होता ही है, उसको देखते हुए हमारा लौस बहुत कम है।

श्री एस० सी० सघल : जो जहाज़ों में माल आया और जिसको जहाज़ों में से नहीं उतारा गया, उसमें सवा दो करोड़ रुपये का लौस हुआ ?

श्री किदवई : मैंने कहा उसमें ०·२४ परसेंट लौस हुआ जो उस लौस से बहुत कम है जितना लोग कहते हैं कि होना चाहिये था।

श्री एस० सी० सिंघल : क्या सरकार ने इस बात का भी पता लगाया कि जहाज़ वालों ने इस माल को बेच तो नहीं खाया .....

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति, यह तर्क की बात है।

श्री तिम्मय्या : जो चावल बर्मा से मंगाया जा रहा है उस पर अनुमानतः कितनी हानि हो रही है ?

श्री किदवई : माननीय सदस्य ने यह पूर्व धारणा बना ली है कि उस पर अवश्य हानि होगी। मैं आशा करता हुं कि उस पर कोई हानि नहीं होगी।

मलेरिया निवारक योजनायें

*८८७. **श्री ए० के० गोपालन** : क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगी :

(क) कि मलेरिया के संकट को रोकने के लिये द्वितीय पंचवर्षीय योजना में क्या उपाय सोचे गये हैं;

(ख) क्या सरकार को इससे संतोष है कि पंचवर्षीय योजना की मलेरिया विरोधी योजनाओं पर वित्तीय कठिनाई का प्रभाव नहीं पड़ेगा; और

(ग) यदि हां, तो मलेरिया के उन्मूलन अथवा कम से कम इसकी प्रचन्डता को कम करने में वास्तविक कठिनाई क्या है ?

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृतकौर) : (क) द्वितीय पंचवर्षीय योजना के लिये प्रस्थापनाओं का अभी अन्तिम निर्णय नहीं हुआ है।

(ख) जी हां।

(ग) मलेरिया की प्रचण्डता के कम करने में कोई कठिनाई नहीं प्रतीत होती। वर्तमान अवस्थाओं में सम्पूर्ण उन्मूलन तो सम्भव नहीं है।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : डी० डी० टी० के छिड़कने के अतिरिक्त क्या सरकार ने देश के मलेरिया ग्रस्त क्षेत्रों के बहुत से भागों में पानी में पैदा होने वाले केवड़े के पौधों को नष्ट करने के लिए कुछ उपाय किये हैं ?

राजकुमारी अमृतकौर : डी० डी० टी० के छिड़कने के अतिरिक्त जनता को शिक्षा दी जाती है और जहां कहीं जल सम्बन्धी योजनायें चालू हो रही हैं, इसका ध्यान रखा जाता है कि नालियों की उचित व्यवस्था हो ताकि मच्छरों के उत्पत्ति-स्थान यथासम्भव कम हो जायें।

श्री बी० पी० नायर : इस तथ्य को दृष्टि में रखते हुए कि मलेरिया के कारण लाखों जन-घंटों का नुकसान होता है, क्या सरकार ने प्रथम पंचवर्षीय योजना में मलेरिया के आपात में कमी करने के लिये कोई अन्तिम लक्ष्य निश्चित किया है ?

राजकुमारी अमृतकौर : प्रथम पंचवर्षीय योजना में इसकी समाप्ति के समय तक १२ करोड़ ५० लाख व्यक्ति मलेरिया के खतरे से मुक्त हो जायेंगे। द्वितीय पंचवर्षीय में मैं आशा करती हूं कि इस संख्या से भी अधिक व्यक्ति इस खतरे से बच जायेंगे।

श्री ए० एम० थामस : क्या वर्तमान समय में सारे ९० एककों में काम हो रहा है और अभी तक कितना खर्चा हो गया है ?

राजकुमारी अमृतकौर : १९५३ से लेकर १९५६ की तीन वर्ष की अवधि तक के लिये १० करोड़ रुपये नियत कर दिये गये हैं। राज्यों में एककों की संख्या इस प्रकार है ? आंध्र २, आसाम ५, बिहार ७ और वस्तुतः पंचवर्षीय योजना की समाप्ति पर बिहार को १४ एकक मिलेंगे तथा बिहार में बाढ़ के कारण ४ अतिरिक्त एककों के लिये दान रूप भुगतान भी किया गया है, बम्बई १९, मध्यप्रदेश १२, पंजाब ७, उत्तरप्रदेश ५, पश्चिमी बंगाल ८, उड़ीसा ५, मद्रास ३, हैदराबाद ६, पेप्सू २, जम्मू तथा काश्मीर १, मैसूर ५, सौराष्ट्र ३, त्रावनकोर-कोचीन ३, मध्यभारत ४, राजस्थान २, अजमेर $^{3}/_{4}$, भोपाल १, बिलासपुर $^{1}/_{4}$, दिल्ली २, हिमाचल प्रदेश $^{1}/_{2}$ कच्छ $^{1}/_{2}$, मनीपुर १, त्रिपुरा $^{1}/_{4}$, और विन्ध्य प्रदेश ३।

हुगली में पोत-पथ-प्रदर्शन

*८८८. **चौ० रघुवीर सिंह** : क्या **परिवहन** मंत्री बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सत्य है कि १९५२–५३ और १९५३–५४ में हुगली में पोत-पथ दर्शन कार्य में घाटा रहा है ;

(ख) यदि यह सत्य है तो इस घाटे के कारण क्या थे; और

(ग) सरकार का इस घाटे की पूर्ति के लिये क्या उपाय करने का विचार है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) जी हां।

(ख) घाटे का कारण है भारी संचालन व्यय और निक्षेप निधि का भार।

(ग) प्रथम नवम्बर, १९५३ से पोत-पथ-प्रदर्शन की फीस और उस पर लगने वाले अधिभार की दरें घटा दी गई हैं।

चौ० रघुवीर सिंह : इन वर्षों में सरकार को कुल कितनी हानि हुई है ?

श्री अलगेशन : हम इस शीर्षक के अन्तर्गत १९५०–५१ से घाटा उठा रहे हैं। घाटे की राशि उस वर्ष लगभग १० लाख रुपया थी, उससे अगले वर्ष, अर्थात् १९५१–५२, में ६·८५ लाख रुपया थी; १९५२–

५३ में ८·५४ लाख थी और १९५३–५४ में ९·१६ लाख रुपया थी।

चौ० रघुवीर सिंह : क्या यह सत्य है कि सरकार ने इस विषय पर विचार करने के लिए एक समिति बिठाई थी ?

श्री अलगेशन : जैसा कि मैं बता चुका हूं अधिभार को २५ प्रतिशत से बढ़ा कर ३३$^{1}/_{3}$ प्रतिशत कर दिया गया है। अतः इस वृद्धि के फलस्वरूप हमें लगभग १०·५१ लाख रुपया प्राप्त होने की आशा है।

अध्यक्ष महोदय : वे जानना चाहते हैं कि क्या सरकार ने किसी समिति की नियुक्ति की है ?

श्री अलगेशन : नहीं, श्रीमान्।

श्री भागवत झा आजाद : इस घाटे के कारण क्या हैं और इसे प्रभावी रूप से कम करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं ?

श्री अलगेशन : इसका एक कारण तो पोत-पथ प्रदर्शक नौकाओं का संधारण परिव्यय है और दूसरा यह कि निक्षेप निधि भार के लिए अंशदान देना पड़ता है। इसका उल्लेख उत्तर में किया जा चुका है।

चीनी मिलों का स्थानान्तरण

*८८९. **श्री एन० राचय्या** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री बताने की कृपा करेंगे :

(क) कितनी चीनी मिलें उत्तर भारत से उठ कर दक्षिण भारत में जा रही हैं;

(ख) दक्षिण भारत में कितनी नई चीनी मिलें लगाई जा रही हैं;

(ग) मिलों के उत्तर से दक्षिण में ले जाए जाने पर क्या खर्च आएगा;

(घ) इन मिलों के लिए कितने गन्ने की आवश्यकता होती है; और

(ङ) इस प्रयोजन के लिए कितने एकड़ भूमि की आवश्यकता होगी ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) (क) एक।

(ख) दक्षिण भारत में सात नई चीनी मिलों की स्थापना के लिए अनुज्ञप्तियां प्रदान की गई हैं और २५ अन्य अभ्यावेदन विचाराधीन हैं।

(ग) लगभग १० से १५ लाख, जो सन्यन्त्र के छोटे बड़े होने पर और पुराने और नए स्थान के बीच की दूरी पर निर्भर है।

(घ) तथा (ङ) उन सात फैक्टरियों के लिए जिन्हें अनुज्ञप्तियां प्रदान की जा चुकी हैं लगभग ७·५ लाख टन गन्ने की आवश्यकता होगी। इसके लिए लगभग ३०,००० एकड़ भूमि चाहिए।

श्री एन० राचय्या : मैसूर से नई चीनी मिलें खोलने के बारे में कितने अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं ?

श्री किदवई : एक अनुज्ञप्ति तो दी जा चुकी है और अन्य अभ्यावेदन अभी विचाराधीन हैं।

श्री वेलायुधन : क्या त्रावणकोर-कोचीन की एकमात्र चीनी मिल को मद्रास राज्य में ले जाने की कोई प्रस्थापना थी ?

श्री किदवई : मुझे किसी ऐसी प्रार्थना के बारे में कुछ याद नहीं है।

श्री वी० पी० नायर : क्या यह सत्य है कि त्रावणकोर-कोचीन का एकमात्र चीनी का कारखाना जिसे इस समय त्रावणकोर-कोचीन शूगर्ज ऐण्ड कैमीकल्ज द्वारा चलाया जा रहा है राज्य के बाहर के किसी अन्य फर्म को बेच दिया गया है और यह कि भारत सरकार ने उक्त कारखाने को त्रावणकोर-कोचीन राज्य से मद्रास राज्य के किसी स्थान को ले जाए जाने की अनुमति दे दी है ?

अध्यक्ष महोदय : यह तो वही प्रश्न है।

श्री वी० पी० नायर : मैं यह जानना चाहता था कि क्या सरकार ने आज्ञा पारित कर दी है ?

अध्यक्ष महोदय : क्या इस के स्थानान्तरण की अनुमति भारत सरकार द्वारा दी गई थी ?

श्री किदवई : नहीं, श्रीमान् ।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : क्या सरकार का विचार सहकारिता के आधार पर कोई कारखाने स्थापित करने का है और क्या सरकार उन राज्य सरकारों को कोई सहायता देगी जिन्होंने सहकारिता के आधार पर चीनी के कारखाने स्थापित करने का प्रस्ताव किया है ?

श्री किदवई : किसी प्रकार की राजकीय सहायता दिए जाने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता । मैं समझता हूं कि बम्बई सरकार १० या १२ सहकारी कारखाने स्थापित करने जा रही है । हमें आंध्र से भी एक प्रार्थना सहकारी समितियों द्वारा एक कारखाने की स्थापना के बारे में प्राप्त हो चुकी है ।

श्री एल० एन० मिश्र : क्या मैं जान सकता हूं कि बिहार में स्थित बीहटा शूगर मिल्ज़ के स्थानान्तरण की आज्ञा किस लिए दे दी गई है जबकि राज्य सरकार, गन्ना उत्पादक और श्रम कार्यकर्त्ता इस का विरोध करते थे ?

श्री किदवई : क्योंकि उक्त कारखाने को अपने क्षमता के अनुसार गन्ने की पूरी मात्रा प्राप्त नहीं हो रही है ।

"अपना टेलीफोन रखो" योजना

*८९०. **श्री राधा रमण** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि "अपना टेलीफोन रखो" योजना के अन्तर्गत एकत्र किया हुआ धन किसी विशिष्ट कार्य में लग गया है; और यदि हां तो किस में ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : नये टेलीफोन एक्सचेंज चालू करने तथा वर्तमान टेलीफोन पद्धतियों के विस्तार तथा पुनर्वास के लिए धन का उपयोग किया गया है ।

श्री राधा रमण : क्या मैं जान सकता हूं कि यह योजना शीघ्र बन्द की जा रही है ?

श्री राज बहादुर : नहीं, श्रीमान् ।

श्री राधा रमण : क्या मैं जान सकता हूं कि सरकार इस योजना को कितने समय तक जारी रखने की प्रस्थापना करती है ?

श्री राज बहादुर : जब तक हम देश में टेलीफोन विकास के एक उचित स्तर तक नहीं पहुंच जाते ।

श्री बी० एन० मिश्र : कितना धन प्राप्त किया गया है ?

श्री राज बहादुर : ३१ जुलाई १९५४ तक ४,२६,१०,५०० रुपये ।

भूमि को कृषि योग्य बनाना

*८९२. **श्री बहादुर सिंह** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) केन्द्रीय ट्रैक्टर संगठन द्वारा कृषि योग्य बनायी हुई कोई भूमि बैगर जोती हुई पड़ी रह गयी और १९५३–५४ में वह पुनः दूषित हो गयी; और

(ख) यदि हां तो ऐसी भूमि का क्षेत्रफल कितना था और उसे कृषि योग्य बनाने में कितना व्यय हुआ ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : (क) मध्य प्रदेश, भोपाल और पंजाब सरकारों ने यह सूचना दी है कि कृषि योग्य बनायी गयी कोई भूमि बगैर जोते हुए नहीं पड़ी रह गई, केवल भोपाल में नगण्य क्षेत्रफल क

एक ज़मीन को छोड़ कर, मध्य भारत सरकार ने यह संकेत किया है कि केवल अगस्त १९५५ में जानकारी उपलब्ध होगी और उत्तर प्रदेश सरकार का उत्तर अभी प्राप्त नहीं हुआ है। फिर भी इन राज्यों में यह सम्भावना नहीं है कि कृषि योग्य बनायी हुई बहुत अधिक जमीन बगैर जोते हुए पड़ी रह जाय और वे पुनः दूषित हो गयी हो।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

श्री टी० एन० सिंह : क्या मैं जान सकता हूं कि सरकार ने ऐसी कोई व्यवस्था की है जिससे किसी विशिष्ट जमीन की, जो किराये-पर अथवा मालिक को न दे दी गयी हो और ऐसी जमीनों की, जिनके मालिक तुरन्त खेती करने में असमर्थ हों, तुरन्त खेती की जा सके ?

श्री किदवई : मैंने पहले ही सूचित कर दिया है कि कृषि योग्य बनायी हुई कोई ज़मीन बगैर जोती हुई नहीं पड़ी है और इसलिए यह प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

जंगली जानवरों के लिए भारतीय बोर्ड

*८९३. **श्री एम० आर० कृष्ण** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जंगली जानवरों के लिए भारतीय बोर्ड ने की हुई सिफारिशों को कहां तक कार्यान्वित किया है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : सिफारिशों तथा प्रत्येक पर की गयी कार्यवाही बताने वाला विवरण पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या २]**।

श्री एम० आर० कृष्ण : विवरण से यह मालूम होता है कि राज्य सरकारों को अलग "जंगली जानवर बोर्ड" कायम करने के लिए कहा गया था। क्या मैं जान सकता हूं कि कितने राज्यों ने ये बोर्ड कायम किये हैं और केन्द्र कुछ वित्तीय सहायता भी दे रही है ?

श्री किदवई : राज्य सरकारों ने उस पर कोई कार्यवाही की है अथवा नहीं इस विषय में हमें कोई सूचनाएं प्राप्त नहीं हुई हैं।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न के आरार्ध भाग का, अर्थात् केन्द्र कोई वित्तीय सहायता दे रहा है अथवा नहीं, उत्तर नहीं दिया गया है।

श्री किदवई : जब योजना प्राप्त हो जाय और हम देखें कि कुछ सहायता आवश्यक है; तब वित्तीय सहायता दी जायेगी। मुझे आशा है कि माननीय सदस्य आवश्यकता न होने पर भी कुछ धन देने के लिए हमें न कहेंगे।

डाक के जाली टिकट

*८९६. **श्री नवल प्रभाकर** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली गुप्तचर विभाग ने डाक के जाली टिकट छापने वाले एक दल का पता लगाया है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में कितने व्यक्ति गिरफ्तार किए गए हैं; और

(ग) उन से डाक के कितने टिकट बरामद हुए ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) हां, श्रीमान्।

(ख) इस सम्बन्ध में पांच व्यक्ति गिरफ्तार किये गये हैं।

(ग) २ आना वाले ४६८ डाक के टिकट।

श्री नवल प्रभाकर : क्या मैं जान सकता हूं कि इस दल से सम्बन्ध रखने वाले कोई और भी व्यक्ति देश में पकड़े गये हैं ?

श्री राज बहादुर : अभी सारे मामले की पुलिस तफतीश कर रही है, इसलिये इस के सम्बन्ध में और कुछ कहना कठिन है।

अनेक माननीय सदस्य उठे —

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने पहले ही बता दिया है कि विषय अनुसंधान के अधीन है।

श्री बी० एन० मिश्र : श्रीमान्, मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हू। डाक के जाली टिकट छापने के सम्बन्ध में गिरफ्तार व्यक्तियों के बारे में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने पहले ही बता दिया है कि विषय अनुसन्धान के अधीन है। यही सरकार द्वारा की गयी कार्यवाही है।

पटसन की खेती

*९०१. **श्री विभूति मिश्र** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) यह तथ्य है कि गिरे हुए मूल्य के कारण चालू मौसम में पटसन की खेती में कमी हुई है; और

(ख) यदि हां तो, पटसन का मूल्य ऊंचा करने के लिए कौन से कदम उठाये गये हैं अथवा उठाये जाने की प्रस्थापना है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : (क) १९५४–५५ के लिए पटसन के अखिल भारतीय प्रथम अनुमान के अनुसार चालू मौसम में पटसन की खेती के क्षेत्र में पिछले वर्ष से लगभग ५ प्रतिशत वृद्धि हुई है।

(ख) कच्चे पटसन के मूल्य में सुधार करने के लिए सरकार दीर्घ तथा अल्पकालीन अप्रत्यक्ष उपाय काम में ला रही है जैसे उपज की किस्म में सुधार, प्रति एकड़ पैदावार की वृद्धि जिससे उत्पादन लागत मूल्य में कमी हो, और सट्टेबाजी पर रोक। कच्चे पटसन का मूल्य अन्त में दुनिया के बाजार में लायी गयी पटसन की बनी चीजों के मूल्य पर निर्भर होता है और सरकार पटसन माल के भारतीय निर्यात को प्रभावित करने वाली स्थिति पर कड़ी निगरानी रखती है तथा निर्यात शुल्क को घटा कर और निर्यात नियन्त्रण को ढीला कर भारतीय पटसन निर्माताओं की प्रतियोगिता के सामर्थ्य को बढ़ाने और निर्यात को अधिक बढ़ाने के लिए प्रत्येक सम्भव कदम उठाया जा रहा है।

श्री विभूति मिश्र : क्या सरकार किसानों के हित के लिये जूट को भी मिनिमम कीमत तय करने की योजना बना रही है जैसे कि वह गन्ने की मिनिमम कीमत तय करती है ?

श्री किदवई : मुश्किल तो यह है कि कुछ शक्कर हम बाहर से भी इम्पोर्ट करते हैं इस लिये हम जितनी कीमत चाहें रख दें, लेकिन हमारा जूट का सामान तो बाहर जाता है। अगर वह लोग नहीं खरीदेंगे तो हम कैसे कीमत बढ़ायेंगे ?

श्री विभूति मिश्र : क्या सरकार जूट को खरीद कर अपने व्यवसाय में लगाना चाहती है और किसानों को ज्यादा कीमत देना चाहती है ?

श्री किदवई : अभी तक सरकार का यह इरादा नहीं है कि किसानों को ज्यादा कीमत देकर जूट को खरीदे और कम कीमत पर उसके माल को यहां से बाहर भेजे।

श्री एल० एन० मिश्र : माननीय मंत्री ने पटसन की किस्म सुधारने के प्रश्न का निर्देश किया था। क्या मैं जान सकता हूं कि सरकार को कुछ सूचनाएं प्राप्त हुई हैं कि राज्य सरकारें पटसन की किस्म सुधारने के लिए कौन से कदम उठा रही है ? मैं माननीय मंत्री को सूचित कर सकता हूं कि जहां तक राज्य सरकारों का प्रश्न है, पटसन की किस्म सुधारने के लिये कोई कदम नहीं उठाये जा रहे हैं।

श्री किदवई : माननीय सदस्य ने स्वत: उस प्रश्न का उत्तर दे दिया है किन्तु मेरे विचार से जानकारी ठीक नहीं है। हमारे पास प्रतिदिन ऐसी सूचनाएं आती हैं जो यह बताती हैं कि पश्चिमी बंगाल और अन्य राज्यों में, विशेषकर उत्तर प्रदेश में पटसन की किस्म सुधारने की विभिन्न योजनाएं प्रारम्भ की गयी हैं।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : क्या मैं जान सकती हूं कि सरकार ने यह मालूम करने के लिए कोई सर्वेक्षण किया है कि इस वर्ष वस्त्र वास्तविक मूल्य पटसन के उत्पादन मूल्य के बराबर है या नहीं ?

श्री किदवई : भारतीय कृषक का उत्पादन मूल्य ठीक ठीक मालूम करना बहुत कठिन है क्योंकि मैंने देखा है कि जब सरकार ने एक राज्य में गेंहूं का उत्पादन मूल्य मालूम करने का प्रयत्न किया, तो परिणाम ८० रु० प्रति मन निकला जिसकी कोई कल्पना भी न कर सकता था।

पत्तन और नौवहन आंकड़े समिति का प्रतिवेदन

*९०२. **श्री शिवनंजप्पा** : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पत्तन और नौवहन आंकड़े समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या उसकी एक प्रति पटल पर रखी जायेगी ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) हां।

(ख) छप कर तैयार होते ही प्रतिवेदन की एक प्रति संसद् के पुस्तकालय में रख दी जायेगी।

श्री शिवनंजप्पा : क्या मैं जान सकता हूं कि सिफारिश के मुख्य अंग क्या हैं ?

अध्यक्ष महोदय : वह प्रतिवेदन में मिलेगा, जब वह पुस्तकालय में रख दिया जायेगा। अभी वह छप रहा है।

आन्ध्र में राष्ट्रीय राजमार्ग

*९०३. **श्री विश्वनाथ रेड्डी** : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) कि आन्ध्र राज्य से होकर जाने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों के नाम क्या हैं;

(ख) क्या यह तथ्य है कि राष्ट्रीय सड़कों के अधीन कुछ और सड़कें लेने की प्रस्थापना है;

(ग) यदि हां, तो उनके नाम क्या हैं; और

(घ) आन्ध्र राज्य में राष्ट्रीय सड़कों को बनाये रखने के लिए १९५४–५५ के वर्ष में कितना धन स्वीकृत किया गया है और प्रत्येक सड़क के लिए कितना धन निर्धारित किया गया है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) अपेक्षित जानकारी देने वाला विवरण पटल पर रखा जाता है। [**देखिये** परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या ३]।

(ख) नहीं।

(ग) उत्पन्न नहीं होता।

(घ) ३२ लाख रुपये। प्रत्येक सड़क के लिए निर्धारित की हुई धनराशि के बारे में जानकारी राज्य सरकार से अभी प्राप्त नहीं हुई है।

श्री विश्वनाथ रेड्डी : बनारस तथा कुमारी अन्तरीय को मिलाने वाले राष्ट्रीय राजपथ संख्या ७ के सम्बन्ध में मैं यह जानना चाहता हूं कि आन्ध्र सरकार ने केन्द्रीय सरकार से तुंगभद्रा के ऊपर एक पुल बनवाने के लिये निवेदन किया है, और यदि किया है, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ?

श्री अलगेशन : आन्ध्र सरकार के परामर्श से राष्ट्रीय राजपथ संख्या ७ को कुरनूल से लेकर मिलाने का निश्चय किया गया है तथा तुंगभद्रा पर एक पुल भी बनवाने का निश्चय हुआ है।

पंडित डी० एन० तिवारी : क्या किसी पथ को राष्ट्रीय राजपथ निश्चित करने के

लिये सरकार ने कोई कसौटी रखी है अथवा इसका निर्धारण यों ही कर लिया जाता है ?

श्री अलगेशन : यों ही नहीं, हम बड़े बड़े पत्तनों व राज्यों की राजधानियों इत्यादि को मिलाने के कुछ सिद्धान्तों का पालन करते हैं।

कृषि सम्बन्धी आंकड़े

*९०४. **श्री बुचिकोटैय्या** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) कि क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार ने देश के कृषि सम्बन्धी आंकड़े एकत्र करने के लिये राज्यों के राजस्व विभाग के कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने के लिये कक्षायें खोलने का निश्चय किया है;

(ख) यदि ऐसा है, तो इन कक्षाओं को खोलने का प्रयोजन क्या है; और

(ग) ये कक्षायें कब से खोली जायेंगी और किस स्तर की होंगी ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : (क) जी हां।

(ख) प्रशिक्षण का उद्देश्य इस बात का निश्चय करना है कि वे एजंसियां जिनका कार्य कृषि सम्बन्धी आंकड़ों के विभिन्न मदों की रिपोर्ट देना अथवा उनका रेकार्ड रखना है, अपने कार्यों को, नये स्तर को भली प्रकार समझते हुये व परिभाषाओं तथा हाल में विकसित विचारों के अनुसार, सम्पन्न कर सकें।

(ग) इस वित्तीय वर्ष के अन्त से पूर्व इन कक्षाओं को खोलने की आशा की जाती है। अनेक राज्यों ने इस योजना में सम्मिलित होने की सहमति दे दी है किन्तु कुछ अन्य राज्यों ने अभी तक अपना विचार नहीं भेजा है।

श्री बुचिकोटैय्या : इन कक्षाओं का व्यय केन्द्रीय सरकार देगी अथवा राज्य सरकारें ?

श्री किदवई : केन्द्र द्वारा कक्षाओं के खोले जाने के कारण केन्द्र ही इनका व्यय भी देगा ?

श्री तिम्मय्या : प्रशिक्षण दिये जाने वाले कर्मचारियों की योग संख्या तथा प्रशिक्षण काल क्या है ?

श्री किदवई : इसका निश्चय आवेदन पत्रों के प्राप्त हो जाने तथा राज्यों की सिफारिशें मिल जाने पर किया जायगा।

टेलीफोन कनेक्शन

*९०५. **श्री गिडवानी** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) कि क्या सरकार को विदित है कि दिल्ली, बम्बई तथा भारत के अन्य स्थानों में टेलीफोन के सामान की कमी के कारण टेलीफोन लगवाने के लिये प्राप्त बहुत से आवेदन पत्रों का अभी तक निबटारा नहीं हुआ है;

(ख) यदि ऐसा है, तो सामान की कमी के कारण क्या हैं; और

(ग) सरकार टेलीफोन की आवश्यकता वाले लोगों को कब तक कनेक्शन देने की आशा करती है ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी हां।

(ख) वर्कशापों तथा अन्य सूत्रों से जितना सामान मिलता है वह अत्यधिक ऊंची मांगों को पूरा करने के लिये बहुत ही कम होता है और निर्माण करने तथा सामान की फिटिंग करने, विशेषकर स्वचालित संयत्र में काफी समय लगता है।

(ग) आशा यह की जाती है कि ३१ मार्च, १९५५ तक ऐसा हो जायगा कि लगभग २४ बड़े बड़े नगरों को छोड़ कर अन्य उन सभी लोगों के लिये टेलीफोन कार्यालयों

से कनक्शन देने की व्यवस्था हो सकेगी, जिन को टेलीफोन की आवश्यकता है।

श्री गिडवानी : "लगभग २४ बड़े बड़े नगरों को छोड़ कर", किन्तु यही तो नगर ऐसे हैं जहां इन कनक्शनों की सबसे अधिक आवश्यकता है।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न क्या है ?

श्री गिडवानी : माननीय मंत्री ने बताया कि २४ बड़े बड़े नगरों को छोड़ कर अन्य सभी टेलीफोन कार्यालयों में जिन लोगों को टेलीफोन की आवश्यकता है, कनेक्शन दिये जा सकेंगे। उन नगरों में जहां इसकी सबसे अधिक आवश्यकता है, व्यवस्था करना क्यों सम्भव नहीं है ?

श्री राज बहादुर : स्थिति यह है कि ५३२ टलीफोन कार्यालय हैं, जिनमें से लगभग ३०० प्रतीक्षा सूची में हैं। हम लगभग २४ बड़े बड़े नगरों को छोड कर, जिनमें बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली तथा मद्रास भी सम्मिलित हैं, अन्य सभी कार्यालयों में, जिन लोगों को टेलीफोन की आवश्यकता है, कनेक्शन देने की व्यवस्था करने की आशा करते हैं।

श्री गिडवानी : क्या मैं प्रतीक्षा सूची की संख्या के विषय में जान सकता हूं ?

श्री राज बहादुर : मैं एक मोटे तौर पर अनुमान दे रहा हूं।

आसाम क्षेत्र : गौहाटी १३६; डिब्रूगढ़ १०३।

बंगाल क्षेत्र : प्रतीक्षा सूची में एक भी नहीं है।

बिहार क्षेत्र : पटना १७०।

पंजाब क्षेत्र : अमृतसर ५०० जालंधर २६७।

राजस्थान क्षेत्र: इन्दौर ४७२।

केन्द्रीय क्षेत्र : नागपुर ७५६।

उड़ीसा : शून्य।

आन्ध्र : शून्य।

बम्बई क्षेत्र : पूना ७९८; सूरत ३१६।

मद्रास क्षेत्र : कोयम्बटूर ४०१; मदुरई १७६।

उत्तर प्रदेशीय क्षेत्र : कानपुर ६५६; इलाहाबाद ५६५; लखनऊ ५५३; बनारस ३३२; आगरा ३९५।

३१ मार्च, १९५५ तक हमें इतनी सूचना प्राप्त हुई है।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : किसी गैर सरकारी व्यक्ति को बम्बई, कलकत्ता तथा दिल्ली आदि विभिन्न स्थानों में इसकी कितनी लागत देनी पड़ती है ?

श्री राज बहादुर : मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य किराय के सम्बन्ध में पूछ रहे हैं। यह २६४ रु० प्रतिवर्ष से लेकर २८८ रु० प्रतिवर्ष तक होता है। संदेश दर के आधार पर किराया १० या १२ रु० प्रतिमास होता है और उसके अतिरिक्त बम्बई एवं कलकत्ता में एक रुपये में दस 'काल' और अन्य स्थानों में एक रुपये में बारह 'काल' का हिसाब है।

भूतपूर्व राज्यों में टेलीफोन लाइनें

*१०६. **श्री संगण्णा** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करगे :

(क) कि क्या यह सच है कि भारत सरकार ने उड़ीसा की सरकार को भूतपूर्व राज्यों के उन क्षेत्रों में, जिनको अब डाक तथा तार विभाग ने ले लिया है, टेलीफोन लाइनों की देख-भाल के लिय एक अनावर्तक अनुदान स्वीकार करने का निश्चय किया है;

(ख) यदि ऐसा है, तो अनुदान की राशि क्या है ;

(ग) क्या यह राशि उड़ीसा सरकार द्वारा प्रतिवेदित राशि के बराबर है ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) उड़ीसा की सरकार के लिए कोई भी अनुदान स्वीकृत नहीं किया गया है।

(ख) तथा (ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

तुंगभद्रा परियोजना क्षेत्र का कृषि योग्य बनाया जाना

*१०७. **श्री गाडिलिगन गौड़** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री २६ मार्च, १९५४ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १३३७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) कि क्या सी० टी० ओ० द्वारा कुछ कार्यों को किये जाने के सम्बन्ध में आन्ध्र सरकार से कोई उत्तर प्राप्त हो गया है ;

(ख) क्या केन्द्रीय ट्रैक्टर संगठन के इंजीनियरों ने उस क्षेत्र का निरीक्षण कर लिया है; और

(ग) किन निबन्धनों तथा शर्तों के अधीन केन्द्रीय ट्रैक्टर संगठन तुंगभद्रा परियोजना क्षेत्र में भूमि को कृषि योग्य बनाने का कार्य करेगा ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : (क) जी हां। उत्तर यह है कि आन्ध्र के तंगभद्रा परियोजना प्रदेश में केन्द्रीय ट्रैक्टर संगठन की सेवाओं के उपयोग करने का प्रस्ताव समाप्त कर दिया गया है।

(ख) तथा (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

बिजली की रेलगाड़ियों का निर्माण

*११०. **श्री एम० एल० द्विवेदी** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत सरकार और इटली की "ब्रेडा कम्पनी" के बीच बिजली की रेल गाड़ियां बनाने के सम्बन्ध में जिस करार पर हस्ताक्षर हुए हैं, उसकी मुख्य शर्तें क्या हैं; और

(ख) ये गाड़ियां कब तक भारत पहुंच जायेंगी ?

रेलवे तथा परिवहन (उपमंत्री श्री अलगेशन) : (क) करार की मुख्य मुख्य शर्तें बताने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या ४]**।

(ख) सितम्बर, १९५५ से मार्च, १९५६ तक इन यानों के भारत आ जाने की आशा की जाती है।

श्री एम० एल० द्विवेदी : इस तथ्य की दृष्टि से कि एसी ५० गाड़ियों को क्रय करने के सम्बन्ध में. १,२६,००,००० रु० व्यय किया जाने वाला है, क्या विभिन्न पक्षों से सरकार द्वारा टेण्डर मांगे गये थे, और यदि ऐसा है तो यह आर्डर इसी फर्म विशेष को क्यों दिया गया था ? क्या इसका मूल्य कथन निम्नतम था ?

श्री अलगेशन : टेण्डर मांगे गय थे और छः फर्मों ने मूल्य-कथन भेजे थे जिनमें से कुछ जर्मनी, हालैण्ड तथा इटली के भी थे तथा इसका मूल्य-कथन निम्नतम पाया गया और इससे कुछ अतिरिक्त लाभ भी थे।

श्री एम० एल० द्विवेदी : विवरण यह बताता है, कि योग लागत का ९० प्रतिशत भुगतान यानों के जहाज़ पर लदाने से पहले ही कर दिया जायेगा। यदि भारत में इन यानों के आने से पूर्व ही ९० प्रतिशत मूल्य का भगतान कर दिया गया, और खरीदार द्वारा यह यान सन्तोषजनक न पाये गए तो उद्व्यय के १० प्रतिशत के अतिरिक्त, जिसका भुगतान करना शेष रह जाता है, क्या गारण्टी रखी गई है ?

श्री अलगेशन : मैं प्रश्न नहीं समझ सका ।

अध्यक्ष महोदय : संविदा में हम लोगों को इस बात से सन्तुष्ट करने के लिये क्या व्यवस्था की गई है कि जहाज़ पर लादे जाने के समय यान सन्तोषजनक होंगे ?

श्री अलगेशन : शर्तें विवरण में ही दी हुई हैं और इस प्रकार प्रतिमास आने वाले माल के मूल्य में देरी के कारण आने से हुई क्षति को कम करने के लिये १ प्रतिशत की कमी करने की व्यवस्था की गई है। फर्म एक सर्विस इंजीनियर को भी भेजेगी जो एक वर्ष तक गाड़ियां कैसा काम कर रही हैं इसकी देख भाल करेगा ।

श्री एम० एल० द्विवेदी : क्या उस पत्तन पर जहां से गाड़ियां जहाज़ पर भारत भेजने के लिये लादी जायेगी यह प्रमाणपत्र दिया जायेगा कि यान विशेष विवरण के अनसार बनाए गए हैं और बिल्कुल ठीक हैं ?

श्री अलगेशन : वे हमारे विशेष विवरण के अनुसार ही बनाए गए हैं ।

चिकित्सा संस्थाओं की श्रेणी को ऊंचा करना

*९११. **श्री रामचन्द्र रेड्डी** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी :

(क) कि क्या कुछ चिकित्सा संस्थाओं की श्रेणी को ऊंचा करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि ऐसा है, तो इस समय श्रेणी को ऊंचा करने की योजना किस अवस्था पर है ?

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृतकौर) : (क) जी हां ।

(ख) सूचना देने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या ५]** ।

सिलीकोसिस

*९११. **श्री पी० सी० बोस** : क्या **श्रम** मंत्री बताने की कृपा करेंगे :

(क) कि क्या यह सच है कि बिहार तथा अन्य स्थानों की अबरक की खानों में 'सिलीकोसिस' जो कि फेफड़ों की एक औद्योगिक बीमारी है, अत्यधिक प्रचलित है;

(ख) रोग के विस्तार तथा प्रकार के निश्चय के लिये क्या विशेषज्ञों की एक समिति द्वारा कोई सर्वेक्षण किया गया है;

(ग) समिति ने उस सम्बन्ध में क्या पता लगाया है और क्या सिफारिशें की हैं; और

(घ) समिति की सिफारिशों की कार्यान्विति के लिये क्या पग उठाये गय हैं ?

श्रम मंत्री (श्री के० के० देसाई) : (क) से (ग) । बिहार की अबरक की खानों में सिलीकोसिस की समस्या का अध्ययन १९५२ में किया गया था । सिलीकोसिस सम्बन्धी अध्ययन के दौरान में विस्तृत परीक्षण हेतु चुने गये ३२९ व्यक्तियों में से यह बीमारी केवल ३४·१ प्रतिशत व्यक्तियों में पाई गई और इसका प्रत्यक्ष सम्बन्ध इन व्यवसायों के धूलवत् होने तथा श्रमिकों के अधिक समय तक काम में लगे रहने से था । अध्ययन के परिणामस्वरूप की गईं सिफारिशों का एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता ह । **[देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या ६]**

(घ) भारत की खानों के मुख्य निरीक्षक द्वारा अबरक की खानों के सभी स्वामियों, अभिकर्त्ताओं तथा प्रबन्धकों के पास परिपत्र जारी कर दिया गया है कि वे समिति की सिफारिशों को मानें । खान महकमे के अधीन एक स्वास्थ्य निरीक्षालय के स्थापित करने का प्रयत्न किया जा रहा है । खानों के निरीक्षक अपने निरीक्षणों के दौरान में सिफारिशों की

कार्यान्विति की ओर विशेष ध्यान देते हैं और जहां कहीं आवश्यक समझा जाता है इन सिफारिशों के मनवाने के लिये खान अधिनियम, १९५२ की धारा २२ के अधीन आदेश जारी किये जाते हैं।

श्री पी० सी० बोस : विवरण से यह प्रतीत होता है कि विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों की कार्यान्विति में बहुत व्यय हो जायेगा। यदि स्वामी सहमत नहीं होते हैं तो सरकार इन सिफारिशों की कार्यान्विति के हेतु उनको बाध्य करने के लिय क्या कार्यवाही करेगी ?

श्री के० के० देसाई : खान अधिनियम की धारा २२ लागू की जायेगी।

श्री नानादास : विवरण से यह प्रतीत होता है कि सिलीकोसिस का यह रोग मुख्यतः सूखी खुदाई से होता है। क्या यह सच है कि एक निश्चित समय में गीली खुदाई की तुलना में सूखी खुदाई करने से अधिक गड्ढे खोदे जा सकते हैं और इसी कारण से नियोजक सूखी खुदाई स्थायी ही करवा रहे हैं ? सरकार ने इस प्रकार के दुराचार के रोकने के लिये क्या उपाय किये हैं ?

श्री के० के० देसाई : जहां कहीं खानों का निरीक्षकों द्वारा निरीक्षण किया गया है, खान अधिनियम के अधीन गीली खुदाई के लिय आदेश भेज दिये गये हैं और यदि छः मास के अन्दर आदेश के अनुसार कार्य नहीं होता तो उनके विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी।

श्री जोकीम आल्वा : दूसरे देशों में खानों में काम करने वालों के साथ जैसा व्यवहार किया जाता है और विशेषतः रूस में जहां कि खनिज श्रमिकों को स्वास्थ्य केन्द्र में बहुत अधिक आराम दिया जाता है, क्या सरकार उसका तुलनात्मक अध्ययन करती है?

श्री के० के० देसाई : विशेषज्ञों द्वारा इस सम्बन्ध में किये गये अध्ययन का उल्लेख विशेषज्ञ समिति के प्रतिवेदन में है।

अन्न का भाण्डार-पूरण

*९१२. **श्री भागवत झा आजाद** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री बताने की कृपा करेंगे :

(क) कि हिमाचल प्रदेश में नमी से रक्षित अलमुनियम के भण्डारागारों में अन्न भरने के जो प्रयोग भारतीय मानक संस्था की सहकार्यता में किये गये थे, क्या वे सफल हो गये हैं;

(ख) इससे देश में अन्न भरने की सुविधाओं में कितना सुधार हो जायेगा; और

(ग) वर्तमान समय में प्रचलित ढंग के मुकाबले में यह ढंग कैसा है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : (क) जो प्रेक्षण किये गये थे उनके परिणाम संस्था को अभी प्राप्त हुये हैं। इस संस्था की विशेषज्ञ समिति पहले उनका परीक्षण करेगी, तभी उनके बारे में कोई निश्चित राय दी जा सकती है।

(ख) और (ग)। प्रश्न ही नहीं उठते।

श्री भागवत झा आजाद : क्या सरकार को यह ज्ञात हो गया है कि देश में जो सुविधायें उपलब्ध हैं उनकी तुलना में इस नये प्रयोग पर कितना खर्च पड़ेगा ?

श्री किदवई : सरकार द्वारा विशेषज्ञों की सिफारिशें और प्रतिवेदन प्राप्त होने के पश्चात् ही इस प्रश्न का कोई उत्तर दिया जा सकता है।

श्री भागवत झा आजाद : विशेषज्ञों का प्रतिवेदन और सिफारिशें क्या किसी दूसरी विशेषज्ञ समिति के पास भेजी जायेंगी ?

श्री किदवई : सब प्रतिवेदन सक्षम पदाधिकारियों के पास भेजे जाते हैं।

श्री भागवत झा आजाद : क्या यह काम सक्षम व्यक्तियों द्वारा नहीं किया गया है....

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति । स्पष्ट है कि उत्तर उनकी समझ में नहीं आया है।

बिहार में खाद्य मूल्य

* ९१३. **ठाकुर युगल किशोर सिंह** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री बताने की कृपा करेंगे :

(क) कि बिहार के बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों के बाजारों में गेहूं और चावल किन भावों पर उपलब्ध हैं;

(ख) सरकार द्वारा सहायता प्राप्त दरों पर चावल और गहूं कितनी मात्रा में उपलब्ध हो सकेगा; और

(ग) सहायता प्राप्त अन्न के वितरण की प्रक्रिया तथा स्रोत क्या हैं ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : (क) बिहार के बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों में गेहूं का भाव खुले रूप में १५ रु० से लेकर १८ रु० प्रति मन तक है और मामूली चावल का भाव १५ रु० से लेकर १७ रू० ८आ० प्रतिमन तक है । केवल सहरसा में गहूं का भाव २० रु० प्रति मन है ।

बिहार सरकार बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों के उन व्यक्तियों को, जिनकी गैर कृषि आय १०० रु० से अधिक नहीं है, गहूं १२ रु० प्रति मन की सहायता प्राप्त दर पर और चावल १५ रु० प्रति मन की दर पर दे रही है । प्रत्येक व्यक्ति को एक बार में १० सेर अन्न सहायता प्राप्त दर पर दिया जाता है ।

(ख) सहायता प्राप्त दरों पर अन्न देने के लिये बिहार सरकार को १०००० टन चावल और १०००० टन गहूं दिया गया है । भारत सरकार द्वारा यह भी आश्वासन दे दिया गया है कि यदि सहायता प्राप्त दरों पर वितरण हेतु अतिरिक्त मात्रा में अन्न की आवश्यकता पड़ती है तो उसके संभरण के प्रश्न पर विचार किया जायेगा ।

(ग) उपभोक्ताओं के लिये सहायता प्राप्त दरों पर अन्न की बिक्री के स्रोत ग्राम पंचायतें तथा फुटकर व्यापारी हैं जो कि सरकारी गोदामों से अन्न लेकर बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों की फुटकर की दुकानों के द्वारा उसको उपभोक्ताओं के लिय वितरित करते हैं ।

ठाकुर युगल किशोर सिंह : क्या यह बात सही है कि बिहार विधान सभा में एक सदस्य ने सड़े हुए चावल का प्रदर्शन किया था कि एसा चावल बांटा जाता है ?

श्री किदवई : एक सदस्य ने एसी बात जरूर कही थी लेकिन में आपको बतलाऊं कि एक दूसरे सज्जन जो शायद विधान सभा के सदस्य नहीं हैं उन्होंने यह कहा था कि जो चावल भेजा जाता है किसी एक जगह पर उसको कुछ लोकल तहसीलों में अपने भीगे हुए खराब चावल से बदल दिया गया ।

ठाकुर युगल किशोर सिंह : क्या यह बात सही है कि उस एरिया में १५ रुपय से कम दर पर चावल मिल रहा है ?

श्री किदवई : अगर मिल रहा है तो किसी को वह चावल खरीदने की जरूरत नहीं है ।

पंडित डी० एन० तिवारी : आनरेबुल मिनिस्टर ने कहा कि फ्लड एफेक्टड एरिया में उन लोगों को सबसिडाइज्ड चावल दिया जायेगा जिनकी इनकम सौ रुपये प्रति मास से कम होगी, तो क्या सरकार को मालूम है कि देहातों में हार्डली एक परसेंट ऐसे लोग होंगे जिनकी आमदनी सौ रुपय से ज्यादा हो, तो क्या ९९ परसेंट आबादी को सबसिडाइज्ड राइस दिया जायगा और क्या जो दस हजार टन चावल भेजा गया है, वह वहां के लिये काफ़ी होगा ?

श्री किदवई : मैंने अर्ज़ किया कि अगर वह लोग एक लाख टन चावल मांगेंगे तो हम उनको एक लाख टन देंगे ।

गौ सदन

***९१४. श्री महोदय** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री गोसदनों के सम्बन्ध में २४ अगस्त, १९५४ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ५८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) कि गोसदन योजना की मन्द प्रगति के क्या कारण हैं; और

(ख) सरकार इस मामले में क्या उपाय करना चाहती है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : (क) राज्य सरकारों के पास धन का अभाव है तथा गोसदनों के लिय उचित भूमि नियत करने में कठिनाई पैदा होती है ।

(ख) सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या ७]**

श्री महोदय : देश में कितने गोसदन हैं तथा उनमें से प्रत्येक में कितने पशु हैं ?

श्री किदवई : हमने ५ या ६ गोसदन खोले हैं । मुझे नहीं मालूम कि आज तक उनमें कितने पशु आ गये हैं ।

श्री महोदय : इन गो सदनों की व्यवस्था कौन करता है ?

श्री किदवई : राज्य सरकार ।

पश्चिमी बंगाल के गहरे समुद्र में मत्स्य ग्रहण

***९१५. श्री एन० बी० चौधरी** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री बताने की कृपा करेंगे :

(क) कि राज्य के तटीय क्षत्रों में गहरे समद्र में मत्स्य ग्रहण के विकास हेतु क्या पश्चिमी बंगाल सरकार के द्वारा कुछ प्रस्ताव किये गये हैं और वित्तीय सहायता मांगी गई है;

(ख) यदि हां तो कौन कौन से प्रस्ताव किये गये हैं; और

(ग) उस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : (क) जी हां ।

(ख) ट्रालर चलाने तथा मछलियों के परिवहन के लिय ।

(ग) डनमार्क वाले ट्रालरों के चलाने के लिये १२,६०,००० रु० का ऋण स्वीकृत हुआ है ।

टी० सी० एम० मात्सिकी कार्यक्रम के अन्तर्गत पश्चिमी बंगाल की सरकार के लिये तीन जापानी बूल-ट्रालर, दो संवाहित (इनसुलेटेड) सड़क की गाड़ियां और बीस संवाहित धारक दिये गये हैं जिनका अनुमानित मूल्य ३,७७,३७० डालर है । ट्रालरों के चलाने तथा एक वर्ष के स्थानीय मछओं के प्रशिक्षण के लिये अनुमानतः १००००० डालरों के व्यय पर जापानी शिल्पियों की भी भर्ती की गई है ।

श्री एन० बी० चौधरी : क्या पश्चिमी बंगाल के तटीय क्षेत्रों के निकट मछली पकड़ने के काम का सम्बन्ध किसी केन्द्रीय संगठन से ह ?

श्री किदवई : मैं प्रश्न को ठीक प्रकार से समझ नहीं सका हूं ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि क्या पश्चिमी बंगाल के तट पर की व्यवस्था का सम्बन्ध किसी केन्द्रीय संगठन से है ।

श्री किदवई : जी नहीं । यह कार्य पश्चिमी बगाल सरकार द्वारा किया जा रहा है ।

श्री एन० बी० चौधरी : क्या पश्चिमी बंगाल सरकार द्वारा गहरे समुद्र में मत्स्य-ग्रहण के काम में उठाई गई भारी क्षति का कुछ भाग भारत सरकार द्वारा भी सहन किया गया है ?

श्री किदवई : जी नहीं, सिवाए उस सहायता के जो ऋण के रूप में दी गई है ।

श्री मेघनाद साहा : क्या माननीय मंत्री इस बात से अवगत हैं कि विशेषज्ञों के मतानुसार गहरे समुद्र में या तो मछली होती ही नहीं या बहुत कम होती है ?

श्री किदवई : मुझे विशेषज्ञों की बात माननी होगी । किन्तु मुझे आशंका है कि विशेषज्ञों का परस्पर मतभेद रहता है अथवा उनका मत बदलता रहता है ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : इस बात को देखते हुए कि गहरे समुद्र में मछली पकड़ने का काम पश्चिमी बंगाल में गत चार वर्षों से चल रहा है क्या केन्द्रीय सरकार ने ऋण की स्वीकृति देने से पहले इस प्रश्न पर विचार किया है कि क्या इन योजनाओं के फलस्वरूप पश्चिमी बंगाल में मछली का भाव गिर रहा है ?

श्री किदवई : मैं समझता हूं कि पश्चिमी बंगाल सरकार अपने हितों के सम्बन्ध में बहुत जागरूक है ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : मैं जानना चाहती हूं कि क्या केन्द्रीय सरकार ने इस विषय पर विचार किया है ।

अध्यक्ष महोदय : यह सारा क्षेत्र राज्य सरकार के अधिकार में है अतः इस विषय में और अधिक प्रश्नों के उत्तरों की आशा नहीं करनी चाहिए ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : हमें इस बात का पूर्णतया ज्ञान होना चाहिए कि भाव गिर नहीं रहा है ।

अध्यक्ष महोदय : शान्ति शान्ति । अगला प्रश्न ।

डाक के थैलों की चोरी

*९१७. **श्री डाभी** : क्या **संचार मंत्री** २७ अप्रैल, १९५४, को पूछे गए प्रश्न संख्या २०७७, जिस में मद्रास मेल से ५ अप्रैल, १९५४ को डाक के थैलों की चोरी का उल्लेख है, के उत्तर के सम्बन्ध में बताने की कृपा करेंगे कि क्या अपराधियों का पता चल गया है ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : उत्तर नकारात्मक है ।

श्री डाभी : क्या मैं चुराए गए माल का मूल्य जान सकता हूं और क्या वह माल मिल गया है ?

श्री राज बहादुर : चार तो बीमा हुए पार्सल थे और २९६ पार्सल ऐसे थे जो बीमा हुए नहीं थे । उन चार बीमा हुए पासलों का कुल मूल्य ५४२ रु० ६ आने था और उन २९६ वस्तुओं का, जो बीमा हुई नहीं थीं के लिए विभाग को लगभग ७,७०० रुपया मुफ्त सहायता के रूप में देना होगा ।

श्री डाभी : क्या इन वस्तुओं के मिल जाने की कोई सम्भावना है ?

श्री राज बहादुर : यह सम्भवतः जांच करने वाली पुलिस के क्षेत्राधिकार का विषय है ।

होम्योपैथी का प्रशिक्षण

*९१९. **श्री कृष्णाचार्य जोशी** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि क्या सरकार ने उस संकल्प को कार्यान्वित करने का निश्चय कर लिया है जो केन्द्रीय स्वास्थ्य परिषद् ने राजकोट में फरवरी, १९५४ में हुई अपनी बैठक में, होम्योपैथी के प्रशिक्षण के सम्बन्ध में पारित किया था ?

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत-कौर) : उस सकल्प की कार्यान्विति राज्य सरकारों पर निर्भर है जिन्हें इस बारे में लिख दिया गया है।

श्री कृष्णाचार्य जोशी : क्या केन्द्रीय सरकार द्वारा इस प्रशिक्षण पाठयक्रम के लिए कोई वित्तीय सहायता दी जाती है ?

राजकुमारी अमृतकौर : यदि सरकारें अपनी योजनाएं भेजें और केन्द्र उन्हें अनुमोदित करें तो यह सहायता दी जाएंगी।

श्री कृष्णाचार्य जोशी : क्या होम्योपैथी को चिकित्सा पद्धति के रूप में सरकार ने मान्यता दे दी है ?

राजकुमारी अमृतकौर : होम्योपैथ विभिन्न राज्यों में अपना कार्य कर रहे हैं। अतः उनमें से कुछ एक जिन्होंने कुछ विशिष्ट अर्हताएं प्राप्त कर ली हैं, पंजीबद्ध कर लिए गए हैं।

कोचीन बन्दरगाह के कर्मचारी

*९२०. **चौ० रघुवीर सिंह**: क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि कोचीन बन्दरगाह के कर्मचारियों की भविष्य निधि के अंशदान की दर १९५४ में बढ़ा दी गई है;

(ख) यदि हां, तो बढ़ाया गया आवर्तक व्यय क्या होगा; तथा

(ग) क्या बदली हुई दर सभी कर्मचारियों पर लागू होगी ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) तथा (ग)। जी हां।

(ख) १९५४–५५ से आगे लगभग ३६ ००० रुपये वार्षिक।

चौ० रघुवीर सिंह : क्या यह सच है कि भविष्य निधि के अंशदान की दर प्रत्येक बन्दरगाह पर बढ़ाई जा रही है ?

श्री अलगेशन : कोचीन में यह दर उतनी ही बढ़ाई गई है जितनी अन्य बड़े बन्दरगाहों पर थी।

बंगाल प्रान्तीय (लाईट) रेलवे का राष्ट्रीयकरण

*९२०. **श्री तुषार चटर्जी** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार का ध्यान बंगाल प्रान्तीय (लाइट) रेलवे के कर्मचारियों की उस मांग की ओर दिलाया गया है, जिसमें उन्होंने इस रेलवे के ईस्टर्न रेलवे के साथ पूर्ण एकीकरण द्वारा इसका राष्ट्रीयकरण करवाने के लिये कहा है। तथा

(ख) यदि हां, तो इस मांग पर सरकार क्या कार्यवाही करने जा रही है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) हां, श्रीमान्।

(ख) सरकार का विचार है कि सरकार का उक्त रेलवे पर कब्ज़ा ज़माना न्यायपूर्ण नहीं है।

श्री तुषार चटर्जी : मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने इस रेलवे की आर्थिक स्थिति के बारे में जांच की है ?

श्री अलगेशन : जी हां, इस रेलवे की दशा की जांच करने के लिए पश्चिमी बंगाल के मुख्य मंत्री के सभापतित्व में एक समिति बनाई गई थी। उन्होंने इस प्रश्न पर भी विचार किया था, तथा उनकी सिफारिश पर पश्चिमी बंगाल सरकार को इस रेलवे को देने के लिए १ १/२ लाख रुपया कर्ज दिया गया।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : मैं जानना चाहती हूं कि रेलों की वर्तमान राष्ट्रीयकर

योजना के अलावा कितनी लाइट रेलें अभी चल रही हैं, तथा क्या सरकार उनको अपने शासन में लेना चाहती है अथवा सड़क परिवहन प्राधिकार को देना चाहती है ?

श्री अलगेशन : मैं सही संख्या नहीं बता सकता, वे दस या चौदह या इससे भी अधिक हो सकती हैं। कुल ७०० मील से अधिक नहीं है। इन छोटी लाइन की रेलों को लेने का विचार नहीं है। ये सब प्राय: छोटी लाइन की ही हैं।

श्री तुषार चटर्जी : मैं जानना चाहता हूं कि जहां यह रेलवे चलती हैं वहां की इस अफ़वाह की क्या सरकार को सूचना है कि ये रेलवे बन्द होने जा रही है ?

श्री अलगेशन : इसका सम्बन्ध कम्पनी से है, सरकार से नहीं।

अध्यक्ष महोदय : वे जानना चाहते हैं कि यह अफवाह सही है।

रेलवे तथा परिवहन मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री): अफवाह हो सकती है। परन्तु यह सत्य है कि इस कम्पनी के प्रतिनिधि हमारे तथा पश्चिमी बंगाल सरकार के पास इस रेलवे को सौंपने के लिए आए थे हमने अभी तक कोई निश्चय नहीं किया है तथा जैसा उपमंत्री ने बताया हमारी नीति इन रेलों को लेने की नहीं है परन्तु हमने ईस्टर्न रेलवे के जनरल मैनजर के द्वारा इस कम्पनी की दरों के बारे में कुछ जांच कराई है। हमने आंकड़े मंगाए हैं

गेहूं का आयात

*९२४. **श्री डाभी** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री ५ अप्रैल, १९५४ के तारांकित प्रश्न संख्या १५५२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार ने यह तय कर लिया है कि १९५४ में भारत में कितना गेहूं आयात किया जायगा ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : सरकार ने तय किया है कि आवश्यकता के अनुसार गेहूं का आयात किया जायगा। स्थिति के अनुसार मात्रा भी तय की जायेगी।

श्री डाभी : मैं जानना चाहता हूं कि जब देश में पर्याप्त मात्रा में गेंहूं है तब आयात की क्या आवश्यकता पड़ी ?

श्री किदवई : १९५३–५४ के गेहूं के करार वाले वर्ष में हमने १० लाख टन गेहूं आयात करने का करार किया था, परन्तु हमने केवल ६०,००० टन ही आयात किया। अब हमारा पुराना स्टॉक समाप्त हो चुका है तथा जहां पर गेंहूं प्राप्य नहीं है वहां पर देने के लिए हम गेंहूं का आयात कर रहे हैं।

श्री डाभी : मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह सच नहीं है कि देशी गेंहूं, आयात किए गेंहूं से अच्छा भी है तथा सस्ता भी ?

श्री किदवई : मुझे खेद है कि जिन व्यक्तियों ने इस नये आए हुए गेंहूं को देखा है, वे माननीय सदस्य से सहमत नहीं होंगे।

श्री हेडा : अभी तक कितनी मात्रा मंगाई गई है तथा कितनी आ चुकी है ?

श्री किदवई : जैसा मैंने बताया, पिछले वर्ष के करार के बारह मासों में हमने केवल ६०,००० टन आयात किये हैं। मेरा विचार है कि इस वर्ष हमने लगभग दो लाख टन का आदेश दिया है।

कलकत्ता बन्दरगाह आयुक्तों के कार्यालयों के कमचारियों द्वारा हड़ताल

*९२६. **श्री तूषार चटर्जी** : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि २७ अगस्त, १९५४ को बन्दरगाह आयुक्तों के कार्यालयों के ४० हज़ार कर्मचारियों न हड़ताल की थी

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस विषय में कोई जांच की है; तथा

(ग) सरकार इन कर्मचारियों की मांगों के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही कर रही है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) बन्दरगाह के तथा लदाई करने वाली श्रमिकों के तीन संघों ने एक प्रदर्शन आयोजित किया था।

(ख) तथा (ग)। प्रदर्शनकारियों के प्रतिनिधियों द्वारा बताई गई मांगों पर कलकत्ता बन्दरगाह के आयुक्त विचार कर रहे हैं तथा उनके एक प्रतिवेदन की प्रतीक्षा की जा रही है।

श्री तुषार चटर्जी : मैं जानना चाहता हूं कि यह प्रतिवेदन सरकार के पास कब तक आयेगा ?

श्री अलगेशन : यह जल्दी ही आयेगा; इसमें देर नहीं लगेगी, परन्तु मैं ठीक समय नहीं बता सकता।

श्री डाभी : क्या मैं अब प्रश्न संख्या ८७७ पूछ सकता हूं ?

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से अब अनुमति दे देनी चाहिए, परन्तु माननीय सदस्यों से समय पर यहां आने की आशा की जाती है।

कृषि-संबंधी वस्तुओं के मूल्य

*८७७. **श्री डाभी** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री ८ अप्रैल, १९५४ के तारांकित प्रश्न संख्या १६९३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या कृषि-सम्बन्धी वस्तुओं के मूल्यों की रिपोर्ट देने की वर्तमान व्यवस्था की जांच के लिए नियुक्त की गई समिति ने प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है; तथा

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य सिफारिशें क्या हैं ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : (क) तथा (ख)। हां, श्रीमान्। प्रतिवेदन सरकार के विचाराधीन है।

श्री डाभी : मैं जानना चाहता हूं कि प्रतिवेदन की प्रतिलिपि माननीय सदस्यों को भी दी गई है ?

श्री किदवई : प्रतिवेदन का मुद्रण हो रहा है। मैं आशा करता हूं कि उसकी एक प्रतिलिपि लाइब्रेरी में रखी जायेगी।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

उज्जैन की वेधशाला

*८७६. **श्री एस० एन० दास** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) उज्जैन की ग्रहनक्षत्रादि को पुरानी वेधशाला के पुनः निर्माण कार्य में क्या प्रगति हुई है;

(ख) इस विषय में अभी तक निश्चित रूप से की गई कार्यवाही क्या है; तथा

(ग) क्या सरकार को वहां के भू-परिमाप का प्रतिवेदन मिला है ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) तथा (ख)। उज्जैन की श्री जीवाजी वेधशाला में ग्रहनक्षत्रादि को देखने की दशाओं पर अध्ययन किया जा रहा है जिससे यह पता चल सके कि उज्जैन में ग्रहनक्षत्रादि की नवीन उपयुक्त वेधशाला बनाई भी जा सकती है। ग्रहनक्षत्रादि देखने के यंत्रों के निर्माणकर्त्ताओं से उनके नवीन मूल्य वेधशाला की पूरी योजना बनाने के लिए मंगाए गए हैं।

(ग) भारतीय अन्तरिक्ष विज्ञान विभाग के पदाधिकारियों ने उज्जैन के आस-पास के स्थानों का भू-परिमाप किया था। उन्होंने यह सिफारिश की थी कि उज्जैन की वर्तमान श्री जीवाजी वेधशाला में तथा उज्जैन के आस-पास कई स्थानों (इंदौर, भोपाल, तथा मध्य प्रदेश) पर "देखने की" स्थितियों

पर कार्य आरम्भ किया जाये । उज्जैन की वेधशाला में यह पर्यवेक्षण कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है ।

डेक यात्री कल्याण समितियां

*८८१. **सरदार ए० एस० सहगल** : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या बड़े बन्दरगाहों पर एक यात्री कल्याण समितियां बनाई गई हैं;

(ख) यदि हां तो उनके क्या कार्य हैं; तथा

(ग) क्या बड़े बन्दरगाहों पर यात्रियों के चढ़ने से पहले तथा उतरने के बाद में कोई विशेष सुविधायें दी जाती हैं ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगशन) : (क) जी हां । बड़े बन्दरगाहों, बम्बई, कलकत्ता तथा मद्रास में समितियां बनाई गई हैं ।

(ख) तथा (ग)। आवश्यक सूचना का एक विवरण पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ठ ६, अनुबन्ध संख्या ८]** ।

एयर लाईन कारपोरेशन में विदेशी

*८८२. **श्री टी० बी० बिट्ठल राव** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) एयर लाइन्स कारपोरेशन में नियुक्त विदेशी राष्ट्रजनों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या भारतीय तथा विदेशी कर्मचारियों के वेतन में कुछ असमानता है; तथा

(ग) यदि हां, तो क्यों ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) १९३ ।

(ख) जी नहीं, कराची में नियुक्त कुछ कर्मचारियों की श्रेणियों को छोड़ कर ऐसी बात कहीं भी नहीं पाई जाती ।

(ग) कराची में नियुक्त कुछ कर्मचारियों का वेतन-क्रम, १९५१ में एयर-इंडिया लिमिटेड तथा एयरवेज़ कर्मचारी संघ, कराची के बीच हुए करार के आधार पर निर्धारित किया गया था ।

मक्खन के स्थान पर काम में लाई जाने वाली पदार्थ

*८९१. **श्री एस० सी० सामन्त** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या मार्गरीन (नकली मक्खन) भारत में उत्पादित होती है;

(ख) यदि हां, तो शुद्ध मक्खन से इसकी तुलना किस प्रकार की जाती है; तथा

(ग) साधारण तौर पर यह किस काम में लाया जाता है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : (क) जी हां ।

(ख) मार्गरीन (नकली मक्खन) जो वनस्पति तेल को उद्जनित करके बनाई जाती है, मक्खन से कम पौष्टिक होती है ।

(ग) यह मक्खन के स्थान पर रोटी तथा सैंडविचों आदि पर लगाने के काम में लाई जाती है ।

सामुदायिक परियोजना प्रशिक्षा

*८९४. **श्री बी० मिश्र** : क्या **खाद्य तथा कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) सामदायिक विकास परियोजना तथा राष्ट्रीय विस्तार सेवा के लिये कर्मचारियों के प्रशिक्षण में क्या प्रगति हो रही है; और

(ख) अब तक इस वर्ष में कुल कितने लोग प्रशिक्षित किये गए ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : (क) ३१ जुलाई, १९५४ तक ५३४७ ग्राम-सेवक तथा अधीक्षक कर्मचारी प्रशिक्षित किये गए और उक्त दिनांक को २०२८ प्रशिक्षा पा रहे थे ।

(ख) १ जनवरी से ३१ जुलाई, १९५४ तक १९०९ ग्राम सेवकों तथा अधीक्षक-कर्मचारियों को प्रशिक्षा दी गई।

मद्रास में ग्रामीण डाकघर

*८९५. **श्री बालकृष्णन** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) सन् १९५३–५४ में मद्रास राज्य में ग्रामीण क्षेत्रों में खोले गए डाक घरों की संख्या कितनी है; और

(ख) सन् १९५५ और १९५६ में खुलने वाले डाकघरों की संख्या कितनी है ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) १७७ डाकघर।

(ख) १९५४–५५ २३९ डाकघर।
१९५५–५६ १८४ डाकघर।

व्यावसायिक प्रशिक्षा केन्द्र

*८९७. **डा० सत्यवादी** : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) पंजाब तथा पेप्सू में व्यवसायिक प्रशिक्षा केन्द्रों के लिये बनाये गये संवरण बोर्डों के सदस्यों के नाम क्या हैं; और

(ख) कौन सी तारीखों को ये बोर्ड बनाए गए ?

श्रम मंत्री (श्री के० के० देसाई) : (क) विवरण पटल पर रखा जाता है। **[देखिए परिशिष्ट ६ अनुबन्ध संख्या ९]**।

(ख) जुलाई १९५४।

त्रिपुरा परियोजना क्षेत्र

*८९८. **श्री बीरेन दत्त** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि त्रिपुरा परियोजना क्षेत्र में लोगों ने एक वृहत् मीन-क्षेत्र बनाया है;

(ख) इस विषय में प्राधिकारियों से क्या कोई वित्तीय सहायता मांगी गई है;

(ग) यदि हां, तो क्या नकद या किसी अन्य रूप में उन्हें कोई सहायता दी गई है; और

(घ) यदि नहीं, तो क्यों नहीं दी गई ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : (क) परियोजना क्षेत्र के लोगों ने छोटे छोटे मीन-क्षेत्र बनाने शुरू किए हैं।

(ख) जी नहीं।

(ग) और (घ)। प्रश्न नहीं उठते।

जड़ी बूटियां

*८९९. **श्री बादशाह गुप्त** : क्या **स्वास्थ्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगी :

(क) जड़ी बूटियों के उगाने तथा उनकी रक्षा करने के कौन कौन से सरकारी केन्द्र हैं; और

(ख) क्या इन केन्द्रों में इन जड़ी बूटियों से औषधियां तैयार करने की कोई योजना है ?

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत-कौर) : (क) और (ख)। मांगी गई सूचना एकत्र की जा रही है और समय पर पटल पर रखी जायेगी।

मद्रास में ट्रामगाड़ियां

*९००. **श्री के० सुब्रह्मण्यम्** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि मद्रास विद्युत् ट्रामगाड़ी प्रबन्ध तथा मजदूरों के बीच हुए विवाद में केन्द्रीय सरकार ने विशेष औद्योगिक अधिकरण, मद्रास के पंचाट के विरुद्ध अपील की है; और

(ख) क्या यह सच है कि यह अपील श्रम अपीलीय न्यायाधिकरण को सौंपी गई है?

श्रम मंत्री (श्री के० के० देसाई) (क) और (ख)। हां श्रीमान्।

उत्तर लखीमपुर-अलौंग सड़क

*९०८. **श्री गोहन** : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या उत्तर लखीमपुर से उत्तर पूर्वी सीमा एजेंसी की सियांग सीमा के विभाग में स्थित अलौंग तक सड़क बनाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो क्या सर्वेक्षण पूर्ण हो चुका है और मार्ग-दिशा निश्चित कर ली गई है; और

(ग) सड़क की लम्बाई कितनी है और उसके निर्माण पर होने वाले व्यय का अनुमान कितना है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अल-गेशन) : यह जानकारी जनहित में नहीं।

मनिहारी घाट पर पुल

*९०९. **श्री एच० एन० मुकर्जी** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार मनिहारीघाट पर पुल बनाना चाहती है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अल-गेशन) : ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

मोटर गाडी करारोपण

*९१८. **श्री एस० एन० दास** : क्या **परिवहन** मंत्री मंत्रालय के सन् १९५३–५४ के प्रतिवेदन के पृष्ठ २९ के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या विभिन्न राज्यों में मोटर गाड़ियों पर कर लगाने की समान नीति के विषय में कोई सामान्य समझौता हुआ है ;

(ख) यदि नहीं, तो मामले की क्या स्थिति है;

(ग) क्या परिवहन-परामर्श-परिषद् ने इस विषय पर अन्तिम रूप से विचार कर लिया है; और

(घ) यदि हां, तो इस विषय में उनका अन्तिम निर्णय क्या है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अल-गेशन) : (क) से (घ) तक। करारोपण जांच-आयोग का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर उसकी सूचनानुसार मोटरगाड़ी करारोपण सम्बन्धी सम्पूर्ण स्थिति पर पुनः ध्यान दिया जाएगा।

हुगली के नमूने

*९२१. **श्री एस० सी० सामन्त** : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) केन्द्रीय जल तथा विद्युत् गवेषणा स्टेशन, खड़कवस्ला में इस समय विशेषज्ञों द्वारा हुगली नदी के कितने नमूनों की जांच की जा रही है;

(ख) क्या विशेषज्ञों ने यह सिफारिश की है कि नौवहन-योग्यता बढ़ाने के लिये फुल्टा स्थान के पास का बहिर्भाग काट दिया जाय;

(ग) यदि हां, तो यह कब हो सकेगा और

(घ) दामोदर घाटी निगम-योजना के अन्तर्गत बनने वाले बांधों से तथा दुर्गापुर बांध से हुगली नदी की नौवहन-योग्यता पर कितना प्रभाव पड़ेगा ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अल-गेशन) : (क) दो।

(ख) जी हां।

(ग) कार्य के अक्टूबर १९५५ में प्रारम्भ होने की आशा है।

(घ) विशेषज्ञों का मत है कि दामोदर घाटी योजना से वास्तव में हुगली नदी की नौवहन-योग्यता को हानि नहीं होगी। अभी तो इस सम्बन्ध में अन्वेषण हो रहा है।

अन्नोत्पादन में वृद्धि

*९२२. **डा० सत्यवादी** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) केन्द्रीय ट्रैक्टर संघ के उपक्रम के परिणामस्वरूप क्या अन्त में वृद्धि का निर्धारण किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या नतीजा निकला है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : (क) हां, श्रीमान्।

(ख) केन्द्रीय ट्रैक्टर संघ द्वारा भूमि को कृषि योग्य बनाने के उपरान्त पड़ती भूमि म ८ मन प्रति एकड़ तथा कांस वाली कृष्य भूमि में २ मन प्रति एकड़ की निश्चित दरों से लगभग ५६,६४,००० मन अथवा २,०६,००० टन अन्न का उत्पादन बढ़ा है। ट्रैक्टर से उठाये गये क्षेत्रों में राष्ट्रीय नमूना परिमाप द्वारा अतिरिक्त उत्पादन का निर्धारण करने के लिये वैज्ञानिक आधार पर प्रयोग किय जा रहे हैं। उनके अन्तिम आंकड़े अभी प्राप्त नहीं हुए हैं।

दुधारू पशु

*९२५. **श्री एस० एन० दास** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) भारतीय दुधारू पशुओं की नस्ल में सुधार करने के लिये पंचवर्षीय योजना में भारत सरकार द्वारा अनुमोदित मुख्य प्रबन्ध क्या हैं;

(ख) केन्द्र द्वारा बनाई योजना में अभी तक कौन कौन से राज्यों ने भाग लेने की सम्मति दी है; और

(ग) योजना का अनुमानित व्यय कितना है, और केन्द्र तथा भाग लेने वाले राज्यों में उस व्यय को किस प्रकार बांटा जाएगा ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : (क) से (ग) तक। विवरण पटल पर रखा जाता है [**देखिए परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या १०**]।

श्री कोलाय तजी-जैसलमेर रेलवे लाइन

४३०. **श्री कर्णी सिंह जी** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या उत्तर रेलवे पर श्री कोलायत जी से जैसलमेर तक रेलवे लाइन बनाने का कोई प्रस्ताव है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : नहीं, श्रीमान्।

राज्यों को अनुदान

४३१. **श्री डी० सी० शर्मा** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी :—

(क) सन् १९५३-५४ में स्वास्थ्य सेवा विकास के लिये पंजाब को कितना अनुदान मिला है;

(ख) किन उद्देश्यों के लिये ये अनुदान दिये गए;

(ग) सन् १९५३-५४ में पंजाब के लिये रखे गये कितने अनुदान का लोप हुआ; और

(घ) उन धनराशियों के लोप होने के कारण क्या हैं ?

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृतकौर) : (क) से (घ) तक। जानकारी एकत्र की जा रही है और प्राप्त होने पर पटल पर रखी जायगी।

बेकारी

४३२. **सेठ गोविन्द दास** : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि किस राज्य में प्रति सहस्र जनसंख्या के आधार से बेकारों की संख्या सबसे अधिक है ?

श्रम मंत्री (श्री के० के० देसाई) : जानकारी प्राप्त नहीं है।

विद्युत चालित रल इंजिन और डिब्बे

४३३. **सरदार ए० एस० सहगल** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या विस्तार की आवश्यकता पूर्ति के लिये विदेशों को विद्युत चालित रेल इंजिन और डिब्बों के आर्डर दिये गये हैं;

(ख) वर्तमान में भारतीय रेलों में विद्युत-चालित इंजिनों, मोटर के डिब्बे और ट्रेलर (माल ढोने के) डिब्बों की वास्तविक संख्या क्या है ;

(ग) बम्बई और मद्रास की उपनगरीय विद्युत्-चालित रेलवे लाइन कितने मील लम्बी है;

(घ) पश्चिमी बंगाल और बिहार में रेलों के प्रस्तावित विद्युतीकरण के अन्तर्गत कितने मील का क्षेत्र होगा; और

(ङ) बिहार और पश्चिमी बंगाल में उपबंधित विद्युत्युक्त लाइनों की यथार्थ लागत कितनी होगी ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) अभी तक कोई आर्डर नहीं दिये गये हैं। इस सम्बन्ध में, विश्व के सभी देशों से दरें मांगी गई हैं और यह १ दिसम्बर, १९५४ तक प्राप्त हो जायेंगी।

(ख) से (ङ) तक। जानकारी प्रकट करने वाला विवरण पटल पर रखा जाता है। **[देखिए परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या ११]**

उत्तर पूर्वी रेलवे पर नल-कूप

४३४. **पंडित डी० एन० तिवारी** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या १९५२-५३ और १९५३-५४ में उत्तर-पूर्वी रेलवे के मुज़फ्फरपुर क्षेत्र में गाड़े गये नल-कुपों में से अधिकांश काम नहीं कर रहे हैं;

(ख) उन नलकूपों (हाथ से पानी खींचने वाले) की कितनी संख्या है जो काम दे रहे हैं; और

(ग) क्या उक्त नलकूप पुराने नमूने के थे ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) नहीं, श्रीमान्।

(ख) चार सौ तेहत्तर।

(ग) नल-कूप की डिजायनें सामान्यतया वही हैं जिसका सारे देश में प्रयोग किया जाता है।

उडीसा में मेंगेनीज और लोहे की खानें

४३५. **श्री नानादास** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) उड़ीसा राज्य में मेंगेनीज और कच्चे लोहे की खानें बन्द हो जाने के परिणाम स्वरूप बेरोजगार होने वाले मज़दूरों की संख्या कितनी है; और

(ख) हाल में ही बन्द होने से जिन खानों पर प्रभाव पड़ा है, उनके नाम क्या हैं ?

श्रम मंत्री (श्री के० के० देसाई) : (क) १९५३ के सेवा-नियोजन आंकड़ों के आधार पर २,००० मजदूर बेरोज़गार हुए हैं। एक खान के सम्बन्ध में जानकारी उपलब्ध नहीं है।

(ख) **कच्चे लोहे की खान**

हातीसिकली

मैंगनीज खानें

बाडीपुली
लासोर्डा
के—१३
रोयडा "डी" ब्लाक
सागरभंगा
हरिश्चन्द्रपुर
पम्पोश।

कनाडा के बने हुए इंजिनों के बायलर

४३६. **श्री भागवत झा आजाद** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या कोलम्बो योजना के अन्तर्गत कनाडा के इंजिन बायलर अभी तक भारत पहुंचे हैं;

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार के बायलरों की संख्या कितनी है; और

(ग) उनका मूल्य कितना है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) जी हां।

(ख) २०।

(ग) जहाज़ी भाड़े सहित प्रत्येक बायलर की कीमत ८,०७५ पौण्ड है।

रेल रियायत

४३७. **श्री एम० आर० कृष्ण** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व के स्थानों को देखने जाने वाले व्यक्तियों को किराये में रियायत दी जाती है; और

(ख) पर्यटकों को और कौनसी दूसरी सुविधाएं दी जाती हैं ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) (१) एतिहासिक, भौगोलिक और सांस्कृतिक महत्व के स्थानों की शिक्षा सम्बन्धी यात्राओं पर जाने के लिये स्वीकृति प्राप्त स्कूलों और कालेजों के उस विद्यार्थी समूह को, जिसमें चार से कम विद्यार्थी न हों, और प्राथमिक और माध्यमिक पाठशाला के उस अध्यापक समूह को जिसमें कम से कम पांच हों, रियायती टिकट दिये जाते हैं।

(२) १,५०० मील या इससे ऊपर की निश्चित स्थान की यात्रा के वापसी टिकट भी रियायती किराये पर व्यक्तियों को दिये जाते हैं।

(३) यदि वाणिज्यकीय दृष्टि से रियायत उचित हो तो महत्वपूर्ण मेलों के अवसर पर यात्रियों को रियायती वापसी टिकट दिये जाते हैं।

ऊपर जिन अवस्थाओं का निर्देश किया गया है, उनके अतिरिक्त ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व के स्थानों का भ्रमण करने वालों को रियायतें मंजूर नहीं की जाती हैं।

(ख) (१) विशेष गाड़ियां चलती हैं और जिन स्थानों पर आवश्यकता होती है वहां बुक की गई गाड़ियों के साथ विशेष डिब्बे जोड़े जाते हैं।

(२) अनेक स्टेशनों पर विश्राम-कक्षों के स्तर में वृद्धि कर दी गई है और पर्यटक यातायात की सेवार्थ ही कई अन्य स्टेशनों पर नवीन विश्राम-कक्ष बनाये गये हैं।

(३) औरंगाबाद के रेलवे होटल में अधिक आवास-व्यवस्था की दृष्टि से विस्तार किया जा रहा है।

उत्तर प्रदेश के स्टेशनों पर चोरियां

४३८. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में डाकुओं ने इस वर्ष ३१ जुलाई तक कितने रेलवे स्टेशनों को लूटा और उन्हें क्षति पहुंचाई ?

रेलवे **तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : पांच।

दिल्ली पोलिटेक्निक (व्यावसायिक प्रशिक्षण)

४३९. **श्री नवल प्रभाकर** : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली पोलिटेक्निक में इस वर्ष कितने लोगों को व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिये चुना गया;

(ख) उन्हें किन किन व्यवसायों के लिये चुना गया;

(ग) उनमें अनुसूचित जातियों और अनसूचित आदिम जातियों के कितने लोग थे; और

(घ) कितने निर्धन प्रार्थियों को वित्तीय सहायता दी गई ?

श्रम मंत्री (श्री के० के० देसाई) : (क) दिल्ली पोलिटेक्निक के औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र में कोई व्यावसायिक व्यापार नहीं सिखाये जाते।

(ख) से (घ)। उत्पन्न नहीं होते।

दिल्ली पोलिटेक्निक

४४०. **श्री नवल प्रभाकर** : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली पोलिटेक्निक के कितने छात्रों ने १९४८ से १९५३ तक अपनी पढ़ाई अधूरी छोड़ दी ; और

(ख) क्या नियमानुसार ऐसे छात्रों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई ?

श्रम मंत्री (श्री के० के० देसाई) : (क) ९३६।

(ख) १९४८ से १९५० तक विस्थापित व्यक्तियों अथवा भूतपूर्व सैनिकों में से लिये गये शिक्षार्थियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गयी थी, क्योंकि उन्हें दिया जाने वाला प्रशिक्षण कर्तव्य पालन था जिन शिक्षार्थियों ने १९५० में चालू किये गये वयस्क असैनिक प्रशिक्षण योजना के अन्तर्गत शिक्षा अधूरी छोड़ दी, उनसे प्रशिक्षण का खर्च प्राप्त करने का प्रयत्न किया जा रहा है।

दिल्ली सड़क परिवहन प्राधिकारी.

४४१. **श्री गिडवानी** : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) १९५४–५५ के वर्ष में इंजिनों की मरम्मत के लिए दिल्ली सड़क परिवहन प्राधिकारी ने कितना धन खर्च किया है; तथा

(ख) १९५१–५२ और १९५२–५३ में कितना खर्च किया है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) तथा (ख):

वर्ष	खर्च किया गया धन
	रुपये
१९५१–५२	९२,६६५
१९५२–५३	४९,१७४
१९५४–५५ (अप्रैल से जुलाई तक)	३,१३०

फिलेरिया नियंत्रण राष्ट्रीय योजना

४४२. **श्री एस० एन० दास** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) फिलेरिया नियंत्रण राष्ट्रीय योजना का क्या स्वरूप है जिसमें बिहार सरकार ने सम्मिलित होना स्वीकार कर लिया है; और

(ख) उन राज्यों के नाम जो प्रस्तुत योजना के निर्माण के लिये सहमत हैं ?

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत कौर) : (क) राष्ट्रीय फिलेरिया नियंत्रण राष्ट्रीय योजना की व्याख्या करने वाला एक टिप्पण पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या १२]**

(ख) बिहार के साथ ही निम्न राज्यों ने भी इस योजना में सम्मिलित होना स्वीकार कर लिया है :—

आंध्र, बम्बई, मध्य प्रदेश, मद्रास, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, पश्चिमी बंगाल, हैदराबाद, सौराष्ट्र, ट्रावनकोर-कोचीन और विन्ध्य प्रदेश

दिल्ली राज्य दुग्धशाला विकास योजना

४४३. **श्री एस० एन० दास** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली राज्य सरकारी दुग्धशाला विकास योजना को कार्यान्वित करने में सहायता देने के लिये केन्द्रीय सरकार से प्रार्थना की गई है ;

(ख) यदि हां, तो इस योजना की मुख्य विशेषताएं क्या हैं; और

(ग) किस रूप में तथा किस प्रकार सहायता दी जायेगी ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : (क) दिल्ली राज्य सरकार ने अभी तक अपनी योजना नहीं भेजी है जिसमें केन्द्र से ऋण तथा सहायक अनदान की मांग सम्मिलित है ।

(ख) प्रारूप योजना की मुख्य विशेषतायें निम्नलिखित हैं :—

(१) यमुना पार झील कुरंजा क्षेत्र में एक बस्ती का बसाया जाना, जहां दिल्ली तथा नई दिल्ली की नगर पालिकाओं की सीमाओं के भीतर वाणिज्यिक आधार पर दुग्ध उत्पादन के लिये रखे गये पशु तथा उनके मालिक निवास करने के लिये भेज दिये जायेंगे । उस बस्ती में रहने वालों के लिये आवास, सफाई, पशु चिकित्सा कुछ समय के लिये दूध बंद कर देने वाले पशुओं की देख भाल तथा दुग्ध विक्रय के सम्बन्ध में सुविधाओं की व्यवस्था करने का विचार है । अस्पताल, स्कूल इत्यादि जैसी अन्य सुविधाओं की भी व्यवस्था करने का विचार है ।

(२) राज्य के नगर-निवासियों को देने के लिये इस बस्ती के दूध का नीरोगन करने के लिये एक दुग्धशाला की स्थापना ?

(ग) उपर्युक्त (क) के उत्तर से स्पष्ट है कि अभी इस का निर्णय नहीं किया गया है ?

धान की खेती की जापानी प्रणाली

४४४. **श्री के० पी० सिन्हा** :क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५३ तथा १९५४ में अब तक जापानी प्रणाली से धान की खेती करने के सम्बन्ध में राज्य सरकारों को सहायता देने तथा प्रचार करने में कुल कितना रुपया खर्च किया गया है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : १९५३–५४ में खर्च की गई राशि ३७,४९३ रुपया है तथा १९५४–५५ में अब तक मंज़ूर की गई राशि १,४१,९१५ रुपया है ।

अखिल भारतीय महिला खाद्य परिषद

४४५. **श्री आर० एन० सिंह** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि अखिल भारतीय महिला खाद्य परिषद् द्वारा संचालित अन्नपूर्णा केफीटेरिया को छै मास के लिये कमला मार्केट दिल्ली का किराया देने से मुक्त कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं; और

(ग) क्या अन्य व्यक्तियों को भी ऐसी ही सुविधायें दी गई हैं ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : (क) हां ।

(ख) यह उस सामान्य सिफ़ारिश का परिणाम है जो हमने राज्य सरकारों के पास भेजी थीं तथा जिसमें हमने कहा था कि उन उद्देश्यों को प्राप्त करने में प्रत्येक सम्भव सहायता दी जाये । जिनके लिये यह परिषद् भारत सरकार द्वारा बनाई गई थी ।

(ग) इसका विनिश्चय करने का अनन्य अधिकार राज्य सरकारों को प्राप्त है ।

चीनी का उत्पादन

४४६. **श्री विभूति मिश्र** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) कि प्रत्येक राज्य में १ नवम्बर, १९५३ से ३१ मई १९५४ तक चीनी के उत्पादन की कुल मात्रा कितनी है;

(ख) ये आंकड़े १९५२–५३ के तत्सम्बन्धी काल के आंकड़ों की तुलना में कैसे हैं; और

(ग) यदि उत्पादन में कोई कमी हुई हो तो उसके कारण क्या हैं ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : (क) और (ख)। अपेक्षित जानकारी वाला एक विवरण लोक सभा पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या १३]**

(ग) १९५३–५४ में चीनी के उत्पादन में कमी का कारण यह था कि गन्ने की खेती के क्षेत्रफल तथा उत्पादन दोनों के कम हो जाने के कारण पर्याप्त मात्रा में गन्ना प्राप्य नहीं था। गन्ने के क्षेत्रफल के कम हो जाने का कारण यह था कि बीजारोपण के समय गुड़ का भाव बहुत गिर गया था। क्षेत्रफल के कम हो जाने के अतिरिक्त, गन्ने के उत्पादन के कम हो जाने का एक और कारण यह भी था, कि कुछ क्षेत्रों में, वर्षा बहुत कम हुई थी तथा जहां से सिंचाई का पानी दिया जाता है, वहां, पानी का संभरण बहुत कम था। पूर्वी उत्तर प्रदेश तथा उत्तरी बिहार की फ़सलों को बाढ़ के द्वारा बहुत क्षति पहुंची थी।

डीजेल इंजन

४४७. **डा० राम सुभग सिंह** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार ने भारत के मत्स्य पालन उद्योग का विकास करने के लिये डीज़ेल इंजनों की आवश्यकता का अनुमान कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो लगभग कुल कितने डीज़ेल इंजनों की आवश्यकता है;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार १९५४–५५ में कोई डीज़ेल इंजन क्रय कर चुकी है या क्रय करने का विचार करती है; और

(घ) यदि हां, तो उनकी संख्या कितनी है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : (क) और (ख)। भारत सरकार ने डीज़ेल इंजनों की आवश्यकता का कोई व्यापक अनुमान अभी तक नहीं लगाया है क्योंकि भारतीय तट के विभिन्न भागों के लिये मछली पकड़ने वाली नावों के उचित डिज़ाईन तय्यार करने के बाद ही मछली पकड़ने वाली नावों के यंत्रसज्जित करने का कार्यक्रम तय्यार किया जा सकता है। राज्य सरकारों ने बम्बई तथा सौराष्ट्र के तटों के लिये एक यंत्रीकरण कार्यक्रम तय्यार किया है क्योंकि वहां वर्तमान नावों में अधिक रूप भेद किये बिना इंजन लगाये जा सकते हैं। अन्य राज्यों के कार्यक्रम उचित डिज़ाइनों के विकास किये जाने पर निर्भर हैं।

(ग) हां। 'विदेशी सहायता कार्यक्रम' के अन्तर्गत किये गये करारों में अन्य बातों के साथ साथ समुद्रीय डीज़ेल इंजनों के संभरण का उपबन्ध भी किया गया है।

(घ) शिल्पिक सहयोग शिष्टमंडल के १९५२ के कार्यक्रम के अन्तर्गत २५४ डीज़ेल इजनों के संभरण के लिये 'फ़र्म इन्डेन्ट' भेजे गये हैं तथा टी० सी० एम० १९५४ कार्यक्रम के अन्तर्गत ११७ इंजन क्रय करने का विचार है। त्रावणकोर-कोचीन की मत्स्यपालन सामुदायिक योजना के लिये 'नारवीजियन

सहायता कार्यक्रम' के अन्तर्गत १०० डीजेल इंजन प्राप्त करने का विचार है।

कोयला खान मजदूरों के क्वार्टर

४४८. **श्री रामानन्द दास** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) कि धानबाद के निकट भूली उपनगर में कोयला खान मज़दूरों के लिये, कुल कितने क्वार्टरों का प्रबन्ध किया गया है तथा कितने क्वार्टरों में मज़दूर रहने लगे हैं; और

(ख) इन क्वार्टरों के निर्माण तथा संधारण पर अब तक कुल कितना रुपया खर्च किया गया है ?

श्रम मंत्री (श्री के० के० देसाई) : (क) 'कोयला खान श्रम कल्याण निधि' द्वारा कोयला खान मज़दूरों के लिये भूली में निर्माण किये गये क्वार्टरों की कुल संख्या १५६६ है। जिन क्वार्टरों में श्रमिक रहते हैं उन की कुल संख्या ५५९ है।

(ख) जुलाई, १९५४ तक इन मकानों के निर्माण पर लगभग ४९,२७,००० रुपया खर्च किया गया है तथा संधारण पर किया गया कुल खर्च लगभग ७९,००० रुपया है।

चिकित्सकों का पंजीयन

४४९. **श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी:

(क) क्या सरकार, अपंजीबद्ध चिकित्सकों द्वारा आयुर्वेदिक, यूनानी तथा होमियोपैथिक प्रणालियों के अनुसार चिकित्सा करने का प्रतिषेध करने के लिये, कोई विधान पुरःस्थापित करने का विचार करती है; और

(ख) प्रस्थापित विधेयक कब तक पुरःस्थापित किया जाने वाला है ?

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृतकौर) : (क) हां।

(ख) अभी यह बताना सम्भव नहीं है कि यह विधेयक कब तक पुरःस्थापित कर दिया जायगा।

मध्य प्रदेश में मैंगनीज खानें

४५०. **श्री एन० ए० बोरकर** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) कि मध्य प्रदेश की कितनी मैंगनीज़ खानों में काम जारी है;

(ख) कितनी मैंगनीज़ खानों में काम बन्द कर दिया गया है; और

(ग) इन खानों के काम बन्द हो जाने के कारण कितने श्रमिक बेकार हो गये हैं?

श्रम मंत्री (श्री के० के० देसाई): (क) १९५३ के अन्त में काम करने वाली खानों की संख्या २६४ थी।

(ख) १९५४ में ऐसी खानों की संख्या ८७ थी।

(ग) १९५३ के नियोजन सम्बन्धी आंकड़ों के अनुसार इनकी संख्या लगभग १६,००० है।

मनीपुर में सड़क निर्माण

४५१. **श्री रिशांग किशिंग** : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) कि पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत मनीपुर राज्य का सड़क निर्माण का कार्यक्रम क्या है;

(ख) पंचवर्षीय योजना के प्रवर्तन के समय से अब तक मनीपुर में निर्माण की गई सड़कों की मील संख्या तथा उन सड़कों की मील संख्या कितनी है जिनका निर्माण हो रहा है; और

(ग) योजना के शेष समय में बनाई जाने वाली सड़कों के नाम क्या हैं ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) तथा (ख) अपेक्षित जान-

कारी का एक विवरण संलग्न किया जाता है [देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या १४]

(ख) मील संख्या जिसका सुधार किया गया—१०८ ।

मील संख्या जिसका सुधार किया जा रहा है—११४ ।

मील संख्या नई सड़कों की जो कि बनाई जा रही हैं—४९ ।

सलेम बंगलौर रेल सम्पर्क

४५२. **श्री एस० वी० रामस्वामी** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बतान की कृपा करेंगे :

(क) क्या सलेम तथा बंगलौर को मिलाने के लिये रेलवे लाइन बनाने की कोई प्रस्थापना है; और

(ख) यदि हां, तो यह प्रस्थापना अब किस स्थिति में है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) हां ।

(ख) प्रस्थापित छोटी लाइन के संचालन से होने वाले लाभों की जांच की जा रही है।

भारत के डाकघर

४५३. **श्री हेम राज** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) १९५३-५४ में देश के ग्रामीण तथा नगरीय डाकघरों की संख्या कितनी थी;

(ख) १९५४-५५ में ग्रामीण क्षेत्रों में तथा नगरीय क्षेत्रों में क्रमशः राज्यों के क्रम के अनुसार कितने डाकघर खोलने का विचार है;

(ग) १९५३-५४ में बचत बैंक का काम करने वाले ग्रामीण डाकघरों की संख्या कितनी थी; और

(घ) क्या और अधिक ग्रामीण डाकघरों को बचत बैंक का काम सौंपने का विचार है ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) ३१ मार्च १९५४ को भारत में ६,१७९ नगरीय तथा ३९,७२८ ग्रामीण डाकघर थे ।

(ख) और (ग) । जानकारी एकत्रित की जा रही है तथा शीघ्र ही सभा पटल पर एक विवरण रखा जायेगा ।

(घ) जैसे जैसे तथा जब परिस्थितियां अनुकूल होती हैं ग्रामीण डाकघरों में बचत बैंक सुविधायों की व्यवस्था की जाती है।

पंजाब के लिये जल संभरण तथा सफाई की योजना

४५४. **श्री हेम राज** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी :

(क) कि क्या पंजाब सरकार ने पंचवर्षीय योजना के अधीन पंजाब राज्य के लिए जल संभरण तथा सफाई की कोई योजना, योजना आयोग को प्रस्तुत की है; और

(ख) यदि हां, तो यह योजना किस प्रकार की है तथा इसके बारे में क्या निर्णय हुआ ?

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृतकौर) : (क) पंजाब के लिए जल संभरण तथा सफ़ाई की कोई योजना, योजना आयोग को प्रस्तुत नहीं की गई है ।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता ।

सागर जिले में पुल

४५५. **श्री के० सी० सोधिया** : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) कि क्या यह सच है कि मध्यप्रदेश के सागर जिले में राजपथ संख्या २६ पर प्रथम पंचवर्षीय योजना के कार्यकाल में कुछ पुल बनाये जाने वाले हैं;

(ख) यदि हां, तो किन स्थानों पर ये पुल बनेंगे तथा इन पर अनुमानतः क्या व्यय होगा; और

(ग) निर्माण कार्य के कब से प्रारम्भ होने की सम्भावना है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन): (क) जी हां ।

(ख) नालों पर चार छोटे पुल बनाने का विचार किया गया है, जिसमें से एक एक तो देवरी तथा सुरखी के पास होगा तथा दो गूरझामर के निकट होंगे । इन पर छः लाख की लागत का अनुमान है ।

(ग) १९५५ में ।

काम दिलाउ दफ्तर

४५६. **श्री जेठालाल जोशी** : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) कि १९५३-५४ में सौराष्ट्र के काम दिलाऊ दफ्तर में कितने व्यक्तियों ने अपने नाम पंजीबद्ध कराये हैं; और

(ख) इस समय में कितने व्यक्तियों को काम दिलाया गया है ?

श्रम मंत्री (श्री के० के० देसाई) : (क) ८७७७ ।

(ख) ८२७ ।

रहस्यमय बीमारी

४५७. **श्री बी० डी० शास्त्री** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) दिल्ली तथा अन्य राज्यों के बच्चों में जो रहस्यमय बीमारी फैली हुई है उसके कारण कितने बच्चे मरे हैं ;

(ख) क्या इस बीमारी के वास्तविक स्वरूप का पता चल गया है और उसके लिये सफल उपचार खोज लिया गया है; और

(ग) चिकित्सा के कारण इस बीमारी के कितने रोगी बच गए हैं ?

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत-कौर) : (क) दिल्ली राज्य में इस बीमारी के कारण ४ सितम्बर, १९५४ तक ५४ मृत्यु हुई हैं । अन्य राज्यों की मृत्यु संख्या के बारे में ठीक ठीक कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है ।

(ख) अभी नहीं ।

(ग) कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है ।

खाद्यान्नों के मूल्य

४५८. **ठाकुर युगल किशोर सिंह** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में विभिन्न प्रकार के खाद्यान्नों के मूल्यों का आर्थिक स्तर क्या है;

(ख) विभिन्न राज्यों में खाद्यान्नों के वर्तमान बाजार मूल्य क्या हैं ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई): (क) खाद्यान्नों के मूल्यों का आर्थिक स्तर निर्धारित करने के लिए आंकड़ सरकार द्वारा नहीं एकत्र किये जाते ।

(ख) उपलब्ध जानकारी देने वाले विवरण पटल पर रख जाते हैं । **[देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या १५]**

बोरहालगंज और बहराईच रेलवे लाईन

४५९. **श्री आर० एस० लाल** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) बोरहालगज और बहराईच के बीच दामोदरगंज और बांसी होते हुये नयी रेलवे लाइन बनाने के लिए कोई प्रस्थापना की गई है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्थापना पर राज्य सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) इस लाइन के निर्माण की आवश्यकता और महत्व को दृष्टिगत रखते हुए सरकार द्वारा क्या निश्चय किया गया है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि में नयी लाइनें बनाने के लिए पूर्ववर्त्तिता के क्रम के विषय में राज्य सरकार की सिफारिशों की प्रतीक्षा की जा रहीं है ।

(ग) उक्त भाग (ख) के उत्तर को दृष्टि में रखते हुए, यह उत्पन्न नहीं होता।

ओरबारा (उ० पू० रेलवे) में रेलवे स्टेशन

४६०. श्री आर० एस० लाल : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) उत्तर पूर्व रेलवे में गोंडा और गोरखपुर के बीच ओरवारा के निकट नया रेलवे स्टेशन बनाये जाने के लिए कोई प्रार्थना प्राप्त हुई है; और

(ख) यदि हां, तो कार्य कब प्रारम्भ होगा ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) तथा (ख)। अभी हाल ही में गोंडा गोरखपुर खंड में बस्ती तथा मुंडेरवा स्टेशनों के बीच ओरवारा के निकट नया रेलवे स्टेशन खोलने की प्रस्थापना को उत्तर-पूर्व रेलवे ने क्षेत्रीय रेलवे उपयोगकर्ता परामर्शदात्री समिति के परामर्श से जांचा था और वित्तीय औचित्य के अभाव के कारण उसे छोड़ दिया । फिर भी जनता की सुविधा के आधार पर प्रस्थापना अग्रेतर विचधन है।

गवेशणा करने वाले छात्र

४६१. श्री नवल प्रभाकर : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) पूसा गवेषणा संस्था, दिल्ली में कितने छात्र गवेषणा कार्य में लगे ये हैं;

(ख) वे कितने समय तक गवेषणा करेंगे; और

(ग) गवेषणा काल में उन्हें क्या क्या सुविधाएं दी जाती हैं ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : (क) स्नातकोत्तर छात्र १०३, अवैतनिक गवेषणा कार्यकर्त्ता ५, तथा गवेषणा परिषद् ६ ।

(ख) स्नातकोत्तर छात्रों के लिए २ वर्ष; अवैतनिक गवेषणा कार्यकर्त्ताओं के लिए ६ महीने, जो प्रत्येक के लिए योग्यता के आधार पर आगे बढ़ाया जा सकता है; और गवेषणा परिषदों के लिए १ वर्ष जो प्रत्येक के लिए योग्यता के आधार पर आगे बढ़ाया जा सकता है

(ग) सभी कार्यकर्त्ताओं के लिए उपलब्ध पुस्तकालय तथा प्रयोगशाला की सुविधाओं के साथ साथ, प्रथम वर्ष में स्नातकोत्तर छात्रों को नियमित भाषण तथा क्रियात्मक प्रयोग किये जाते हैं और दूसरे वर्ष में उन्हें सौंपी हुई समस्याओं पर विशेषज्ञों से मार्गदर्शन प्राप्त होता है । अवैतनिक गवेषणा कार्यकर्त्ताओं तथा गवेषणा परिषदों को गवेषणा की समस्याओं पर विशेषज्ञ मार्गदर्शन

करते हैं । प्रत्येक गवेषणा-परिषद् को १५० रुपया प्रतिमास (स्थिर) भी दिया जाता है ।

नौतनवा और सुनौली के बीच रेल लाईन

४६२. **श्री एच० एस० प्रसाद :**
श्री डामर :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर पूर्व रेलवे के नौतनवा स्टेशन और नेपाल सीमा पर स्थित सुनौली के बीच रेलवे लाइन बनाने की कोई योजना है; और

(ख) यदि हां, तो इस लाइन के कब तक पूरी हो जाने की आशा है ।

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) वर्तमान मेंऐसी कोई योजना नहीं है ।

(ख) उत्पन्न नहीं होता ।

लोक-सभा

मंगलवार,
१४ सितम्बर, १९५४

वाद विवाद

Chamber Lib. 18/X/23

(भाग २—प्रश्नोत्तर के अतिरिक्त कार्यवाही)

1st Lok Sabha

सत्यमेव जयते

Preservation Unit
Fumigated
Parliament Library

खंड ७, १९५४

(१३ सितम्बर से ३० सितम्बर, १९५४)

सप्तम सत्र
१९५४

विषय-सूची

खंड ७—१३ सितम्बर से ३० सितम्बर, १९५४

सोमवार १३ सितम्बर, १९५४

	स्तम्भ
सभा का कार्य	१२९३—१२९५, १३००—१३०७
स्थगन प्रस्ताव—	
कलकत्ते में गोवध-विरोधी प्रदर्शनकारियों पर लाठी व अश्रु गैस का प्रयोग	१२९५–१२९६
पटल पर रखे गये पत्र—	
बिजली के पीतल के लैम्प होल्डर उद्योग का संरक्षण जारी रखने के सम्बन्ध में प्रशुल्क आयोग का प्रतिवेदन, १९५४ और सरकारी संकल्प	१२९६
परिरक्षित फल उद्योग का संरक्षण जारी रखने के सम्बन्ध में प्रशुल्क आयोग का प्रतिवेदन, १९५४ और सरकारी संकल्प तथा अधिसूचना आदि.	१२९६–१२९७
शीशे की चादरें बनाने के उद्योग का संरक्षण जारी रखने के सम्बन्ध में प्रशुल्क आयोग का प्रतिवेदन, १९५४ और सरकारी संकल्प तथा अधिसूचना आदि	१२९७
साइकिल उद्योग का संरक्षण जारी रखने के सम्बन्ध में प्रशुल्क आयोग का प्रतिवेदन, १९५४ और सरकारी संकल्प तथा अधिसूचना आदि	१२९७–१२९८
सुरमा उद्योग का संरक्षण जारी रखने के सम्बन्ध में प्रशुल्क आयोग का प्रतिवेदन, १९५४ और सरकारी संकल्प तथा अधिसूचना .	१२९८
रूई तथा बालों के पट्टे के उद्योग का संरक्षण जारी रखने के सम्बन्ध में प्रशुल्क आयोग का प्रतिवेदन, १९५४ और सरकारी संकल्प तथा अधिसूचना	१२९८–१२९९
कोको पाउडर और चाकलेट उद्योग का संरक्षण जारी रखने के सम्बन्ध में प्रशुल्क आयोग का प्रतिवेदन, १९५४ और सरकारी संकल्प तथा अधिसूचना	१२९९–१३००
विभिन्न आश्वासनों, वचनों और प्रतिज्ञाओं पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही सम्बन्धी विवरण . . .	१२९९–१३००
१९५४–५५ के लिये अनुदानों की अनुपूरक मांगें—प्रस्तुत की गई .	१२९९
भारत में बाढ़ की स्थिति सम्बन्धी प्रस्ताव—संशोधित रूप में पारित	१३०८–१३०९
संविधान (तृतीय संशोधन) विधेयक—संयुक्त समिति को सौंपा गया	१३०९–१३११
विशेष विवाह विधेयक—खण्डवार विचार—असमाप्त . . .	१३१२–१३७६

मंगलवार, १४ सितम्बर १९५४

विशेष विवाह विधेयक—खंडवार विचार—असमाप्त . .	१३७७–१४६६

बुधवार, १५ सितम्बर १९५४

	स्तम्भ
पटल पर रखे गये पत्र—	
भारतीय शस्त्रास्त्र (संशोधन) विधेयक, १९५४ पर रायें .	१४६७
भारतीय प्रशासन सेवा (वेतन) नियम, १९५४ . .	१४६८
भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) नियम, १९५४ . .	१४६८
अखिल भारतीय सेवायें (यात्रा भत्ता) नियम, १९५४ . .	१४६८
अखिल भारतीय सेवायें (चिकित्सा सुविधा) नियम, १९५४ .	१४६८
अखिल भारतीय सेवायें (प्रतिकर भत्ता) नियम, १९५४. .	१४६८
भारतीय पुलिस सेवा (वर्दी) नियम, १९५४. . .	१४६८
सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति के चौथे प्रतिवेदन का उपस्थापन	१४६८–१४६९
समिति के लिये निर्वाचन—नारियल जटा बोर्ड . . .	१४६९
चन्द्रनगर (विलय) विधेयक, १९५४—पुरःस्थापित . .	१४६९
विशेष विवाह विधेयक—खण्डवार विचार—असमाप्त . .	१४६९–१५५३
रेलवे प्लेटफार्मों पर रूसी प्रकाशनों की बिक्री . . .	१५५३–१५६४

बृहस्पतिवार, १६ सितम्बर, १९५४

पटल पर रखे गये पत्र—	
भारतीय प्रशासन सेवा (वेतन तथा भारतीय पुलिस सेवा) वेतन नियम १९५४ का परिशिष्ट	१५६५
राज्य-सभा से सन्देश	१५६५–१५६६
तारांकित प्रश्न संख्या २३२३—क के उत्तर की शुद्धि . .	१५६६
संयुक्त समिति के लिये सदस्यों का नामनिर्देशन संसद् सदस्यों के वेतन तथा भत्ते अधिनियम, १९५४ के अन्तर्गत नियम बनाने के लिये संयुक्त समिति	१५६७
सदस्य की दोष-सिद्धि	१५६७
औषधीय तथा प्रसाधन सामग्री (उत्पादन शुल्क) विधेयक—पुरःस्थापित	१५६८
विशेष विवाह विधेयक—संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव—असमाप्त	१५६८–१६५८

शुक्रवार, १७ सितम्बर, १९५४

भारतीय प्रशुल्क (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९५४—याचिका की सूचना दी गई	१६५९
भारतीय शस्त्रास्त्र (संशोधन) विधेयक, १९५४—सम्मतियां प्राप्त हुई . . .	१६६०

दहेज निषेध विधेयक तथा दहेज का निषेध विधेयक—याचिका उपस्थापित की गई . . . . . स्तम्भ १६६०

बैंकों की अपीलों पर श्रम अपीलीय न्यायाधिकरण के विनिश्चय में रूप भेद करने के आदेश के सम्बन्ध में वक्तव्य . . १६६१

विशेष विवाह विधेयक—संशोधित रूप में पारित . . १६६१–१७०८, १७१८-१७२०

भारतीय आय-कर (संशोधन) विधेयक —विचारार्थ प्रस्ताव—असमाप्त १७०९–१७१८

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के साठवें प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव—स्वीकृत . . १७२०–१७२६

भ्रष्टाचार निवारण संशोधन विधेयक, १९५४—पुरःस्थापित . १७२६

काजी विधेयक, १९५४—पुरःस्थापित . . . १७२७

अत्यावश्यक वस्तु (अस्थायी शक्तियां) संशोधन विधेयक, १९५४—वाद-विवाद स्थगित हुआ १७२८–१७४०

बनस्पति उत्पादन तथा विक्रय प्रतिषेध विधेयक, १९५४—विचारार्थ प्रस्ताव—असमाप्त . . . १७४१–१७७२

शनिवार, १८ सितम्बर, १९५४

पटल पर रखे गये पत्र—

समुद्र–सीमा-शुल्क अधिनियम के अधीन अधिसूचनायें . . १७७३

भारतीय आयकर (संशोधन) विधेयक—पारित . . १७७३–१८५३

केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा नमक (संशोधन) विधेयक, १९५४—विचारार्थ प्रस्ताव—असमाप्त १८५३–१८६०

सोमवार, २० सितम्बर १९५४

राज्य-सभा से सन्देश १८६१–१८६२

पटल पर रखे गये पत्र—

परिसीमन आयोग, भारत, अंतिम आदेश संख्या १६, दिनांक ३० अगस्त, १९५४ . . . . . १८६२–१८६३

संविधान (तृतीय संशोधन) विधेयक—संयुक्त समिति का प्रतिवेदन—उपस्थापित १८६३

सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति के चौथे प्रतिवेदन के सम्बन्ध में प्रस्ताव—स्वीकृत १८६३

स्थगन प्रस्ताव—

लाजपत नगर में विस्थापित व्यक्तियों पर लाठी चार्ज . . १८६४–१८६५

केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा लवण (संशोधन) विधेयक–पारित . १८६५–१९११

चन्द्रनगर (विलय) विधेयक—संशोधित रूप में पारित . . १९११–१९३९

भारतीय प्रशुल्क (संशोधन) विधेयक—विचारार्थ प्रस्ताव—असमाप्त १९३९–१९५४

मंगलवार, २१ सितम्बर १९५४

स्थगन प्रस्ताव— स्तम्भ

लाजपत नगर में नीलाम के अवसर पर कथित लाठी चार्ज १९५५–१९५७

पटल पर रखे गये पत्र—

सीमेन्ट सम्बन्धी औद्योगिक समिति के दूसरे सत्र की कार्यवाही का सारांश १९५७

विभिन्न आश्वासनों, वचनों तथा प्रतिज्ञाओं पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही दर्शाने वाला विवरण १९५७–१९५८

भारत के औद्योगिक वित्त निगम का छठा वार्षिक प्रतिवेदन . १९५८

भारतीय प्रशुल्क (संशोधन) विधेयक—संशोधित रूप में पारित १९५८–१९७६

विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पुनर्वास) विधेयक—विचारार्थ प्रस्ताव—संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में—असमाप्त १९७६–२०५८

बुधवार, २२ सितम्बर १९५४

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—बारहवें प्रतिवेदन का उपस्थापन . . . २०५९

विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पुनर्वास) विधेयक—पारित . २०५९–२१२४

संविधान (तृतीय संशोधन) विधेयक— विचार करने का प्रस्ताव (चर्चा असमाप्त) २१२४–२१६६

बृहस्पतिवार, २३ सितम्बर, १९५४

पटल पर रखा गया पत्र—

काफी विक्रय विस्तार (संशोधन) विधेयक सम्बन्धी प्रवरस मिति के सामने दिये गये साक्ष्य २१६७

राज्य-सभा से सन्देश २१६७–२१६८

मनीपुर राज्य पहाड़ी लोग (प्रशासन) विनियमन (संशोधन) विधेयक—राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में, पटल पर रखा गया . . २१६८–२१६९

संविधान (तृतीय संशोधन) विधेयक—पारित . . . २१६९–२२३१

भारतीय प्रशुल्क (द्वितीय संशोधन) विधेयक—विचार करने तथा, परिचालित करने के प्रस्तावों पर चर्चा—असमाप्त . . २२३१–२२४४

शुक्रवार, २४ सितम्बर, १९५४

पटल पर रखे गये पत्र—

भेषजीय जांच समिति का प्रतिवेदन २२४५

	स्तम्भ
उन मामलों के विवरण जिन में भारतीय भंडार विभाग ने न्यूनतम राशि के प्राक्कलन पत्र (टेंडर) स्वीकार नहीं किये थे .	२२४५–२२४६
स्थगन प्रस्ताव——	
बैंक कर्मचारियों की हड़ताल	२२४६–२२४८
लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर ध्यान दिलाना—इस्पात संयंत्र के बारे में रूस का प्रस्ताव	२२४८–२२४९
रेलवे बोर्ड के पुनर्निर्माण और पुनः संगठन के बारे में वक्तव्य .	२२४९–२२५१
भारतीय प्रशुल्क (द्वितीय संशोधन) विधेयक——विचारार्थ प्रस्ताव—स्वीकृत	२२५१–२३११
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के बारहवें प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव—स्वीकृत . .	२३१२
बाढ़ के कारण हुई क्षति को सुधारने के लिये आसाम को वित्तीय सहायता के बारे में संकल्प—वापस लिया गया . . .	२३१३–२३२१
हिन्दी विधि आयोग की नियुक्ति के बारे में संकल्प——अस्वीकृत .	२३२१–२३५२
सरकारी कर्मचारियों की सेवा को सुरक्षित बनाने के बारे में संकल्प—असमाप्त	२३५२–२३६६

शनिवार, २५ सितम्बर १९५४

पटल पर रखे गये पत्र——	
दामोदर घाटी निगम का वार्षिक प्रतिवेदन (भाग २) . .	२३६७
दामोदर घाटी निगम जांच समिति के प्रतिवेदन की सिफारिशों के सम्बन्ध में निर्णय	२३६७–२३६८
राज्य सभा से सन्देश	२३६८
समिति के लिये निर्वाचन—लोक-लेखा समिति . . .	२३६९–२३७०
भारतीय प्रशुल्क (द्वितीय संशोधन) विधेयक—पारित . .	२३७०–२४०५
निष्क्रान्त सम्पत्ति व्यवस्था (संशोधन) विधेयक—संशोधित रूप में पारित	२४०५–२५०४

सोमवार, २७ सितम्बर, १९५४

राज्य सभा से सन्देश	२५०५
सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति—पांचवां प्रतिवेदन उपस्थापित	२५०५
लोक-लेखा समिति—नवां प्रतिवेदन उपस्थापित. . . .	२५०६
जेल से संसद् सदस्य की रिहाई . . .	२५०६
समिति के लिये निर्वाचन——	
कर्मचारी राज्य बीमा निगम	२५०६–२५०७
सभा का कार्य	२५०७

	स्तम्भ
कराधान विधियां (जम्मू तथा काश्मीर में विस्तार) विधेयक—पारित	२५०७–२५२७
मध्यभारत आय पर कर (मान्यीकरण) विधेयक—पारित .	२५२८–२५३८
१९५४–५५ के लिये अनुपूरक अनुदानों की मांगें—असमाप्त .	२५२८–२६२६

मंगलवार, २८ सितम्बर, १९५४

राज्य सभा से सन्देश—	
विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पुनर्वास) विधेयक, १९५४ के सम्बन्ध में	२६२७
पटल पर रखे गये पत्र—	
मसाला जांच समिति का प्रतिवेदन . . .	२६२७
तारांकित प्रश्न संख्या २१३० के उत्तर की शुद्धि के सम्बन्ध में वक्तव्य	२६२८
पुनर्वास वित्त प्रशासन के सम्बन्ध में प्रतिवेदन तथा वक्तव्य .	२६२८–२६२९
केन्द्रीय उत्पादन तथा लवण अधिनियम, १९४४ के अधीन अधिसूचनायें	२६२९
लोक-लेखा समिति—प्रतिवेदनों का उपस्थापन . . .	२६२९
स्थगन प्रस्ताव—	
बीमा कर्मचारियों की प्रस्तावित हड़ताल—अस्वीकृत .	२६२९–२६३१
१९५४–५५ के लिये अनुदानों की अनुपूरक मांगें—स्वीकृत .	२६३२–२६६९
विनियोग (संख्या ३) विधेयक, १९५४—पुरःस्थापित तथा पारित .	२६६९–२६७०
खाद्य तथा कृषि पदार्थों के मूल्यों में गिरावट पर चर्चा . .	२६७०–२६८८
सेवाओं के नियमों के सम्बन्ध में प्रस्ताव . . .	२६८८-२७५२
कलकत्ता पत्तन के उप-नौवहन अधिकारी के विरुद्ध भ्रष्टाचार के कथित आरोपों के सम्बन्ध में चर्चा . . .	२७५२–२७६०

बुधवार, २९ सितम्बर, १९५४

हैदराबाद राज्य में यशवन्तपुर के निकट रेलवे दुर्घटना के सम्बन्ध में वक्तव्य	२७६१–२७६८
पटल पर रखे गये पत्र—	
पंचवर्षीय योजना की १९५३-५४ की प्रगति का प्रतिवेदन .	२७६८–२७६९
विभिन्न आश्वासनों, वचनों तथा प्रतिज्ञाओं आदि पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही दर्शाने वाला विवरण . . .	२७६९
महानदी पुल समिति का प्रतिवेदन	२७६९
खान तथा खनिज (विनियमन तथा विकास) अधिनियम के अधीन अधिसूचनायें	२७६९–२७७१
वस्त्र जांच समिति का प्रतिवेदन	२७७१
राज्य सभा से सन्देश	२७७१

	स्तम्भ
भारतीय शस्त्रास्त्र (संशोधन) बिधेयक पर रायें .	२७७१
अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति—दूसरा प्रतिवेदन—उपस्थापित .	२७७१
प्राक्कलन समिति—दसवां तथा ग्यारहवां प्रतिवेदन—उपस्थापित	२७७२
समितियों के लिये निर्वाचन—	
लोक-लेखा समिति	२७७२
कर्मचारी राज्य बीमा निगम . . .	२७७२
अनुपस्थिति की अनुमति	२७७२–२७७३
अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति के बारे में प्रस्ताव—चर्चा—असमाप्त . .	२७७३–२८७८

बृहस्पतिवार, ३० सितम्बर, १९५४

रांज्य सभा से सन्देश	२८७९
पटल पर रखे गये पत्र—	
प्राक्कलन समिति द्वारा अपने नवें प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों का सारांश और उन पर सरकार के विचार या की गई या की जाने वाली कार्यवाही	२८८०
इस्पात परियोजना सम्बन्धी प्रगति का अग्रेतर ब्यौरा देने वाला विवरण	२८८०–२८८३
कुछ राज्य उद्यमों के वार्षिक प्रतिवेदन, अन्तिम लेखे तथा सन्तुलन पत्र	२८८३–२८८४
पुनर्वास वित्त प्रशासन का लेखा-परीक्षित सन्तुलन पत्र तथा हानि-लाभ लेखा	२८८४
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—तेरहवां प्रतिवेदन—उपस्थापित	२८८४
लोक-लेखा समिति—दसवां प्रतिवेदन—उपस्थापित .	२८८५
याचिका समिति—चौथा प्रतिवेदन—उपस्थापित .	२८८५
जेल से सदस्य की रिहाई	२८८५
हैदराबाद राज्य में यशवन्तपुर के समीप रेल दुर्घटना के बारे में अनुपूरक विवरण	२८८५–२८८६
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विधेयक—पुरःस्थापित . .	२८८६–२८८७
समुद्र सीमा शुल्क (संशोधन) विधेयक, १९५४—पुरःस्थापित .	२८८७
अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति के सम्बन्ध में प्रस्ताव—संशोधित रूप में स्वीकृत .	२८८७–२९५०
मोटरगाड़ी उद्योग	२९५०–२९७५
राज्य सभा से सन्देश	२९७५–२९७६

लोक सभा

मंगलवार, १४ सितम्बर, १९५४

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई।

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुये]

प्रश्नोत्तर

(देखिये भाग १)

११-५५ म० पू०

विशेष विवाह विधेयक—जारी

खण्ड १—(संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारम्भन।)

खण्ड १५—(अन्य प्रकार सम्पन्न हुये विवाहों का पंजीयन)

खण्ड १६—(पंजीयन की प्रक्रिया)

खण्ड १७—(धारा १६ के अन्तर्गत पारित आदेशों की अपील)

खण्ड १८—(इस अध्याय के अन्तर्गत विवाह के पंजीयन का परिणाम)

नये खण्ड १८-क, १८-ख, तथा १८-ग

खण्ड १९—(अविभाजित परिवार के सदस्य पर विवाह का प्रभाव)

खण्ड २०—(अधिनियम के द्वारा प्रभावित न होने वाले अधिकार तथा निर्योग्यतायें)

खण्ड २१—अधिनियम के अन्तर्गत विवाहित पक्षों का सम्पत्ति का उत्तराधिकार

अध्यक्ष महोदय: कतिपय मामलों में विवाह के विशेष रूप का उपबन्ध करने वाले तथा उनके और कतिपय अन्य विवाहों के पंजीयन तथा विवाह-विच्छेद का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर, राज्य सभा द्वारा पारित रूप में, अब अग्रेतर विचार किया जायेगा। खण्ड १५ से १८ तक, नये खण्ड १८-क, १८-ख, १८-ग तथा १९, २०, २१ और १ जो कि विचाराधीन हैं, के साथ साथ संशोधनों पर भी चर्चा होगी।

श्री वेंकटरामन (तंजोर) : अध्यक्ष महोदय, कल मैं खण्ड १८ का प्रतिपादन कर रहा था। खण्ड १८ के प्रति दो आपत्तियां उठाई गई हैं: प्रथम आपत्ति यह है कि इस विधि के अधीन विवाह के पंजीयन के पश्चात् अवैध बालक भी खण्ड १८ के प्रवर्तन से वैध हो जायेंगे। मेरा उत्तर अत्यन्त सरल है। पंजीयन की तिथि के पूर्व पैदा होने वाले बालक को यदि मां बाप अपनी सन्तान मानते हैं तो उस में आपत्ति उठाने का कोई अवकाश नहीं रहता। खण्ड १५ के अनुसार दोनों पक्षों की आयु २१ से ऊपर होना आवश्यक है और दोनों को ही पंजीयन हेतु प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। इसका अर्थ यह है कि वे अपने बच्चों को औरस बच्चे मानने के लिये तैयार हैं। जहां तक भविष्य की

[श्री वेंकटरामन]

बात है और पंजीयन के बाद अवैध बालकों का प्रश्न उपस्थित होता है तो विवाह-विच्छेद आदि के रूप में उस के अन्य उपाय हैं। अतः मेरा निवेदन है कि श्री टेक चन्द द्वारा उठाई गई आपत्ति तर्कपूर्ण नहीं है।

द्वितीय आपत्ति, जो कुछ युक्तिसंगत प्रतीत होती है, यह है कि उन अवैध बालकों को जो कि स्वीय विधि के अनुसार सम्पत्ति के अधिकारी नहीं है, इस विधेयक के खण्ड १८ के प्रवर्तन से उन को अपने पूर्वजों की सम्पत्ति का उत्तराधिकारी क्यों बनाया जाये।

[**श्रीमती खोंगमेन** पीठासीन हुईं]

प्रश्न ठीक ही उठाया गया है। मैंने कुछ सीमा तक इस प्रकार की आपत्ति का पहले ही अनुमान लगा लिया था। तदनुसार मैं ने संशोधन सं० ३२० की सूचना दे दी है जिस के अनुसार वे बालक, जो कि अवैध हैं, केवल अपने माता पिता की सम्पत्ति के ही उत्तराधिकारी हो सकते हैं। परन्तु यदि स्वीय विधि के अनुसार अवैध होने पर भी कोई बालक अपने पूर्वजों की सम्पत्ति का उत्तराधिकारी है तो उस को उस अधिकार से वंचित करना उचित नहीं है। अतः उस में इस प्रकार के अपवाद की भी व्यवस्था कर दी गई है। जैसे कि मद्रास में चतुर्थ वर्ण का एक बालक अवैध होने पर भी स्वीय विधि के अनुसार अपने पूर्वजों की सम्पत्ति का अधिकारी है तो खण्ड १८ के प्रवर्तन से वह अपने अधिकार से वंचित नहीं होगा। अतः मेरा निवेदन है कि खण्ड १८ पूर्णतया युक्तिसंगत है और मेरे द्वारा बतलाये हुये परन्तुक के योग से उस के प्रति किसी प्रकार की आपत्ति नहीं होगी।

अब मैं खण्ड १९ का प्रतिपादन करता हूं। इस खण्ड के प्रति आपत्ति यह है कि इस अधिनियम के अधीन विवाहों के सम्पन्न होने अथवा पंजीयन से संयुक्त परिवार से स्वाभाविक पृथक्करण नहीं हो पायेगा। मैं ने कल कहा था कि इस विधान का उद्देश्य उन सब व्यक्तियों के लिये, जो कि इस अधिनियम के अधीन अपना पंजीयन चाहते हैं, एक रूप विधि का उपबन्ध करना है तथा ऐसे व्यक्ति की विवाह, विवाह-विच्छेद तथा उत्तराधिकार सम्बन्धी सारी बातें इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार ही नियंत्रित तथा विनियमित होंगी। तभी हम एक रूप संहिता अथवा व्यवहारिक संहिता बना सकेंगे। इस अधिनियम के अधीन विवाह करने वाले तथा अपना पंजीयन करवाने वाले व्यक्तियों को स्वीय विधि के अनुसार चलने देने की अनुमति देना किसी प्रकार उचित नहीं है क्योंकि इससे वह एकरूपता, जिसकी हम स्थापना करना चाहते हैं, असम्भव हो जायेगी।

इसके साथ ही मैं एक बात और कहता हूं। १९२३ के अधिनियम के द्वारा संशोधित रूप में १८७२ के अधिनियम में भी यह खण्ड है और आज तक उस के प्रति कोई परेशानी पैदा नहीं हुई है। अतः मेरा निवेदन है कि इस पंजीयन के साथ साथ उस व्यक्ति को संयुक्त परिवार से पृथक् होने की अनुमति दे देना चाहिये ताकि वह दूसरे व्यक्तियों की कोटि में आ सके और एक प्रकार की संहिता तथा एक प्रकार के ही उत्तराधिकार के नियम से शासित हो सके और उस का स्वीय विधि से कोई सम्बन्ध न रहे। इसी बात को मैं दूसरे दृष्टिकोण से कहता हूं। वर्तमान हिन्दू विधि के अनुसार एक व्यक्ति केवल एक घोषणा अथवा नोटिस के द्वारा ही संयुक्त परिवार से अलग हो सकता है। जो काम वह एक पत्र के द्वारा ही कर सकता

है तो फिर वह काम पंजीयन के द्वारा भी हो सकता है । पंजीयन का प्रत्यक्षतः अर्थ ही यह है कि वह संयुक्त हिन्दू परिवार से अलग होना चाहता है । यह प्रश्न हो सकता है कि हम ऐसे व्यक्ति को, जो कि संयुक्त परिवार में ही रहना चाहता है, उस लाभ से वंचित क्यों करें । जैसा कि मैं ने कहा है तो फिर उस अवस्था में इस विधि का उद्देश्य ही समाप्त हो जायेगा। इस अधिनियम के अधीन विवाह करने वाले व्यक्तियों को किसी प्रकार की भिन्न बात की अनुमति देने से एक सामान्य विधि के लागू करने का उद्देश्य ही विलुप्त हो जायेगा । हम को यह नहीं भुला देना चाहिये कि यह एक वैकल्पिक विधि है । मेरे मित्र पोकर साहब ने कहा था कि यह तो एक प्रकार का अत्याचार होगा । मैं इस को स्वीकार करता हूं परन्तु यह अत्याचार किसी व्यक्ति पर बलात् नहीं किया जा रहा है । यह व्यक्ति की इच्छा पर ही निर्भर है कि इस विधि के अनुसार वह अपना विवाह करे अथवा न करे या अपना पंजीयन करवायें अथवा नहीं । अतः मेरा निवेदन है कि खण्ड १९ में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिये । कोई भी परिवर्तन करने से विधेयक का वास्तविक उद्देश्य ही समाप्त हो जायेगा ।

खण्ड २० के सम्बन्ध में मैं सभा का समर्थ नहीं लूंगा । जहां तक खण्ड २१ का सम्बन्ध है उस में एक अभाव प्रतीत होता है । खण्ड २१ के अनुसार भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम उन सभी व्यक्तियों पर लागू होगा जो कि इस अधिनियम के अन्तर्गत विवाह करेंगे । मान लिया जाये एक पारसी अन्य पारसी से विशेष विवाह अधिनियम के अधीन विवाह करता है तो उस पर कौन सी विधि लागू होगी ? भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम में अनेक अध्याय हैं जिन में से एक पारसी वसीयत रहित उत्तराधिकार के सम्बन्ध में है । भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम का तृतीय अध्याय पारसी वसीयत रहित उत्तराधिकार के सम्बन्ध में है । यदि पारसी वसीयत रहित उत्तराधिकार भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम का भाग है तो उस को निकाल देना चाहिये क्योंकि जैसा कि मैं ने कहा है इस विधान का उद्देश्य यह है कि सब व्यक्तियों पर एक सी ही उत्तराधिकार सम्बन्धी विधि लागू हो । इस प्रकार विशेष विवाह अधिनियम के अधीन विवाह करने वाले पारसियों पर भी भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के द्वितीय अध्याय में बताया हुआ उत्तराधिकार का सामान्य नियम लागू होगा और पारसी वसीयत रहित उत्तराधिकार से सम्बन्धित तृतीय अध्याय को अलग करना होगा । इस सम्बन्ध में मैं ने एक संशोधन सं० ८२ भी प्रस्तुत कर दिया है ।

यह बड़ा हल्का तर्क है कि इस अधिनियम के अधीन पंजीयन करवाने वाले व्यक्तियों की संख्या बढ़ाने के लिये हम को अनेक स्वीय विधियों के मानने की भी अनुमति दे देनी चाहिये । जहां तक मैं समझता हूं, उद्देश्य यह नहीं है कि कितने व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन पंजीबद्ध होते हैं अपितु यह है कि इस के अधीन पंजीबद्ध होने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिये विवाह, विवाह-विच्छेद तथा उत्तराधिकार सम्बन्धी एक ही विधि हो ।

अतः मेरा नम्र निवेदन है कि यह खण्ड युक्ति संगत है और श्री डाभी का संशोधन सं० ३१५, खण्ड १८ के सम्बन्ध में मेरा संशोधन सं० ३२० तथा खण्ड २१ के सम्बन्ध में संशोधन सं० ८२ सभा द्वारा स्वीकृत किये जायें ।

श्री एन० सी० चटर्जी: मैं संशोधन संख्या ५१२ का प्रस्ताव करता हूं। इस विधेयक के तृतीय तथा चतुर्थ अध्याय अत्यन्त विवादास्पद हैं। तृतीय अध्याय अन्य रूपों में सम्पन्न हुये विवाहों का प्रतिपादन करता है। इस का अर्थ यह है कि हिन्दू विधि के अनुसार होने वाले हिन्दुओं के विवाहों तथा मुसलमान विधि के अनुसार होने वाले मुसलमानों के विवाहों का भी पंजीयन हो सकता है। वास्तव में यह प्रयत्न दोनों पक्षों की स्वीय विधि के अधीन होने वाले शास्त्रोक्त विवाहों के प्रति हस्तक्षेप करना है और अप्रत्यक्ष रूप से विवाह-विच्छेद की पद्धति को पुरःस्थापित करना है।

१८७२ से लेकर आज तक तृतीय अध्याय जैसा कोई अध्याय नहीं रहा। जब महान् ब्रह्म समाज के नेता बाबू केशव चन्द्र सेन ने इस प्रकार के विधान की इच्छा प्रकट की.....

विधि तथा अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री (श्री बिस्वास): परन्तु सन् १९५४ तथा सन् १९२३ में महान् अन्तर है।

श्री एन० सी० चटर्जी: वास्तव में कहने का तात्पर्य यही है। स्वीय विधियों के अनुसार सम्पन्न होने वाले हिन्दुओं, मुसलमानों आदि के विवाहों के पंजीयन की आवश्यकता कदापि नहीं प्रतीत हुई। १९२३ में डा० गौड़ ने जब इस अधिनियम में संशोधन किया तब भी तृतीय अध्याय की प्रकार के किसी उपबन्ध की आवश्यकता सामने नहीं आई। केवल यह संशोधन हुआ कि यह विधि हिन्दुओं, बौद्धों, सिक्खों तथा जैनियों पर भी लागू होगी। मौलिक अधिनियम का विस्तार करते समय हिन्दू अथवा मुसलमान विवाहों के पंजीयन के लिये उपबन्ध करने की कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं हुई।

मैं इस सम्बन्ध में पंडित ठाकुर दास भार्गव से सहमत हूं कि शास्त्रोक्त विधि से सम्पन्न हुये विवाहों के पंजीयन के बारे में उपबन्ध करना वास्तव में हिन्दुओं का अपमान है। वस्तुतः तृतीय अध्याय पूर्णतया अवांछनीय है। परन्तु चतुर्थ अध्याय तो इससे भी अधिक आपत्तिजनक है। इस विधेयक के प्रवर्त्तकों का कहना है कि वे प्रगतिशील व्यक्तियों के लिये प्रगतिशील विवाह चाहते हैं जबकि मेरा कहना यह है कि यह विधान प्रगति को रोकने वाला है।

खण्ड १९ विशेष विवाह (संशोधन) अधिनियम, (१९२३ के अधिनियम ३०) की धारा २२ की ही नक़ल मात्र है जिस के अनुसार यदि संयुक्त परिवार का कोई हिन्दू, बुद्ध, सिख अथवा जैनी विवाह करेगा तो उस का ऐसे परिवार से सम्बन्ध विच्छेद माना जायेगा। मेरी समझ में नहीं आता कि ऐसा संशोधन कैसे स्वीकार कर लिया गया। इस प्रकार का खण्ड प्रतिक्रियावादी तथा नौकरशाही है। यह तो एक प्रकार से लोगों को दण्ड देना है।। खण्ड १९ की सभी महिला सदस्याओं ने अनुपयुक्त होने के आधार पर निन्दा की है, मुझे इसका हर्ष है। इतना ही नहीं सभी महिला सदस्याओं ने इस खण्ड को विभेदकारी, असन्तोषजनक अप्रगतिशील तथा दंडकारी बताकर इसका घोर विरोध किया है।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती ने बताया कि पंजीयन द्वारा विवाह का सदैव तात्पर्य धर्म बहिष्कार नहीं होता, अतः इस विधेयक की ऐसी व्यवस्था नहीं की जानी चाहिये थी। मुझे आश्चर्य है कि प्रवर समिति की महिला सदस्याओं के अतिरिक्त अन्य सदस्यों ने इस खण्ड १९ को उत्तराधिकार नियम को सरल बनाने की दृष्टि से मूल

रूप में रहने दिया है किन्तु मेरा विचार यह है कि इस से बजाय सरलता के और भी जटिलतायें उत्पन्न हो जायेंगी जिनका परिणाम अवांछनीय होगा । सम्मिलित समिति का कहना है कि इस निर्णय के अन्तर्गत लोग इसलिये विवाह करते हैं कि वसीयत रहित उत्तराधिकार के मामले में उत्तराधिकार अधिनियम लागू होगा और विभिन्न प्रकार की सम्पत्ति में उत्तराधिकार के भिन्न भिन्न नियम लागू करना अत्यन्त असुविधाजनक होगा । इस कारण सम्मिलित प्रवर समिति के सदस्य १९२३ के संशोधन को बनाये रखना चाहते हैं किन्तु श्रीमती सुचेता कृपलानी का कथन यह है कि खण्ड १९ को बनाये रखने पर हम लोगों को घोर आपत्ति है । इस को बनाये रखने से बहुत कुछ इस विधान का उद्देश्य ही समाप्त हो जाता है ।

मैं समझता हूं कि श्रीमती कृपलानी का कथन सही है क्योंकि यह नहीं कहा जा सकता कि विवाह होने के बाद एकदम उस व्यक्ति को परिवार से बाहर कर दिया जायेगा। समांशिता का स्वतः अनिवार्य तथा संविधिक विगठन करना उचित नहीं है, इसका परिणाम भयंकर होगा ।

श्री बिस्वास: क्या माननीय सदस्य यह समझते हैं कि इससे सम्पूर्ण सम्मिलित परिवार को विगठन हो जायेगा ?

श्री एन० सी० चटर्जी : मेरे विचार से निश्चित ही हो जायेगा ।

मैं ने श्री मुल्ला के हिन्दू विधि का १९५२ का संस्करण पढ़ा है जिस में उन्होंने बताया ह कि परिवार के एक व्यक्ति के अलग होते ही सम्पूर्ण समांशिता का विगठन हो जाता है । यह कहना एक विचित्र बात होगी कि एक व्यक्ति के अलग हो जाने पर भी समांशिता चलती रहेगी । दूसरी ओर न्यायाधीश मुकर्जी ने कहा है कि किसी प्रकार की समांशिता रखने के लिये या पुनः एक हो जाने अथवा सम्मिलित रूप से रहने के लिये विशिष्ट करार होना चाहिये । हम लोगों में से अधिकांश लोग हिन्दू विधि की मिताक्षरा प्रणाली के अन्तर्गत आते हैं जिसके अनुसार पुत्र का जन्म होते ही वह पैतृक सम्पत्ति में अपना अंश पाने का अधिकारी बन जाता है । अब उन को पुनः एक करना बड़ा कठिन हो जाता है क्योंकि वे नाबालिग़ बच्चे होते हैं । सम्मिलित प्रवर समिति का मूल तर्क यह है कि यद्यपि यह खण्ड एकदम बुरा तथा प्रतिक्रियावादी है फिर भी इसे रहने देना चाहिये क्योंकि लोग चाहते यह हैं कि विगठन हो । श्रीमती कृपलानी का कहना है कि हम अपने अनभव के आधार पर कह सकते हैं कि इस धारा के कारण ही जो लोग विशेष विवाह अधिनियम के अन्तर्गत विवाह करना चाहते थे, वह ऐसा करने से हतोत्साहित हुये । १९, २० तथा २१ आदि धारायें इसी प्रकार की हैं ।

श्रीमती सुषमा सेन ने भी यही कहा है । जैसा कि माननीय विधि मंत्री को स्मरण होगा उन्होंने स्वयं यह कहा था कि संसद् की दोनों सभाओं के सदस्यों ने इस खण्ड के विरोध में भाषण दिया था। इस के अतिरिक्त राव समिति भी इस खण्ड के विरोध में थी । इस प्रकार संसद् के बहुत से सदस्य, ख्यातिप्राप्त व्यक्ति तथा श्री बी० एन० राव व उन की विशेषज्ञ समिति आदि सभी इस के विरोधी हैं और माननीय विधि मंत्री को भी इस खण्ड के विषय में सन्देह है । श्रीमती सुषमा सेन ने कहा कि यह खण्ड १८७२ के मूल अधिनियम में नहीं था । ब्रह्म् समाज के प्रमख सदस्य भी इसके विरोध में है । उन का कथन है कि १९२३ तक एक भी विगठन का उदाहरण देखने में नहीं आया ।

श्री बिस्वास: उस समय विगठन का कोई उदाहरण इसलिये नहीं देखने में आया होगा कि १८७२ के अधिनियम के अन्तर्गत दो हिन्दुओं में कोई भी विवाह होना सम्भव नहीं था ।

श्री एन० सी० चटर्जी: माननीय मंत्री से अधिक भला किसे ज्ञात होगा कि इस अधिनियम के अन्तर्गत हिन्दू विवाह करते थे ।

श्री कासलीवाल: किन्तु उन्हें यह घोषित करना पडता था कि वे अहिन्दू हैं ।

श्री एन० सी० चटर्जी: उन को झूठ बोलने के लिये विवश किया जाता था, और वे झूठ बोलते थे ।

वे हिन्दू थे, हिन्दू ही रहे और उन के समाज ने उन को अपना लिया । १८७२ से १९२३ तक ब्रह्म समाज के किसी नेता अथवा प्रगतिवादी नेता ने सरकार से कभी यह निवेदन नहीं किया कि उन्हें वर्तमान खण्ड १९ जैसे किसी उपबन्ध को बनाने की आवश्यकता है । इस अधिनियम के अन्तर्गत विवाह होते रहे और समांशिता में कोई भी विगठन नहीं हुआ । यदि इस अधिनियम के अन्तर्गत कोई हिन्दू लड़का किसी हिन्दू लड़की से विवाह कर लेता है तो इस पर किसी को कोई आपत्ति नहीं हो सकती और न उन का जाति अथवा परिवार से बहिष्कार ही किया जा सकता है क्योंकि वे इस अधिनियम के अन्तर्गत विवाह करते हैं वरन् उन का स्वागत किया जाता है । फिर इस प्रकार नियम बना कर सम्मिलित परिवार से उन का बहिष्कार करने के लिये उन्हें क्यों विवश किया जा रहा है ? इस विधि का आशय तो यह है कि लड़का अथवा लड़की चाहे या न चाहे किन्तु विच्छेद तो होगा ही अर्थात् इस अधिनियम के अन्तर्गत किये गये विवाहों में सम्मिलित परिवार का विच्छेद अवश्य होगा ।

सम्मिलित हिन्दू परिवार की विशेषता यह है कि जब तक वह समांशिता रहता है तब तक आप उस का विभाजन नहीं कर सकते और प्रत्येक सदस्य का अंश क्या होगा, इस का निर्धारण नहीं कर सकते हैं । किन्तु यदि लड़का चाहे तो निर्विवाद घोषणा के द्वारा विच्छेद कर सकता है । अतः संसद को क्या अधिकार है कि वह यह उपबन्ध बनाये कि लड़का या लड़की अथवा परिवार के सदस्य विच्छेद चाहते हैं या नहीं विच्छेद अवश्य होगा । जब इस के लिये विधि बनी हुई है तो फिर इसे यूं थोपने से क्या लाभ ?

कल भी मैं ने यही बात कही थी कि इस अध्याय की तथा खण्ड १९ की कोई आवश्यकता नहीं है । कलकत्ता तथा बम्बई जैसे औद्योगिक नगरों में ऐसी कितनी ही बड़ी बड़ी फर्में हैं जिन का संचालन प्रबन्ध अभिकरणों द्वारा किया जाता है । ऐसे प्रबन्ध अधिकरण तथा फर्में वास्तव में मिताक्षरा के अन्तर्गत समांशिता फर्में हैं, इस के बहुत से लाभ हैं । कोई भी बैंक इन फर्मों को उस समय तक रुपया नहीं देगा जब तक संयुक्त परिवार के सदस्य ओवर-ड्राफ्ट इत्यादि की गारन्टी न करें । हम चाहते हैं कि पंचवर्षीय योजनाओं की सफलता के लिये औद्योगिक विकास तथा निजी रूप से किया जाने वाला व्यापार निरन्तर फलता फूलता रहे । मान लीजिये कि बिड़ला परिवार का एक लड़का इस अधिनियम के अनुसार मद्रास में विवाह करता है । ऐसी दशा में इस खण्ड के फलस्वरूप उस के परिवार का फर्म तुरन्त ही टूट जायेगा जिस से व्यापार तथा उद्योग को बहुत हानि होगी ।

खण्ड २१ का रखना भी आवश्यक नहीं है क्योंकि इस के परिणामस्वरूप यदि कोई व्यक्ति इस अधिनियम के अन्तर्गत विवाह करेगा तो उस का उत्तराधिकार भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार

ही हो सकेगा। श्री पारिख ने भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के सम्बन्ध में अपनी नवीनतम पुस्तक में लिखा है कि इस अधिनियम का उत्तराधिकार सम्बन्धी अध्याय केवल यूरोपियनों तथा भारतीय ईसाइयों पर ही लागू होगा परन्तु विशेष विवाह अधिनियम के खण्ड २१ के द्वारा आप हर एक को उत्तराधिकार के इस विशेष नियम को मानने के लिये बाध्य कर रहे हैं। श्री वेंकटरामन् ने इस खण्ड का समर्थन करते हुये कहा है कि उन का उद्देश्य विधि का सब के लिये समान करना है। परन्तु यह भ्रममात्र है क्योंकि अब भी विवाह की हिन्दू विधि, मुसलमान विधि, उत्तराधिकार की हिन्दू विधि तथा अन्य विधियां इसी प्रकार बनी रहेंगी। यह क़दम बहुत ही अवांछनीय है। वास्तव में ऐसा जान पड़ता है कि इस विशेष विवाह अधिनियम के अनुसार विवाह को आप अनुचित समझते हैं इसलिये आप उसको संयुक्त परिवार से निकाल बाहर कर रहे हैं। यदि आप वास्तव में इसे अच्छा समझते हैं तो आप को ऐसा नहीं करना चाहिये।

इसी कठिनाई का अनुभव करने के लिये हमें एक उदाहरण पर विचार करना चाहिये। मान लीजिये कि किसी व्यक्ति ने एक हिन्दू स्त्री से विवाह किया और उस के चार लड़के हैं और वह अपने विवाह का विशेष विवाह अधिनियम के अन्तर्गत पंजीयन कराता है तो इस का परिणाम यह होगा कि उस के चार लड़के सम्पत्ति का ४/५ भाग लेकर अलग हो जायेंगे।

इस विधेयक के पारित होने के बाद यदि विवाह को रजिस्टर करा लिया जाये, तो चार लड़कों को सम्पत्ति का ४/५ भाग मिलेगा और पिता के पास केवल १/५ भाग रह जायेगा। यदि इसके बाद उस के चार लड़के और पैदा हों, तो इन्हें केवल १/५ भाग का ही कुछ अंश मिलेगा। उत्तराधिकार अधिनियम के अन्तर्गत विधवा को १/५ का एक तिहाई भाग मिलेगा।

श्री एन० पी० नथवानी: कोई पिता अपना विवाह इस अधिनियम के अन्तर्गत रजिस्टर करा कर क्यों इतनी मुसीबत मोल लेगा ?

श्री एन० सी० चटर्जी: वास्तव में इस का उद्देश्य यह है कि लोगों को इस अधिनियम के अन्तर्गत विवाह करने से रोका जाये या निरुत्साहित किया जाये। इसीलिये मैं कहता हूं कि इस प्रकार का असन्तोषजनक खंड न रखा जाये। यह प्रगतिशील विचारों के अनुकूल नहीं है और इस से असमता तथा विभेद पैदा होगा।

मैं ने दो संशोधन प्रस्तुत किये थे। खंड १५ के सम्बन्ध में मेरा निवेदन यह है कि न केवल उन विवाहों को जो कि १८७२ के विशेष विवाह अधिनियम या इस अधिनियम के अन्तर्गत किये गये हैं, बल्कि उन सब विवाहों को भी जो कि हिन्दू विधि के अन्तर्गत धार्मिक रूप से सम्पन्न हुये हैं, इस अध्याय के क्षेत्र में न रखा जाये। मैं पंडित ठाकुरदास भार्गव की इस बात का समर्थन करता हूं कि हिन्दू विधि, मुस्लिम विधि, बौद्ध, जैन या सिख विधि के अन्तर्गत सम्पन्न वैध विवाहों के मामले में हस्तक्षेप न किया जाये। इन विवाहों को रजिस्टर करना और इन्हें इस अधिनियम के अन्तर्गत लाना बिल्कुल निरर्थक है। हिन्दू विवाहों के सम्बन्ध में हिन्दू विवाह तथा विवाह-विच्छेद विधेयक बनाया जा रहा है। आप इन विवाहों को दोबारा इस विधेयक के खंड १५ के अन्तर्गत क्यों ले आते हैं ? माननीय विधि मंत्री कहते हैं कि वह मुस्लिम विवाह तथा विवाह-विच्छेद विधेयक भी प्रस्तुत करेंगे। मैं नहीं

[श्री एँन० सी० चटर्जी]

जानता कि वह कब ऐसा करेंगे, किन्तु उस अवस्था में मुस्लिम विवाहों को खंड १५ के अन्तर्गत ले आने का क्या लाभ है । यदि देश साथ दे, तो आप हिन्दू विवाह विधि में अवश्य सुधार करें किन्तु ऐसा परोक्ष रूप से नहीं, प्रत्यक्ष रूप से करना चाहिये । जैसा कि श्री भार्गव ने कहा है यह खंड हिन्दुओं के लिये एक धब्बा है और अपमानजनक है । मेरे विचार में श्री पोकर साहेब भी यही समझते होंगे कि यह मुस्लिमों के लिये भी अपमानजनक है । मेरा निवेदन है कि ये दोनों अध्याय अनावश्यक हैं ।

संयुक्त प्रवर समिति ने धारा १५ के खंड (ड़) में—"पक्ष निषिद्ध पीढ़ियों में से न हों"–यह जोड़ दिया है—"जब तक कि उन पर लागू होने वाली विधि, या रूढ़ि या विधि के समान प्रभावी प्रथा के अनुसार उन के बीच विवाह न हो सके।" यह सदन खंड ४ सम्बन्धी उस संशोधन को अस्वीकार कर चुका है जिस में 'निषिद्ध पीढ़ियों' के मामले में रूढ़ियों को भी रखा जाना था । अतः सदन को संयुक्त प्रवर समिति द्वारा प्रस्तावित इस संशोधन को भी छोड़ देना चाहिये ।

श्रीमती जयश्री (बम्बई—उपनगर) : मैं पंडित ठाकुर दास भार्गव और श्री चटर्जी से पूर्णतया सहमत हूं । मेरे विचार में खंड १५ से १८ तक को रखने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो कि अपने विवाहों को रजिस्टर कराने आयेंगे । इन खंडों से हमारी विवाह विधियों में गड़बड़ी पैदा होंगी । मैं खंड १९ को रखने के भी विरुद्ध हूं । श्री चटर्जी ने ठीक कहा है कि इस से संयुक्त परिवार जो कि व्यापार आदि करते हैं टूट जायेंगे और इस के कारण बहुत से लोग इस अधिनियम से लाभ नहीं उठा सकेंगे । अध्याय ३ की कोई आवश्यकता नहीं । इस अधिनियम के पारित होने के बाद भी लाखों हिन्दू स्त्रियां कष्ट उठाती रहेंगी । जब तक उन्हें सम्पत्ति का अधिकार नहीं दिया जाता और जब तक हिन्दू कोड विधेयक पारित नहीं होता, मेरे विचार में हिन्दू स्त्रियों को कोई लाभ नहीं पहुंचेगा । इस लिये मैं अध्याय ३ और खंड १९ का विरोध करती हूं ।

श्री डाभी : मैं पंडित ठाकुर दास भार्गव के खंड १५ सम्बन्धी संशोधन का समर्थन करता हूं ।

खंड १५ का उपखंड (घ) दोनों पक्षों को, चाहे विवाह निषिद्ध पीढ़ियों में भी हो रहा है, यदि रूढ़ि द्वारा उस विवाह की आज्ञा हो, तो उसे करने और इस अधिनियम के अधीन उसे पंजीबद्ध करवाने की आज्ञा देता । मेरे संशोधन संख्या ४३ में इन शब्दों को निकालने की मांग की गई है : "जब तक कि उन पर लागू होने वाली विधि या रूढ़ि या विधि के समान प्रभावी प्रथा के अनुसार उन के बीच विवाह न हो सके ।"

अतः यदि इस संशोधन को स्वीकार कर लिया जाये, तो यदि दोनों पक्ष इस अधिनियम के अधीन बताई गई निषिद्ध पीढ़ियों के हों, तो चाहे रूढ़ि इस प्रकार से विवाह की आज्ञा देती भी हो, तो भी उन्हें इस अधिनियम के अन्तर्गत अपना विवाह रजिस्टर करवाने नहीं दिया जायेगा । मेरा निवेदन है कि हमें रूढ़ि को इस अधिनियम पर छाने नहीं देना चाहिये । इस खंड का यह अर्थ है कि जो पक्ष खंड ४ के आवश्यक उपबन्धों से बचना चाहेंगे, वे स्वीय विधि के अधीन विवाह करवा लेंगे और उस से बाद इस अधिनियम के अधीन अपने विवाह

रजिस्टर करवा लेंगे । अतः इस प्रकार के विवाहों को रजिस्टर करवाने देना बिल्कुल उचित नहीं है। जब आप ने इस अधिनियम में विवाह के लिये यह आवश्यक शर्त रख दी है, तो उस के उपबन्धों से बचने की आज्ञा देना अधिनियम की प्रवंचना मात्र है ।

खंड ४ पर बोलते हुये माननीय विधि मंत्री ने ७-९-१९५४ को यह कहा था:--

> "यह विधि सारे भारत के लिये है, किसी विशेष भाग के लिये नहीं । यह केवल दक्षिण भारत के लिये नहीं है अपितु दक्षिण भारत, उत्तर भारत, पूर्व भारत तथा पश्चिम भारत के लिये है । हम सारे भारत के लिये विधान बना रहे हैं । अतः इस दृष्टिकोण से देखते हुय यह उचित नहीं है कि निषिद्ध पीढ़ियों में विवाह हो । और सभी जगह विधि इसी प्रकार रही है ।"

यदि ऐसा है तो उन्हें मेरा संशोधन संख्या ४३ स्वीकार कर लेना चाहिये, अतः रूढ़ि कदापि लागू नहीं होनी चाहिये ।

इस के अतिरिक्त मैं ने खंड १५ के उपखंड (ङ) के बारे में भी संशोधन प्रस्तुत किया है । मैं माननीय मंत्री से प्रार्थना करता हूं कि वह मेरे संशोधन संख्या ४३ पर फिर से विचार करें ।

श्री बिस्वास: यदि सभा इस संशोधन को स्वीकार कर ले तो मुझे तो इस से बड़ी प्रसन्नता होगी । मैं इसे समझौते के रूप में मान लूंगा ।

श्री मुहीउद्दीन (हैदराबाद नगर) : श्री वेंकटरामण ने कहा है कि विशेष विवाह विधेयक एक सामान्य व्यवहार संहिता का उपबन्ध करता है । यह एक वांछनीय प्रयास है किन्तु हम देखते हैं कि इस विधेयक के विभिन्न खंडों द्वारा कितनी ही बाधायें उपस्थित कर दी गई हैं । उदाहरणतया जैसे ही कोई हिन्दू लड़का या लड़की अपना विवाह इस अधिनियम के अन्तर्गत पंजीबद्ध करायेगा वह अपने समांशी परिवार से पृथक् समझा जायेगा । इसी प्रकार खंड २१ में यह उपबन्ध है कि जो व्यक्ति अपना विवाह इस अधिनियम के अन्तर्गत पंजीबद्ध करायेगा उसे भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम लागू हो जायेगा । यह सभी उपबन्ध लोगों को इस अधिनियम का उपयोग करने से रोकते हैं । ऐसा जान पड़ता है मानों हम एक और प्रकार की स्वीय विधि का सूत्रपात कर रहे हैं ।

मैं यह सुझाव देना चाहता हूं कि इस विशेष विवाह विधेयक को बहुपत्नीत्व की प्रथा को समाप्त करने और एक पत्नीत्व को प्रोत्साहन देने पर विशेष बल देना चाहिये । किन्तु इस के साथ ही साथ उत्तराधिकार के बारे में उन्हें अपना अपना स्वीय विधियों का अवलम्बन करने की स्वतन्त्रता होनी चाहिये । नहीं तो लोग इस विधि का उपयोग करने से घबराया करेंगे ।

हमें पंडित ठाकुर दास भार्गव के उस संशोधन पर विचार करना चाहिये जिस का आशय यह है कि विवाह के दोनों पक्ष विवाह के समय यह घोषणा कर सका करेंगे कि उन्हें सम्पत्ति के न्यसन के बारे में कौन सी विधि लागू होगी । यदि इसे मान लिया जाये तो मुझे विश्वास है कि विशेष विवाह अधिनियम देश के सभी सम्प्रदायों द्वारा पसन्द किया जायेगा, क्योंकि इस से एक पत्नीत्व को प्रोत्साहन मिलेगा जो कि एक अत्यन्त वांछनीय सुधार है ।

सभापति महोदय: श्री वी० जी० देशपांडे। लकिन माननीय सदस्य से मेरी प्रार्थाना है कि वह अपने स्थान से ही बोलें।

श्री वी० जी० देशपांडे : यह जो विधेयक सदन के सम्मुख रक्खा गया है उस में मेरी समझ में १५, १६, १७, १८ १९, २० और २१ यह सात धारायें जो हैं उन का परिणाम अत्यन्त अनर्थकारी है जिस को अंगरेज़ी में 'मिस्चिवस' कहते हैं। यह इस प्रकार की धारायें हैं। मेरी समझ में नहीं आता है कि उन को क्यों रक्खा गया है। यह बात तो समझ में आ सकती है, जैसा कि श्री वेंन्कटारमन् नें कल कहा था, कि दक्षिण हिन्दुस्तान में ऐसे बहुत से विवाह हो रहे हैं जिन की वैधता बड़ी विवादास्पद है। उन के बारे में तो इन धाराओं को समझ सकता हूं, लेकिन जिन का विवाह वैधानिक रीति से, कानूनी तरीक़े से, बहुत अच्छा और जायज है, उन के बारे में पुनर्विवाह का विचार क्यों किया जा रहा है यह समझ में नहीं आता है। एक बात तो हो सकती है कि इस प्रकार से रोमैन्टिक रिवाइवल अर्थात् प्रणय पुनरुज्जीविन करना चाहते हैं, परन्तु उस काव्यमयता का विचार हम आज यहां नहीं कर रहे हैं।

बहुत से लोगों ने बताया कि यदि मनु और याज्ञवल्क्य विधान बना सकते थे तो आज हम को भी अधिकार है, भले ही हमारी बुद्धि सामान्य हो, लेकिन एक स्थान पर आ कर हम विधान बना सकें। मेरा कहना इतना ही है कि आप बड़े महान् हैं, याज्ञवल्क्य और मनु से भी ज्यादा विद्वान्, तपस्वी और गुणी हैं, लेकिन इतना जानने के पश्चात् भी में कहूंगा कि यदि आप इस का विचार करते हैं तो आप की कृति का परिणाम केवल एक दो व्यक्तियों पर ही नहीं, आज की पीढ़ियों पर नहीं, बल्कि भविष्य पर होने वाला है। यह समझ कर कि आप जो जो कदम उठाते हैं उस का प्रभाव भविष्य में आप की पीढ़ियों पर होने वाला है इसलिये कदम उठाने के पहले आप को ठीक तरीके से सोच विचार कर लेना चाहिये। यह सवाल केवल एक पति और पत्नी का ही नहीं है जिन के विवाह पूर्व में हो चुके हैं उन के बच्चे भी हैं। यहां यह बातें भी आप के सम्मुख कही गई हैं कि जिन के विवाह हो चुके हैं उन के पुत्र तथा पौत्र भी हैं, ऐसे भी लोग जा कर, वृद्ध पुरुष और वृद्धा स्त्री भी जा कर अपना विवाह रजिस्टर करा सकते हैं। क्या कारण है कि जिस के लिये हम सैक्रामेन्टल मैरेजेज़ अर्थात् संस्कार से जो विवाह हुये हैं, उन को नष्ट करनें के लिये जा रहे हैं। मेरा कहना है कि हम ने अग्नि और ब्राह्मण के समक्ष आने के पश्चात् धर्म, काम और अर्थ :

धर्मे च अर्थे च कामे च नातिचरामि
नातिचरामि नातिचरामि।

तीनों की शपथ लेने के पश्चात् हम फिर रजिस्ट्रार के पास जाते हैं। इस में कौन सी गम्भीरता का निर्माण होता है, यह मेरी समझ में नहीं आता है।

आगे चल कर यह कहा गया है कि उन को मोनोगैमी और डाइवोर्स दोनों चीजें दी गई हैं। एक पत्नीव्रत और तलाक़ औरत और आदमी दोनों के लिये दिये जा रहे हैं। मैं समझता हूं कि जिन का विवाह कुछ दिन पूर्व हो चुका है, जिन के पुत्र और पौत्र भी हो चुके हैं, उन के लिये तलाक़ की बहुत आवश्यकता है, ऐसा समझने का कोई कारण नहीं है। फिर यह कानून बनाते समय ज्वायंट सैलक्ट कमेटी के अन्दर विवाह का जो तरीक़ा तैयार किया गया है वह प्रहिबिटेड डिगरीज़ का विचार करने के पश्चात् सापिण्ड्य का विचार कर के बनाया गया

है। जैसे मैं ने पहले बताया था कि उस में दिया हुआ था कि दादी के साथ शादी नहीं होगी, पोती के साथ शादी नहीं होगी। आप ने सापिंड्य का ठीक से विचार नहीं किया है, और उस रिवाज को आप यहां लाना चाहते हैं। साथ में इन रिवाजों के साथ जो विवाह पहले हो चुके हैं, उन का भी विवाह आप इस कानून की १५वीं धारा के अन्तर्गत करना चाहते हैं। उन का विवाह फिर करना चाहते हैं जिन्हों ने पुरानी रिवाजों में रह कर विवाह किया और विवाह करने के पश्चात् जिन के पुत्र और पौत्र हो चुके हैं।

और भी बहुत सी बातें इस में दी गई हैं १८, १९, २० और २१ क्लाज़ों में। कल तो मैं देखता था कि हमारे जो विधि मंत्री हैं उन्हों ने कन्फ्यूज़न वर्स कन्फाउन्डेड कर दिया। जो शादी तीस साल पहले हो चुकी है और वह आज १९५४ में विवाह का रजिस्ट्रेशन कराने जाता है तो उस के जो रजिस्ट्रेशन के पहले के लड़के होंगे उन के नाम भी रजिस्टर हो जायेंगे। यानी विवाह में जिस बहू की रजिस्ट्री होगी वह अपने साथ पुत्र और पुत्री को भी ले कर घर में आयेगी सवत्स धेनु आपके घर आयेगी। यह कहने के पश्चात् विधि मंत्री से यह पूछा गया कि अभी किसी का सीवियरेन्स फ्राम कोपार्सनरी होता है और जो अविभक्त कुटुम्ब है वह टूट जाता है तो यह होने के पश्चात उस के पुत्र का क्या होगा। हमारे विधि मंत्री ने इस के जवाब में बताया कि जो लड़का होगा रजिस्ट्रेशन होने के कारण उस पर असर नहीं होगा। मैं मानता हूं कि उस पर असर नहीं पड़ेगा, परन्तु उस का कितना अनर्थकारी परिणाम हो सकता है यह आप देख सकते हैं। मैं समझता हूं कि व्यक्ति विवाह एक पत्नीव्रत के लिये नहीं करेंगे, न ही डाइवोर्स के लिये करेंगे। हिन्दुस्तान में एक समान संहिता हो इस के लिये भी नहीं करेंगे अगर विवाह करेंगे तो इस लिये करेंगे कि लड़के को कोई अधिकार न मिले। लड़के को अधिकार न मिलने की यह बातें हो सकती हैं। पंजाब के अन्दर मिताक्षरा ला के अनुसार लड़का पिता के जीवित होते हुये उस की जायदाद में से अपना हिस्सा नहीं मांग सकता है।

पंडित ठाकुर दास भार्गव: नहीं मांग सकता है।

श्री वी० जी० देशपांडे: पंजाब में नहीं मांग सकता है लेकिन बाक़ी हिन्दुस्तान में मांग सकता है। पंजाब में मिताक्षरा के बारे में थोड़ा अपवाद किया गया है।

इस प्रान्त में हिन्दू मिताक्षरा विधि से शासित हैं। इस विधि के अनुसार जब कि पिता और पुत्र एक ही संयुक्त हिन्दू परिवार के सदस्य हैं तो पुत्र अपने पिता के जीवन काल में और उस की (पिता की) इच्छा के विरुद्ध भी सम्पत्ति के विभाजन का अधिकार जता सकता है। पंजाब के मुख्य न्यायालय की पूरी बेंच ने निर्णय दिया है कि हिन्दू विधि की मिताक्षरा पद्धति के अधीन अपने पिता के जीवन-काल में पुत्र सम्पत्ति का विभाजन कार्यान्वित करा सकता है।

श्री एन० सी० चटर्जी: बम्बई में भी ऐसी ही विधि है। बम्बई में यह निर्णय दिया गया है कि पिता की स्वीकृति के बग़ैर पुत्र विभाजन का अधिकारी नहीं है; यदि पिता अपने पिता, भाइयों अथवा दूसरे साझीदारों के साथ संयुक्त रूप में रहता है।

श्री वी० जी० देशपांडे: बाम्बे में भी मिताक्षरा स्कूल ही है। मिताक्षरा में हमारे यहां भी यही होता है कि पिता के जीवित होते हुये पिता की अनुमति से ही पुत्र जायदाद का पार्टीशन मांग सकता है, लेकिन पंजाब के अन्दर लड़का पार्टिशन नहीं मांग सकता

[श्री वी० जी० देशपांडे]

है । विवाह इस लिये भी रजिस्टर किये जायेंगे कि एक लड़का पिता के जीवित होते हुये भी अविभक्त कुटुम्ब की जो जायदाद है, उस को तोड़ने के लिये प्रीपर्टी का पार्टीशन चाहता है ।

बड़े दुर्दैव की बात है कि जो हमारे विधान मंत्री हैं वे समय समय पर यहां से निकल जाते हैं और सदन में जो विवाद होता है उस को सुनने के लिये कोई मंत्री नहीं है ।

कई माननीय सदस्य: यहां कोई मंत्री नहीं है ।

श्री एस० एस० मोरे (शोलापुर): हमें चर्चा स्थगित कर देनी होगी ।

श्री पी० एन० राजभोज (शोलापुर—रक्षित—अनुसूचित जातियां) : यहां कोई मिनिस्टर नहीं है ।

एक माननीय सदस्य: श्री वेंकटरामन भी नहीं हैं ।

सरदार ए० एस० सहगल (बिलासपुर): लेकिन श्री वेंकटरामन मंत्री नहीं हैं ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव: सरदार ए० एस० सहगल तो हैं जो प्रतिनिधित्व कर सकते हैं ।

सरदार ए० एस० सहगल: नहीं, मैं वहां नहीं बैठ सकता ।

श्री एस० एस० मोरे: माननीय सदस्य श्री वी० जी० देशपांडे रिक्त बेंचों की ओर सम्बोधन नहीं कर सकेंगे ।

श्री एन० सी० चटर्जी: सभापति महोदय, आप को स्मरण होगा कि अध्यक्ष ने यह निर्णय दिया था कि कैबिनेट के कम से कम एक सदस्य की उपस्थिति आवश्यक

सभापति महोदय: हमें कुछ मिनिट तक प्रतीक्षा करनी चाहिये ।

श्री वी० जी० देशपांडे : मैं बोलूं या न बोलूं ।

श्री भागवत झा आज़ाद: (पूर्निया व संथाल परगना) : जब एक भी मंत्री न हो तो सभा की बैठक स्थगित हो जानी चाहिये ।

श्री अलगू राय शास्त्री (ज़िला आज़मगढ़—पूर्व व ज़िला बलिया—पश्चिम): यह सही है ।

श्री गिडवानी (थाना) : दो उपमंत्री और नियुक्त कर दीजिये । यही समस्या का हल है ।

आचार्य कृपलानी: किसी कांग्रेसी को सरकारी बेंचों पर बैठ जाना चाहिये ।

सभापति महोदय: सभा में माननीय सदस्य की अत्यधिक आवश्यकता थी ।

श्री बिस्वास: लेकिन विधि मंत्री तो अत्यन्त आवश्यक कार्य से ही सभा के बाहर जाते हैं ।

श्री वी० जी० देशपांडे : सभानेत्री महोदया, इस सदन में हमारे विधि मंत्री श्री बिस्वास जी ने इस कानून में यह धारा सम्मिलित करके हिन्दू जाति और विधान की परम्पराओं के साथ विश्वासघात किया है और मैं कहूंगा कि इस धारा के जो परिणाम होने वाले हैं उन को आप १८वीं धारा में देखिये ।

उस में तीन बातें हैं। पहली यह कि एक तो संस्कार से विवाह होगा, फिर जिस दिन रजिस्टर में एंट्री होगी उस दिन दूसरा विवाह समझा जायगा । बच्चों के बारे में तीसरा कानन है कि जिस दिन से विवाह

संस्कार हुआ उस दिन से जितने बच्चे हों वे उनके बच्चे समझे जायेंगे । हमारे यहां शास्त्रों में भी यह विचार है कि जिस का खेत उस की फसल मानी जाती है । और उन को क्षेत्रज कहते हैं । ऐसा ही यहां भी मालूम होता है । और इस में वर्सा के लिये यह किया गया है कि जिस दिन से यह विवाह होगा उस दिन से वह अपने मां बाप से तो अलग हो ही जायेगा, यही नहीं बल्कि वह अपने बच्चों से भी अलग हो जायगा । यह कानून जो आप वात्सल्य और सहानुभूति के गुणों को बढ़ाने के लिये ला रहे हैं उस का परिणाम यह होगा कि वह आदमी अपने माता पिता से निकल जायेगा और अपने बच्चों से भी, चाहे वे छोटे बच्चे हों, निकल जायगा क्योंकि मिताक्षरा के अनुसार कनसेप्शन के दिन से बच्चे को उत्तराधिकार का अधिकार हो जाता है । तो इस दृष्टि से वह अपने पहले बच्चों से अलग हो जायेगा । इसका परिणाम यह होगा कि पहले लड़कों के लिये एक कानून होगा और बाद के लड़कों के लिये दूसरा कानून होगा । मैं तो देखता हूं कि आज शब्दों के अर्थ बदल गये हैं । इस प्रोग्रेसिव काल में जहां यूनीफार्मिटी लाने का प्रयत्न किया जा रहा है वहां मैं ट्रिमेंडस डाइवर्सिटी देख रहा हूं । एक फैमिली में बाप के लिये अलग कानून, उस के एक बच्चे के लिये एक कानून और दूसरे बच्चों के लिये दूसरा कानून । यह बड़ी यूनीफार्मिटी हमारे विधि मंत्री लाना चाहते हैं इस देश में और इसीलिये मैं इस स्पेशल मैरिज बिल का समर्थन नहीं करता । यह बिल देश का, समाज का और हिन्दू संस्कृति का नाश करने वाला है, ऐसा मैं इस को मानता हूं ।

इसमें क्लाज़ १५ को मैं बहुत बुरा समझता हूं । जिन को बच्चे नहीं हुये हैं अगर वे अपने को रजिस्टर कराते हैं तो वह यह जानकर आते हैं कि इसमें आने का क्या परिणाम होगा और हमारे लड़के बच्चों पर कौनसा कानून लागू होगा । जिनको क्रिश्चियन ला से अपने को गवर्न कराना पसन्द हो वे आ सकते हैं यद्यपि मैं तो उस को अच्छा नहीं समझता । लेकिन जिनके बच्चे हो गये हैं अगर वे अपने को रजिस्टर करवाते हैं तो उनके बच्चों के साथ अन्याय होगा । ऐसा वही लोग कर सकते हैं जो अपने बच्चों के साथ अन्याय करना चाहें । पहले के बारे में तो यह कहा जाता है कि लड़के को अधिकार है कि वह अपनी प्रापर्टी को बंटा सकेगा । कहने के लिये यह बात ठीक है लेकिन मिस्टर मोरे जैसे विधिज्ञ दूसरा मत भी दे सकते हैं और आप जानते हैं कि जब दो वकीलों में मतभेद होता है तो उसका क्या परिणाम निकलता है । मैं देखता हूं कि इस कानून की धारा १५ से १८, १९ तक की धाराओं के बहुत बुरे परिणाम होंगे । यह बात ठीक है कि जो लोग आज यह चाहते हैं कि हम क्रिश्चियन ला में जाना चाहते हैं वे रजिस्टर करवा लें लेकिन मैं नहीं समझता कि पुरानी शादियों का रजिस्ट्रेशन क्यों होना चाहिये । हम आज इस कानून को बड़े उत्तरदायित्व के साथ बना रहे हैं । इसलिये हमको यह देखना चाहिये कि कहीं यूनीफारमिटी लाने के बदले हम डाइवर्सिटी न ले आवें । कहीं ऐसा न हो कि देश में शान्ति, समाधान, प्रगति के बदले प्रतिवाद का उदय हो जाये जो कि इस विवाह-विच्छेद के कारण हो सकता है । आप जिस उद्देश्य से इस कानून को बनाना चाहते हैं वह अच्छा है पर आप यह देखें कि इस कानून से वह उद्देश्य पूरा भी होता है । मेरे विचार से यदि आप इसमें ये चीज़ें रखेंगे तो वह उद्देश्य पूरा नहीं होगा । ठाकुर दास जी का जो संशोधन है वह किसी हद तक ठीक है ऐसा मैं मानता हूं । ऐसा हो सकता है कि कोई प्रगतिशील व्यक्ति इस कानून में शादी करना चाहे लेकिन वह इंडियन

[श्री वी० जी० देशपांडे]

सक्सेशन ऐक्ट को जो कि क्रिश्चियन सक्सेशन ऐक्ट है अपने ऊपर न लादना चाहता हो और अपने परसनल ला के अन्दर रहना चाहता हो तो आप उसको ऐसा करने की अनुमति क्यों नहीं देना चाहते । कारण यह है कि हमारे परसनल ला हमारी आर्थिक, सामाजिक और धार्मिक परिस्थितियों को ध्यान में रख कर बनाये गये हैं और वह हमारे लिये ज्यादा उपयुक्त हो सकते हैं । हमारा कृषि प्रधान देश है और हमने देखा है कि इस अनडिवाइडेड फैमिली ने हम को बड़ा लाभ दिया है । मैं नहीं समझ सकता कि ऐसे कानून की जगह हम हज़ारों मील दूर की एक नयी उत्तराधिकार की पद्धति को क्यों लाने का प्रयत्न करें । पंडित ठाकुर दास जी ने कहा था कि यह शर्त तो डाक्टर गौड के लिये लगायी गयी थी कि अगर वह इस शर्त को मान लेंगे तो उनका विधेयक स्वीकार कर लिया जायेगा । पर आप अब इस शर्त को क्यों यहां ज़रूरी बनाना चाहते हैं । आप इस शर्त को क्यों लाना चाहते हैं । जो इंडियन सक्सेशन ला है, वह वास्तव में क्रिश्चियन सक्सेशन ला है । मैं पूछना चाहता हूं कि आप इस को क्यों लाना चाहते हैं । हमारा परसनल ला हमारे देश का ला है और हमारी परिस्थितियों के अनुसार बना है । मैं तो कहूंगा कि यहां पर इंडियन सक्सेशन ऐक्ट किसी को भी लागू नहीं होना चाहिये । सब को परसनल ला लागू होना चाहिये । मेरे कुछ साथी इस कानून से विवाह करने वालों के लिये सक्सेशन ऐक्ट को बहुत अच्छा मानते हैं । लेकिन मुझे तो कोई ऐसी अच्छाई इसमें दीखती नहीं । मैं तो समझता हूं कि इस सक्सेशन ऐक्ट से हमारी स्त्रियों को और समाज को कोई लाभ नहीं हो सकता । मैं चाहता हूं कि यह किसी के लिये भी नहीं लागू होना चाहिये ।

आप देख रहे हैं कि इस विवाह पद्धति में केवल मोनोगमी और डाइवोर्स नहीं है यह तो इनडाइरेक्ट तरीक़े से सब को क्रिश्चियन बनाने वाला साबित होगा । इस देश के परसनल ला में दखल देकर हम ऐसे क़ानून बनाने जा रहे हैं जो इस देश के लोगों की कल्पना के विरुद्ध हैं और बहुत सी ऐसी चीज़ें जो उन को पसन्द नहीं उन पर लादने का इस बिल के द्वारा प्रयत्न हो रहा है ।

हमारे मित्र श्री वैंकटरामन् ने बतलाया कि हम इस देश के अन्दर एक औप्शनल यूनिफार्म सिविल कोड का निर्माण करना चाहते हैं, एक वैकल्पिक एकतावादी इस प्रकार की एक नई पद्धति हम इस देश में लाना चाहते हैं, लेकिन मेरी समझ में नहीं आता कि यह वर्तमान बिल जिस रूप में है उससे कैसे आपका उद्देश्य और लक्ष्य पूरा होगा । आप देखते हैं कि केवल स्वयं ही के लिये नहीं बल्कि अपने पुत्र और पौत्र के बारे में झगड़ा पैदा करने वाली आपने यह वर्तमान पद्धति अपनायी है जो कि विनाशकारी सिद्ध होगी । इसलिये मैं इस पार्लियामेंट के सदस्यों से, सभानेत्री जी, आपके द्वारा प्रार्थना करूंगा कि चूंकि इस क़ानून का असर आपके भविष्य पर पड़ने वाला है और इसके परिणामस्वरूप बहुत प्रकार की विचित्र परिस्थितियां हमारे सामने आयेंगी और जिनका हमें सामना करना पड़ेगा, इस लिये यह बहुत आवश्यक है कि हम एक सुधार या प्रगति के उत्साह में यहां पर इस प्रकार का कानून स्वीकार न करें जिसका परिणाम हमारे लिये अनिष्टकारी हो और मैं उसके लिये आप सब को सावधान करना चाहता हूं ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती (बसिरहाट) : मैं संशोधन संख्या १३६ का प्रस्ताव करती

हूं । इन खंडों पर वाद-विवाद के दौरान विधेयक के उद्देश्य के सम्बन्ध में दृष्टिकोणों में व्यापक मतभेद रहा है । उसे भली प्रकार समझे बिना, मेरी आशंका है कि विधेयक के विचित्र खंडों के प्रति हम भ्रामक दृष्टिकोण अपना लेंगे । हम यह अनुभव करते हैं कि विभिन्न वैयक्तिक विधियों के विद्यमान होते हुये ही हमें विवाह, उत्तराधिकार आदि के सम्बन्ध में एकरूप संहिता अपनानी चाहिये । देश की वस्तुस्थिति को विस्मृत कर सिद्धान्तों पर दृढ़ बने रहने से कोई लाभ नहीं है । जो भी व्यक्ति इनसे लाभान्वित होने के इच्छुक हैं हमें उनको प्रसन्नता की किरण अर्पित करना चाहिये । आज के दुःखी वर्ग को इससे लाभ उठाने का अवसर देना चाहिये । हमारी इच्छा है कि देश के अधिक से अधिक व्यक्ति—जो आज पंजीयन के प्रति द्वेश-भावना रखते हैं अथवा समाज से भयभीत हैं—प्रस्तुत विधेयक का लाभ उठायें । हमें उन्हें उत्साहित करना चाहिये । हमें सदन के समक्ष यह बात स्पष्ट कर देनी है कि लोग क्रमशः एकरूप संहिता स्वीकार कर लें और इसीलियें हम ने आज इसे अनुमति पूर्ण व्यवस्था के रूप में बना रखा है ।

हमें स्वयं अधिनियम के सम्पूर्ण उद्गम परं ध्यान देना चाहिये । यह १८७२ में पारित किया गया था । उस समय यह उन उदार हिन्दू धर्मावलम्बियों के लिये पारित किया गया था जो शालग्राम शिला में विश्वास नहीं रखते थे, जिन्हें अग्नि शिखा के परम्परागत रूप में आस्था नहीं थी । उक्त विवाहों को वैध रूप देने की दृष्टि से ही ब्रह्म समाज के नेता केशव चन्द्र सेन इस प्रकार का अधिनियमन चाहते थे । मैं अपने मित्र श्री चटर्जी से कह देना चाहती हूं कि यह सच है कि हम हिन्दू सामाजिक रीति-रिवाजों और प्रथाओं को मानते हैं लेकिन बचपन में मैं ने जो सुना था वह भी सच है कि किस प्रकार हमारा बहिष्कार किया जाता था । ब्राह्मणों और समाज के कट्टर पंथी वर्ग के लोगों के साथ हम बैठ कर खाना नहीं खा सकते थे । हमें विश्वास है कि अधिक से अधिक व्यक्ति इसका उपयोग करेंगे ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : क्या मैं माननीया सदस्या से एक प्रश्न पूछ सकता हूं ? दो दिन पूर्व श्रीमती सुषमा सेन ने कहा था कि श्री केशव चन्द्र सेन शास्त्रोक्त विवाह में विश्वास रखते थे । क्या यह सच है ?

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : मैं नहीं समझती कि वह 'शास्त्रोक्त विवाह' से क्या समझते हैं । हम ब्राह्मों सम्प्रदाय के अनुयायी शास्त्रोक्त विवाह में विश्वास नहीं रखते हैं यदि उसका प्रयोजन 'शालिग्राम शिला' के समक्ष उपस्थित होकर अग्नि के सामने शपथ लेने से है । मैं ब्राह्मो समाज के सिद्धान्तों की कोई बहुत बड़ी ज्ञात्री नहीं हू और न मुझे उसका विस्तृत इतिहास ही मालूम है । लेकिन मैं ने जो कुछ सुना हे वह यही है ।

अब, एक प्रश्न उन व्यक्तियों के विषय में है जिनका विवाह बीस या तीस वर्ष पहले हुआ था । और यदि वे चाहें तो पंजीकरण करा सकते हैं । लेकिन ऐसा बहुत कम अवस्थाओं में हो सकता है । लेकिन जब तक हिन्दू विवाहों के पंजीकरण के विरुद्ध वैमनस्य की भावना है और जब तक हम एक रूप संहिता की रचना नहीं करते हैं मेरा विचार है कि हमें ऐसे विवाहों का उपबन्ध करना चाहिये जो परम्परागत पद्धति पर, सवेरे तय हों और उसके बाद तुरन्त ही पंजीकृत हो जायें ।

मैं बहुत से मामले जानती हू, हमें व्यावहारिकता की ओर देखना चाहिये । हमें देखना चाहिये कि हमारे आसपास क्या हो रहा है ; माता-पिता तो अपने बच्चों के

[श्रीमती रेणु चक्रवर्ती]

विवाहों का पंजीकरण कराना चाहते हैं लेकिन वे समाज से डरते हैं। अतः वे शास्त्रोक्त क्रियाओं के अनुसार विवाह करते हैं लेकिन फिर भी उनका पंजीकरण कराना चाहते हैं।

जब मैं ने प्रवर समिति में यह कहा—पोकर साहेब से मेरी प्रार्थना है कि वह इसे सुनें—तो एक मुस्लिम सदस्य ने बार बार आग्रह किया कि—"हमें भी इसमें सम्मिलित कर लिया जाये; हमारा समाज दकियानूसी विचारों का है लेकिन सुधारवादी प्रवृत्ति के लोग अपने बच्चों का विवाह इस विधि के अधीन पंजीकृत कराना चाहते हैं"। वे चाहते हैं कि एक पत्नी विवाह उनके यहां भी लागू किया जाये। अतः मैं यह अनुभव करती हूं कि इस प्रकार के विवाहों को पंजीकृत करना आवश्यक है। मेरा विचार है कि अपने विवाह को पंजीकृत कराने वाले सब व्यक्तियों को हर प्रकार का प्रोत्साहन दिया जाना चाहिये कम से कम हम यह तो कर सकते थे कि निषिद्ध पीढ़ियों के भीतर रूढ़िवादी पद्धति से किये गये विवाहों के पंजीयन को इस में सम्मिलित कर लें। इसीलिये मैं इस अध्याय का उसके अपने पूर्ण रूप में समर्थन करती हूं।

जहां तक निषिद्ध पीढ़ियों का सम्बन्ध है यदि इसका निर्णय मुझे पर छोड़ दिया जाये तो, और यदि मैं बहुमत को इसके लिये तैयार कर सकी तो में निस्सन्देह ही निषिद्ध पीढ़ियों के अन्तर्गत विवाहों पर रोक लगा दूंगी। लेकिन हम इस पर रोक नहीं लगा रहे हैं, परम्परागत विधि के अन्तर्गत हम इसकी अनुमति दे रहे हैं। जब तक हम यह नहीं देखते हैं कि अधिकांश व्यक्ति प्रस्तुत अधिनियम के अधीन विवाह करते हैं तब तक हमें जनमत को अपने साथ करना चाहिये। हम वैयक्तिक विधि के अधीन इस प्रकार के विवाह की अनमति देते हैं तब कोई कारण नहीं है कि हम उन्हें प्रस्तुत अधिनियम के अधीन पंजीकरण की अनुमति क्यों नहीं देते हैं। हमें सदैव रूढ़िवादी नहीं होना चाहिये। विवाह सम्बन्धी और सामाजिक विधियों कठिनाई से समाप्त होती हैं। विधि निर्माण में हमें कल्पना से काम लेना चाहिये और देश में प्रचार करना चाहिये। सामाजिक विधियों का अधिनियम अत्यन्त दुष्कर कार्य है। कतिपय सिद्धान्तों के प्रति हमारे विचार कितने ही दृढ़ क्यों न हों लेकिन हमें यथार्थ स्थिति की ओर देख कर आगे बढ़ना चाहिये।

उत्तराधिकार का प्रश्न अत्यन्त जटिल है। अनेक कानून विशारदों ने इस पर अपनी सम्मति प्रकट की है मैं तो उन में से नहीं हूं। मैं केवल एक माता, एक नारी के रूप में यह बताऊंगी कि हमारे बच्चों के प्रति हमारी क्या दायित्व होना चाहिये। हम चाहते हैं कि हमारी सन्तान औरस हो। नारी के रूप में अभी भी मेरा यही विचार है कि पिताओं और माताओं के पाप के लिये आप बच्चों को क्यों दण्ड देते है। यदि आप चाहें तो पिता और माता को दण्ड दीजिये लेकिन बच्चों को दण्ड देने का आप को क्या अधिकार है। हमें ऐसा नहीं करना चाहिये।

मैं ऐसे बहुत से व्यक्तियों को जानती हूं जिन्होंने अपने बच्चों का विवाह प्रस्तुत अधिनियम के अधीन पंजीकृत कराने का विचार कर लिया है। दायभाग पद्धति पर इसका इतना प्रभाव नहीं पड़ता है जितना मिताक्षरा पद्धति पर पड़ता है। इसी दृष्टिकोण को ध्यान में रख कर मैं यह कहती हूं कि हमें इनमें भेद भाव नहीं करना चाहिये। यदि हिन्दू विधि के अन्तर्गत सम्पत्ति का

अधिकार होता तो हम इतनी कठिनाई नहीं उठाते । हिन्दू विधि में स्त्रियों और पुत्रियों को उत्तराधिकार का अधिकार नहीं दिया गया है । लेकिन हमें यह तथ्य भी मानना पड़ेगा कि भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के कुछ अच्छे पहलू भी हैं । इसीलिये मैं ने यह संशोधन प्रस्तुत किया है कि विवाह का पंजीकरण करते समय उन्हें इस बात की छूट दी जाये कि वे चाहें तो भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम से शासित हो सकते हैं अथवा स्वीय विधि से ।

अब मैं दूसरे प्रश्न की ओर आती हूं । मेरा विचार है कि ऐसे व्यक्ति बहुत कम हैं जो २० वर्ष बाद अपने विवाहों का पंजीकरण करायेंगे । क्या इसका अर्थ यह होगा कि उन के कुछ बालक स्वीय विधि से शासित होंगे और दूसरे बालक भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम से शासित होंगे ?

श्री एस० एस० मोरे : पंजीकरण के पहले के बालक स्वीय विधि से शासित होंगे (**अन्तर्बाधा**) इससे जटिलता उत्पन्न हो जायेगी ।

श्री टेकचन्द : एक ही पक्ष के पूर्वजों (कालेटरल) के उत्तराधिकार के सम्बन्ध में क्या है ?

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : मैं इसका अर्थ नहीं जानती हूं ।

श्री टेकचन्द : इसीलिये अज्ञान ने वरदान का रूप धारण कर लिया है ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : हम यहां साधारण व्यक्तियों की भांति मानवीय सम्बन्धों पर निर्णय करने आते हैं । जो व्यक्ति विधि का निर्माण करते हैं उन के सामने हमें अपनी सम्मति व्यक्त करने का पूरा अधिकार है ।

सभापति महोदय : अब मैं वह संशोधन प्रस्तुत करता हू जिसे श्रीमती रेणु चक्रवर्ती प्रस्तुत करना चाहती हैं ।

संशोधन प्रस्तुत हुआ—

पृष्ठ ७ पर पंक्ति ६ के अन्त म

"Provided either part makes a declaration to that effect at the time of registration."

["परन्तु दोनों में से कोई भी पक्ष पंजीकरण के समय वैसी घोषणा करे ।"] जोड़ा जाये ।

पंडित के० सी० शर्मा (जिला मेरठ—दक्षिण) : मैं इस विधेयक के सिद्धान्तों का समर्थक हूं परन्तु मैं इस विधेयक के अध्याय ३ का किसी प्रकार भी समर्थन नहीं कर सकता । मनुष्य केवल जीवविज्ञान की शक्तियों से ही प्रभावित नहीं होता है वरन् जीवन का प्रत्येक आदर्श, प्रत्येक रूढ़ि तथा समाज का ढांचा भी उस के विचारों को प्रभावित करता है तथा उस के आचरण पर गहरा प्रभाव डालता है। एक महान् यूनानी विधिकार ने कहा है कि विधि वह तर्क है जो समाज के मस्तिष्क में पाया जाता है । यदि कोई विधान तर्क सम्मत न हो तो वह विधान बनने के योग्य नहीं है । क्या समाज इस बात को मानने को तैयार है कि जो विवाह हिन्दू, मुसलमान या किसी अन्य विधि के अनुसार बीस वर्ष पहले हो चुका है और जिस के अनुसार बीस वर्ष से दोनों पक्ष पति पत्नी के रूप में रह रहे हैं वह बीस वर्ष के पश्चात् अकस्मात् बेकार हो गया है और अब उन को अपने विवाह का पंजीयन कराना आवश्यक है । इस बात को कोई भी व्यक्ति या समाज मानने को तैयार नहीं हो सकता । यह नितान्त असम्भव है तथा ऐसा कोई भी उदाहरण कहीं नहीं पाया जाता है ।

युद्ध के कारण मनुष्य का कितना पतन हुआ है इस के कितने ही उदाहरण प्रधान मंत्री ने दिये । उन्हों ने बताया कि वही जर्मन

[पंडित के० सी० शर्मा

पहले नाज़ी हो गया उस के बाद समाजवादी हो गया उस के बाद फिर नाज़ी हो गया उस के बाद फिर साम्यवादी हो गया । ऐसे व्यक्ति का क्या मूल्य है । इसी प्रकार जो व्यक्ति कुछ समय तक हिन्दू का जीवन बसर करता है और उस के बाद मुसलमान हो जाता है उस का क्या मूल्य है । जिस ने सात बार भांवर घूमी हो तथा अग्नि को साक्षी मान कर पुराने संस्कारों के अनुसार शुद्ध संस्कृत भाषा में कुछ वचन दिये हों तथा बीस वर्ष से बच्चों को तथा परिवार को ले कर रह रहा हो वह एक बारगी उन सब बातों को भूल जाये और नया जीवन आरम्भ कर दे तो ऐसे व्यक्ति का क्या मूल्य हो सकता है ? हिन्दू कोड के खण्ड २१ में डा० अम्बेडकर ने भी केवल इतना ही उपबन्ध किया था कि इस अधिनियम के अन्तर्गत केवल उन्हीं विवाहों का पंजीयन किया जा सकता है जिन की मान्यता संदिग्ध हो । १८७२ के विशेष विवाह अधिनियम में भी यही बात कही गई थी । जब एक स्त्री तथा पुरुष पति पत्नी के रूप में रहते हों तो किसी अन्य व्यक्ति को यह कहने का अधिकार प्राप्त नहीं है कि उन का विवाह मान्य नहीं है । मेरे संशोधन के स्वीकार कर लेने पर ही इस अध्याय का कुछ अर्थ हो सकता है । इस प्रकार उन व्यक्तियों को कुछ सुविधा हो सकती है जिन के विवाह की मान्यता संदिग्ध है और जो चाहते हैं कि उन का जीवन तथा उनकी सन्तान का दायभाग कुछ विधियों से अनुशासित हो जिस से भविष्य म उन की सन्तान को दायभाग के सम्बन्ध में कोई कठिनाई न उठानी पड़े ।

एक और कठिनाई भी हमारे सामने है जिस की ओर श्रीमती रेणु चक्रवर्ती ने संकेत किया है । मान लीजिये एक व्यक्ति ने बीस वर्ष पहले विवाह किया और उस के तीन बच्चे हैं । वह अपने विवाह का पंजीयन करा लेता है और उस के तीन चार बच्चे और हो जाते हैं । ऐसी दशा में पहले वाले बच्चों के लिये एक विधान होगा और बाद वाले बच्चों के लिये दूसरा । यह कैसा विचित्र विधान है और साथ ही कितना हास्यास्पद है ।

दायभाग के प्रश्न को मैं इतना महत्वपूर्ण नहीं समझता हूं । हमारे देश को सुदृढ़ शरीर वाले युवकों की आवश्यकता है जिन में काम करने की लगन हो और जो बुद्धिमानी के साथ अपने कर्तव्यों को पूरा कर सकते हों । दायभाग में उसे कितनी सम्पत्ति मिली है इस का आज यदि कुछ महत्व है भी तो भविष्य में तो वह भी नहीं रहेगा । १९४६ में डा० देशमुख ने इसी प्रकार का एक विधेयक रखा था जिस पर विधि मंत्री ने आपत्ति की थी और कहा था कि इसका विशेष विवाह अधिनियम के साथ समायोजन नहीं किया जा सकता है । १९५१ में भी इसी प्रकार एक विधेयक रखा गया था तब भी यही बात कही गई थी । इसलिये मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूं कि अध्याय ३ अपने मौलिक रूप में विशेष विवाह अधिनियम का एक भाग नहीं बनाया जा सकता ।

श्री कासलीवाल : विवाहों के पंजीयन तथा अध्याय ३ के सम्बन्ध में श्री चटर्जी तथा पंडित के० सी० शर्मा ने जो कुछ कहा वह मैं ने बहुत ध्यान से सुना है परन्तु मैं उन्हें स्मरण कराना चाहता हूं कि समाज एक ही स्थान पर ठहरा नहीं रह सकता उस का स्वभाव निरन्तर आगे बढ़ना है । अब समाज इतना आगे बढ़ चुका है कि इस अधिनियम के अन्तर्गत विवाहों का पंजीयन किया जा सकता है ।

खण्ड १५ के सम्बन्ध में श्री टेकचन्द ने कहा था कि जब तक "विवाह के उत्सव" शब्दों के पश्चात् "विधि के अनुसार मान्य" शब्द न बढ़ाये जायें, उचित, अनुचित, मान्य, अमान्य, हर प्रकार का विवाह इस विधेयक के अनुसार पंजीकृत होने के पश्चात् मान्य हो जायेगा । परन्तु उन्हों ने इस पर ध्यान नहीं दिया कि उस में केवल "विवाह का उत्सव" शब्द ही नहीं है वरन् इतना और कहा गया है कि "और वे तब से बराबर पति पत्नी के रूप में रहते रहे हों" । यदि ये शब्द न होते तब उन के कहने में कुछ सार हो सकता था परन्तु ऐसी बात नहीं है । एक और बात ध्यान देने योग्य यह है कि "कार्य पूर्ति पर मान्यीकरण" का सिद्धान्त हिन्दू विधान का एक आवश्यक अंग है जो विवाह तथा गोद लेने के सम्बन्ध में समान रूप से लागू किया जाता है । इस सिद्धान्त के अनुसार यदि यह प्रमाणित कर दिया जाये कि एक स्त्री तथा पुरुष पति पत्नी के रूप में रहते रहे हैं, तो जब तक इस के विरुद्ध स्पष्ट प्रमाण न हों, विधि के अनुसार यह मान लिया जायेगा, कि उन का एक साथ रहना, एक मान्य विवाह के फलस्वरूप है, न कि उपस्त्रीगमन है । इसलिये "विधि के अनुसार मान्य" शब्दों को बढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं है ।

मेरे मित्र श्री वेंकटरामन ने भी जयमाल डालने की तथा इसी प्रकार की एक दो विवाह पद्धतियों के उदाहरण दिये थे । श्री टेकचन्द के दृष्टिकोण से यह कहना कठिन होगा कि ऐसे विवाह विधि के अनुसार मान्य समझे जायेंगे या नहीं । परन्तु जहां तक विवाह के उत्सव का सम्बन्ध है उत्सव तो हो ही गया और उत्सव होने के बाद से वे बराबर पति पत्नी के रूप में रहते रहे हैं । इसलिये इस सम्बन्ध में भी कोई ऐसी आपत्ति नहीं है जैसा कि श्री टेकचन्द ने कहा है ।

मेरा विचार है निषिद्ध पीढ़ियों के सम्बन्ध में श्री डाभी का संशोधन कि सम्बन्धों की निषिद्ध पीढ़ियों के अन्तर्गत किये गये विवाह भी पंजीकृत किये जा सकते हैं यदि वे इस अधिनियम के लागू होने के पहले हो चुके हों बहुत ही उचित उपबन्ध है और सभा इसे स्वीकार करेगी ।

श्री टेकचन्द ने कहा है कि खण्ड १७ के अन्तर्गत आपत्तिकर्ता को अपील करने का अधिकार दिया जाये । विवाह सम्पन्न किये जाने से सम्बन्धित खण्ड ८ में हम ने अपील करने का अधिकार नहीं दिया है तब हम विवाह के पंजीयन पर आपत्ति करने वाले को यह अधिकार कैसे दे सकते हैं ।

श्री टेकचन्द ने खण्ड १८ के सम्बन्ध में कुछ आपत्तियां उठाई हैं जिन का उत्तर श्री वेंकटरामन दे चुके हैं ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव ने एक संशोधन के द्वारा खण्ड '१८ क', '१८ ख' तथा '१८ ग' बढ़ाने का सुझाव रखा है । उन का अभिप्राय यह है कि जिस समय विवाह हो पति पत्नी यह घोषित करें कि उन की उस समय तक की अर्जित सम्पत्तियां संयुक्त हो गई तथा जो भी सम्पत्ति वे बाद में अर्जित करेंगे वह भी संयुक्त हो जायेंगी । मैं पूछना चाहता हूं कि क्या २१ वर्ष का लड़का तथा १८ वर्ष की लड़की विवाह के समय एक दूसरे से यह कह सकेंगे कि हमारी सम्पत्ति का आधा भाग हमारा होगा और आधा भाग तुम्हारा । मुझ विश्वास है कि वे इस के अतिरिक्त और कुछ न कह पायेंगे कि सब कुछ तुम्हारा होगा मैं तुम्हें छोड़ कर और कुछ नहीं चाहता या चाहती हूं । हमारे समझ में नहीं आता कि जब विवाह-विच्छेद होगा

[श्री कासलीवाल]

तब यह मसला कैसे सुलझाया जायेगा । मैं समझता हूं कि इस विधेयक में इन खण्डों का होना बहुत ही अनावश्यक है ।

खण्ड १९ के सम्बन्ध में श्री एन० सी० चटर्जी ने बहुत कुछ कहा है परन्तु मैं उस से सहमत नहीं हूं । जहां तक मुझे याद है यह खण्ड इस अधिनियम के आरम्भ से ही अर्थात् १९२३ से बराबर मौजूद है । महान् हिन्दू विधानकार तथा समिति के सभापति डा० गौड़ के ही कहने से यह खण्ड इस विधेयक में बढ़ाया गया है । खण्ड १९ का अभिप्राय केवल इतना है कि उत्तराधिकार, उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार होगा । उत्तराधिकार अधिनियम केवल इतना कहता है कि लड़की तथा लड़कियों को बराबर भाग पाने का अधिकार होगा । वास्तव में इसी लिये खण्ड १९ रखा गया है ।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सभा प्रवर समिति की माननीय महिला सदस्यों की विमति टिप्पणियों की ओर कोई भी ध्यान दिये बिना खण्ड १९ को यथावत् बना रहने दें ।

डा० जयसूर्य : सभापति महोदय, यद्यपि इस विधेयक के सभी उपबन्धों से मुझे सहानुभूति है, फिर भी मुझे दुःख के साथ कहना पड़ता है कि जिस प्रकार इस का मसविदा बनाया गया है उसके कारण इस विधेयक की शब्दावलि में बहुत गड़बड़ी है । कारण यह है कि मूल में इसका मसविदा पुराने विशेष विवाह अधिनियम के आधार पर बनाया गया है और इधर उधर कुछ थोड़े बहुत परिवर्तन कर दिये हैं । मेरी धारणा यह है कि इधर उधर कुछ थोड़े परिवर्तनों के साथ उस अधिनियम के प्रायः सभी खंड यहां रखे गये हैं । जहां तक मुझे स्मरण है, विवाह-विच्छेद सम्बन्धी खंड तो पूर्णरुप से पुराने भारतीय विवाह-विच्छेद अधिनियम की नक़ल है । यही इस विधेयक का मूल दोष है । कुछ यहां बढ़ाने और कुछ वहां घटाने के कारण इतनी अधिक गड़बड़ी है कि इस बात का पता नहीं लगता कि इस विधेयक के पीछे कौन से सामाजिक सिद्धान्त हैं । मैं नहीं जानता कि सरकार का क्या आशय है ; पता नहीं कि सरकार स्वयं जानती है या नहीं कि अन्य सामाजिक विधेयकों जैसे हिन्दू विवाह तथा विवाह-विच्छेद विधेयक, दायभाग तथा उत्तराधिकार विधेयक आदि के प्रति उसका अन्तिम दृष्टिकोण क्या है । कदाचित् ये सब अभी विकास की दशा में हैं । मेरे विचार से यही कारण है कि इतनी गड़बड़ी है ।

किन्तु इससे हमारा कार्य और कठिन हो जाता है । तर्क करना और सरकार का समर्थन करना और कठिन हो जाता है क्योंकि हम नहीं जानते कि सरकार का क्या आशय है । तुलना के लिये मेरे पास एक छोटी पुस्तिका है जिस का नाम है "चीन के जन गणराज्य की विवाह विधियां", जो अत्यन्त सरल और अत्यन्त स्पष्ट है । निश्चय ही वह इस पर निर्भर है कि आप उसे किस दृष्टिकोण से देखते हैं ।

अनेक माननीय सदस्यों द्वारा उपस्थित किये हुये तर्क और आपत्तियां मैं ने सुनीं । इस प्रकार तर्क रखे गये हैं मानो १८७२ का अधिनियम पहले था ही नहीं और मेरी जानकारी में सैंकड़ों आदमियों ने बिना इस डर के कि यह होगा या वह होगा, विवाह किया है । पहले हम १४ दिन की सूचना देते थे अब हम ३० दिन की सूचना देने की प्रस्थापना करते हैं । मूल उपबन्ध के अन्तर्गत मेरी जानकारी में धोखा या कपट के शायद

ही एक दो मामले हुये हों। माननीय सदस्य जिस प्रकार कपट आदि के विषय में बातें कर रहे हैं उससे यह मालूम होता है कि यहां उपस्थित अधिकतर लोगों ने विशेष विवाह अधिनियम के अधीन कभी विवाह नहीं किया है और वे नहीं जानते कि किस प्रकार वह कार्य करता है। संरक्षण अवश्य होने चाहिये किन्तु झूठी आशंका के लिये नहीं। खंड १८ के प्रति श्री टेकचन्द की आपत्तियों पर मुझे आश्चर्य होता है। प्रश्न यह है कि दो व्यक्तियों ने कुछ लोग अथवा सारी जाति की साक्षी में विवाह किया। रूढ़िगत विवाहों के अनेक प्रकार हैं। क्या आप कहेंगे कि वे हमें स्वीकार नहीं है? जो भी जाति अथवा समुदाय की जानकारी म रहा है, वह अपने लिये नहीं वरन अपने बच्चों के लिये संरक्षण चाहता है। हमें उसके लिये विधि बनानी होगी और बच्चों को संरक्षण देना होगा। इस संदर्भ में खंड १८ बहुत अस्पष्ट है।

मेरे माननीय मित्र पंडित ठाकुर दास भार्गव ने उर्दू भाषणों में दो महत्वपूर्ण प्रश्न उपस्थित किये हैं जिन की ओर मैं माननीय मंत्री का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। उदाहरण के लिये, यदि प्रस्थापित नवीन हिन्दू विधि दायभाग तथा उत्तराधिकार के बारे में वर्तमान भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम से अधिक उत्कृष्ट होना हो, तो भी वह इस अधिनियम के अधीन विवाह करने वालों के लिये निरोधक के रूप में कार्य करेगा क्योंकि दायभाग एक बड़ी समस्या है।

अभी भी मेरे पास प्रमाण नहीं है कि सरकार वर्त्तमान भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम पर कायम रहेगी और वह उसमें सुधार न करेगी यद्यपि वह अब प्राचीन हो गया है। इसका भी कोई प्रमाण नहीं है कि एसा करने और उसमें सुधार करने का उस का विचार नहीं है। यदि यह हम को ठीक ठीक मालूम हो कि संशोधित भारतीय दायभाग अधिनियम किस प्रकार होगा, अन्तिम हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम किस प्रकार का होने जा रहा है, तब लोग एक ओर उस के लाभ और दूसरी ओर उसके हानियों से अवगत होंगे।

मैं ने लोगों को सब प्रकार की बातें कहते सुना ह। वे यह बात पहले ही मान लेते हैं कि विवाह करने वाले नवयुवक वयस्क नहीं होते, वे अपनी देखभाल करने में समर्थ नहीं होते। उन्हें इस अधिनियम के साथ और हानियों से अवगत रहना चाहिये। उन्हें इस अधिनियम में विधि विधेयक उलझनों से भी अवगत होना चाहिये। मेरा कथन यह है कि हमें साधारण विधियां अवश्य बनानी चाहिये। उनको स्वीकार करना जनता पर छोड़ दिया गया है।

मेरे मित्र श्री पोकर साहब बहुत चिन्तित थे। पंडित भार्गव ने अपने संशोधन संख्या २७४ म एक बहुत उपयोगी सुझाव दिया है जो, इस अधिनियम के अधीन विवाह करने वालों की सम्पत्ति के उत्तराधिकार के सम्बन्ध में है। यह एक मार्ग है। अब दूसरा मार्ग लीजिये। विभिन्न जातियों के अथवा धर्मों के लोग विवाह करते हैं। श्री पोकर साहब को चिन्ता करने की आवश्यकता नहीं। जब एक मुस्लिम महिला ग़ैर मुस्लिम से विवाह करती है तब वह इस्लामिक व्यक्तिगत विधि, शरियत की विधि के अधीन नहीं रह जाती और वह मुस्लिम नहीं रहती।

माननीय सदस्य : आप ग़लत हैं।

डा० जयसूर्य : उत्तराधिकार अधिनियम को आधुनिक बनाने की आवश्यकता ह

[डा० जयसूर्य]

और मेरे पास इसका प्रमाण नहीं है कि वह उसे आधुनिक नहीं बनाना चाहती, मुझे विश्वास है कि माननीय मंत्री उत्तराधिकार अधिनियम तथा भारतीय विवाह-विच्छेद अधिनियम को बदलना चाहते हैं। तथा अनेक वर्तमान अधिनियम बहुत पुराने हो गये हैं और संविधान की धारा १३ के प्रतिकुल हैं। यदि हम को यह मालम हो जाये कि सरकार का अन्तिम अभिप्राय क्या है तो हमारी अनेक कठिनाइयां, शंकायें और भय दूर हो जायेंगे। अतः जहां तक खंड १९ का सम्बन्ध है मैं, विरोध नहीं करता बल्कि यह कहता हूं कि उसमें कुछ परिवर्तन की आवश्यकता है। अतः यदि आप चाहें कि आप अपने व्यक्तिगत विधि के अधीन हों तो आप उसे चुन सकते हैं और यदि आप समझें कि भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के अधीन होना लाभदायक है, तो आप उसे चुन सकते हैं। किन्तु सभी बातें स्पष्ट हो जानी चाहिये। मेरी यही कठिनाई है। मैं इस विधेयक का पूर्णतया समर्थन करता हूं किन्तु मैं थोड़ा स्पष्टीकरण चाहता हूं।

सभापति महोदय: उन्हें १० मिनट से अधिक समय नहीं लेना चाहिये।

श्री के० के० बसु: इस विषय पर बहुत से सदस्य अपने अपने विचार प्रकट कर चुके हैं। बहुत से सदस्यों ने इसका पक्ष लिया है और बहुत सों ने इसका विरोध किया है। मेरा विचार है कि इस प्रश्न पर हमें मानवीय दृष्टिकोण से विचार करना चाहिये क्योंकि विवाह एक मानवीय संस्था ह। हमारी अपनी स्वीय विधियां हैं और विवाह के सम्बन्ध में भी हमारे भिन्न भिन्न विचार हैं। परन्तु वास्तव में विवाह का अर्थ स्त्री और पुरुष को एक करने से ही , अतः इस प्रश्न पर मानवीय दष्टिकोण से ही विचार किया जाना चाहिये।

हमारे इस महान् देश में भिन्न भिन्न स्वीय विधियां हैं। कुछ उन्हें उसी प्रकार रखना चाहते हैं और कई उन्हें सुधारना चाहते हैं। हमें स्वीय विधियों की विभिन्नता स्वीकार करनी पड़ेगी और मेरे विचार में यह उसी ओर एक प्रयत्न है। १८७२ में जब पहले पहल यह अधिनियम बनाया गया था तो उस के पीछे यह उद्देश्य था कि अधिक से अधिक लोग हिन्दू जाति तथा धर्म में रहें, परन्तु आज हमें इस पर एक पृथक् दृष्टिकोण से विचार करना है।

आज की परिस्थितियां बहुत बदल चुकी हैं। हमारे संविधान ने भारत के नागरिकों को लिंग, जाति आदि के भेदभाव के अनपेक्षा कुछ अधिकार दिये हैं। इसीलिये आज की परिस्थितियों के अनुकूल ही यह विधेयक सभा के सामने प्रस्तुत किया गया है। यह एक अनुमति सूचक विधान है अतः मैं अनुभव करता हूं कि अध्याय ३ का यह उपबन्ध अत्यन्त आवश्यक है।

मैं अपने उन मित्रों की जो कि अध्याय ३ के इस उपबन्ध को अनावश्यक कह रहे हैं यह बात नहीं समझ सका हूं क्योंकि इन उपबन्धों से स्वीय विधियों के अन्तर्गत हुये विवाह भी, जिन्हें कतिपय लोग घृणित तक कहते हैं, पंजीवद्ध कराये जा सकेंगे। आदिम जातियों के अपने रिवाज हैं और उन्होंने उन्हें स्वीकार किया है। कुछ तथाकथित प्रगतिशील हिन्दू तथा मुसलमान उन के रूढ़िगत विवाहों को घृणास्पद मानते हैं, परन्तु इस विधेयक से यह भी लाभ उठा सकते हैं। अतः किसी अन्य विधि के अन्तर्गत सम्पन्न हुये विवाहों को इस के अधीन पंजीबद्ध कराये जाने का अवसर अवश्य दिया जाना चाहिये।

कुछ माननीय सदस्य संस्कार सहित विवाह पर जोर दे रहे हैं। उन का कहना है

कि स्वीय विधियों के अधीन संस्कारों के अनुसार सम्पन्न विवाह को ही मान्यता दी जानी चाहिये । परन्तु यदि हम ऐसा उपबन्ध कर देंगें, तो मान्य विवाह संस्कार को निश्चित करना अदालत का कार्य हो जायेगा । अदालत यह भी निर्णय कर सकती है कि अमक विवाह मान्य संस्कारों द्वारा सम्पन्न विवाह नहीं है । श्रीमान् बंगाल में फुफेरे और मौसेरे भाई बहनों में विवाह घृणित समझा जाता है, परन्तु मुसलमान इसको बुरा नहीं मानते है । क्या मुसलमानों ने हमारे देश की प्रगति के लिये कोई कार्य नहीं किया है ? मेरे विचार में, स्वीय विधियों के अधीन विवाह करने वालों को भी विशेष विवाह अधिनियम से लाभ उठाने का अवसर दिया जाये । मान्य संस्कारों से सम्पन्न हुये विवाह जैसी कोई भी शर्त न रखी जाये । हिन्दुओं में स्वयं भी मान्य संस्कारों के बारे में अभी कोई एकमत नहीं हैं । देश के एक भाग में मान्य संस्कार दूसरे भाग में अमान्य भी हैं । अतः मैं इस का पूर्ण रूप से विरोध करता हूं । कल्पना कीजिये कि कोई उत्तर प्रदेश का हिन्दु, नागा प्रदेश में जाकर वहां की किसी स्त्री से वहां की स्वीय विधि के अनुसार विवाह कर लेता है, तो जब वह अपने विवाह को पंजीबद्ध कराना चाहेगा तो क्या उससे यह कहा जायेगा कि क्योंकि यह विवाह उसके रिवाजों और विधि के अनुसार नहीं है अतः वह इस विधि का लाभ भी नहीं उठा सकते हैं ? मैं इस प्रकार किये जाने का कड़ा विरोधी हूं ।

मैं अब कुछ शब्द निषिद्ध पीढ़ियों से सम्बन्धित संशोधन के बारे में भी कहना चाहता हूं । जैसा कि श्रीमती रेणु चक्रवर्ती ने कहा है कि ऐसे विवाह वैज्ञानिक दृष्टि से भी हानिकारक हैं, इसलिये इस विधेयक में उनके उपचार के उपबन्ध अवश्य होने चाहियें । हम वास्तविक स्थिति के प्रति आंखें बन्द नहीं कर सकते हैं । जब तक हमारे देश में एक समान विवाह विधि नहीं होती तब तक हमें विभिन्न जातियों की स्वीय विधियों को मानना पड़ेगा और हम निषिद्ध पीढ़ियों में विवाह का विरोध करेंगे । परन्तु यदि रूढ़िगत विधि इन्हें स्वीकार करे, तो विशेष विवाह अधिनियम द्वारा इन्हें भी पंजीबद्ध किया जाना चाहिये ।

विशेष विवाह अधिनियम से हमें दो लाभ होंगे, एक तो विवाह-विच्छद का, और दूसरा एक विवाह का । आज हमें पता है, कि कई हिन्दू परिवारों में स्त्री और पुरुष की नहीं बनती है, परन्तु फिर भी उन्हें उसी प्रकार निभाना पड़ता है । दूसरे आज के युग में बहु विवाह कदापि नहीं होना चाहिये । श्रीमती रेणु चक्रवर्ती ने बताया है कि बंगाल में कई परिवार ऐसे हैं कि जो न केवल अपने बच्चों के विवाह इस अधिनियम के अधीन करना चाहते हैं, बल्कि स्वयं अपने विवाह भी इसी के अधीन पंजीबद्ध कराना चाहते हैं ।

इस अनुभूतिसूचक विधि का लाभ हमें अपने देश वालों को अवश्य देना चाहिये । एक ही होनी चाहिये । विवाह पदाधिकारी मानवीय विचारों को भली भांति समझने वाला कोई ऐसा व्यक्ति होना चाहिये, जो भारतीय नागरिकों की समस्याओं को भी समझता हो ।

खंड १८ के बारे में, श्री टेकचन्द ने जारज बच्चों के बारे में कहा है । परन्तु मैं पूछता हूं कि जब माता पिता राज़ी हों तो समाज को उन्हें जारज कहने का क्या अधिकार है ? इस समस्या पर भी माननीय दृष्टिकोण से विचार किया जाय । उन बच्चों ने क्या अपराध किया है ? अंग्रेज़ी समाज में ऐसा है कि यदि विवाह पूर्व के प्रेम के परिणामस्वरूप गर्भ रह जाये और विवाह

[श्री के० के० बसु]

के पश्चात् बच्चे का जन्म हो, तो उसे जारज नहीं माना जाता है। जब माता पिता स्वीकार कर लें तो किसी बच्चे को जारज नहीं माना जाना चाहिये। यों तो विवाह के पश्चात् भी बलात्कार हो सकता है, जैसा कि विभाजन के समय हुआ है। यदि किसी स्त्री का पति तथा उस के परिवार के अन्य सदस्य उस बच्चे को स्वीकार कर लें तो विधि निर्माताओं को उन के मार्ग में रुकावट नहीं डालनी चाहिये। जारजता को रोकने के प्रयत्न हमें अवश्य करने चाहिये। ग़लती मनुष्य से ही होती है। यदि माता पिता तथा परिवार वाले बच्चे को और सन्तान मान लें तो विधि को उन के मार्ग में बाधा नहीं डालनी चाहिये।

अध्याय ४ के बारे में, मेरा विचार है कि यदि खडों को यह इसी प्रकार रखा गया, तो कुछ कठिनाई होगी। यदि यह अनुमति सूचक विधि है, तो हमें इस को यथा सम्भव लचकीला बनाना चाहिये ताकि इससे अधिकाधिक भारतीय लाभ उठा सकें। मैं श्रीमती रेण चक्रवर्ती से पूर्णतया सहमत हूं कि यह देखना कि वह भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम द्वारा प्रशासित होना चाहते हैं अथवा अपनी स्वीय विधि द्वारा, पति पत्नी का ही काम है।

इस सम्बन्ध में एक व्यर्थ सा तर्क दिया गया है। मेरे विचार में चार या पांच बच्चे होनें के बाद कोई भी व्यक्ति केवल विवाह-विच्छेद के लिये पंजीयन के लिये नहीं आयेगा। यह एक असाधारण सी बात है। परन्तु यदि ऐसा हो तो फिर भी उसे यह चनना पड़ेगा कि वह कौनसी विधि द्वारा प्रशासित होना चाहता है। यदि वह स्वीय विधि को चुनता है, तो ऐसा करने की आज्ञा दे दी जायेगी और यदि वह भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के अधीन रहना चाहेगा तो पंजीयन से पूर्व की सन्तति उस की स्वीय विधि द्वारा प्रशासित रहेगी। हां, कठिनाई केवल सपिंडों के बारे में है, परन्तु इसे भी सुलझाया जा सकता है। पंजीयन से पूर्व उत्पन्न हुये बच्चे सहभागी हो जायेंगे।

मैं श्री टेकचन्द जी से पूछना चाहता हूं कि यदि कोई हिन्दू धर्म परिवर्तन कर ले तो क्या होगा? वास्तव में ऐसे मामले आपवादिक होते हैं अतः उन्हें सभा के सामने नहीं लाया जाना चाहिये। हमें वास्तविक परिस्थितियों को देखते हुये इस पर मानवीय दृष्टिकोण से विचार करना चाहिये। हमें चाहिये कि इस उपबन्ध को यथा सम्भव उदार बनायें, ताकि इससे अधिक से अधिक व्यक्ति लाभ उठा सकें। यह उपबन्ध ऐसा नहीं होना चाहिये कि लोग इसके अधीन विवाहों को पंजीबद्ध ही न करायें। मेरे विचार में अध्याय ४ में, जहां तक उत्तराधिकार अधिनियम के अविच्छेद और लागू होने का सम्बन्ध है, उसे वैकल्पिक कर दिया जाये, अर्थात् इस बारे में निर्णय करने का भार सम्बद्ध व्यक्तियों पर छोड़ दिया जाये कि वह किस विधि द्वारा प्रशासित होना चाहते हैं?

अन्त में, मैं सभा से प्रार्थना करूंगा कि इस तथ्य पर ध्यान दिया जाये कि हम एक अनुमति सूचक विधेयक पर विचार कर रहे हैं। अभी तक कोई व्यवहार संहिता नहीं बनाई गई है और जैसा कि पंडित ठाकुर दास भार्गव ने कहा है, अभी तक कोई सम्पूर्ण हिन्दू कोड भी नहीं है और न ही हिन्दू विधि का कोई सर्वांगीन संशोधन ही हुआ है। पता नहीं ऐसा कब तक किया जायेगा। निर्वाचन समाप्त होते ही इस विषय पर हो रही बातचीत भी बन्द हो जाती है।

जब तक हमें हिन्दू विधि के एक कोड बनने का निश्चय न हो जाये, तब तक इसे एक अनुमतिसूचक विधि ही समझा जाना चाहिये । साथ ही हमें एक व्यवहार संहिता बनाने के प्रयत्न भी करने चाहिये ।

डा० जयसूर्य ने चीन का उदाहरण दिया है । चीन के समस्त गणराज्य में एक ही व्यवहार विधि है, और फिर भी वह विवाह पक्षों और उन की सन्तति के अधिकारों के प्रचार करने का प्रयत्न करते हैं । हमारे देश की अवस्था भी चीन के ही समान है । यहां पर भी हमें इस विधि को यथासम्भव लचकीला बनाना है ताकि लोग इससे पूरा पूरा लाभ उठा सकें ।

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य एंव रक्षा मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : मैं इस समय कुछ लज्जा से विवाद में हस्तक्षेप करने का साहस कर रहा हूं, क्योंकि इस प्रस्थापित विधान में बहुत से योग्य एवं अनुभवी विधि वेत्ताओं ने रुचि प्रकट की है । इसलिये वह व्यक्ति जो एक वकील के रूप में बोलने का साहस नहीं कर सकता है, हानि में ही रहेगा । अतः मैं इस विषय को केवल वैधानिक दृष्टि से ही नहीं देखता हूं, यद्यपि वास्तव में यह विधि ही है, बल्कि मैं इसे समाज सुधार अथवा एक गतिशील प्रयत्न के दृष्टिकोण से देखता हूं—यद्यपि यह कोई महान् प्रयत्न नहीं है—परन्तु फिर भी सामाजिक जीवन को आजकल की परिस्थितियों के अनुकूल बनाने का यह एक प्रयत्न अवश्य है ।

पिछले अवसर पर, मैं ने यह कहा था कि गत दो या तीन सौ वर्षों में हिन्दू समाज के साथ विचित्र घटनायें घटी हैं । हिन्दू विधि कोई परिवर्तनशील वस्तु नहीं थी । पहले भी इसमें परिवर्तन होता था चाहे वह रिवाज अथवा रूढ़िगत विधि के नाम या अन्य किसी भी नाम से होता हो । परन्तु अंग्रेजों के यहां आने के पश्चात् हिन्दू विधि कठोर हो गई—इस लिये नहीं कि अंग्रेज इसे परिदृढ़ करने के पक्ष में थे—मुझ इसके इतिहास में जाने की आवश्यकता नहीं है—किन्तु उन्होंने इसे संहिताबद्ध किया और यशोलाभ किया । जब उन्होंने इस विधि को संहिताबद्ध किया तो रूढ़िगत विधियों को समाप्त कर दिया और इसकी परिवर्तनशीलता भी समाप्त हो गयी । उन्होंने विद्वान् पंडितों और मुस्लिम विधि के सम्बन्ध में, विद्वान् मुल्लाओं से परामर्श किया, और उन विद्वानों ने उन्हें वही कुछ बताया जो सहस्त्रों वर्ष पूर्व पुस्तकों में लिखा गया था । यद्यपि कई स्थानों पर यह रूढ़िगत विधियों द्वारा बदला जा चुका है, परन्तु फिर भी कुछ ऐसी अपरिवर्तनशीलता इसमें आ गई है कि जिससे अब हम केवल विधियों द्वारा ही छुटकारा नहीं पा सकते हैं । अतः हम विधि बनाना चाहते हैं और यह ठीक भी है । हमें स्मरण रखना चाहिये कि यह अपरिवर्तनशीलता जो कई पीढ़ियों से हमारी विधि में चली आ रही है, एक बाद में आने वाली बुराई थी और वास्तव में यह हिन्दू समाज में आरम्भ से नहीं थी ।

इस समय मैं ऐसी कोई बात नहीं कहना चाहता हूं जिससे यहां मेरे मित्रों को दुख हो । परन्तु मैं यह निवेदन अवश्य करूंगा कि जो यह सम्मान स्वीय विधि के लिये दिखाया जा रहा है यह ठीक नहीं है । वास्तव में एक ओर इसका अर्थ है कि आप समाज के अस्थाई, और छोटे छोटे पहलुओं में भी धर्म का दायरा बढ़ा रहे हैं । प्रत्येक धर्म में कुछ बुनियादी सिद्धान्त होते हैं, जिन्हें आप स्वीकार कर लेते हैं । यदि आप प्रत्येक प्रकार के ऐसे सिद्धान्त जो कि बुनियादी नहीं है इसमें जोड़ते चले जायें, और उन्हें भी उसी स्तर पर रखें तो उसका परिणाम वह होता है कि आप उस धर्म के बुनियादी

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

सिद्धान्तों को भी कमज़ोर कर देते हैं। दूसरी बात यह है कि यदि आप स्वीकार करते हैं कि समाज बदलता है—इसे कोई भी व्यक्ति इसे अस्वीकार नहीं कर सकता है—तो इसे कतिपय संगठनों अथवा नियमों से बांधना, चाहे वह नियम किसी एक समय उस परिस्थिति में कितने ही अच्छे क्यों न रहे हों, परन्तु जो आज के युग में ठीक नहीं है, कोई बुद्धिमत्ता की बात नहीं है, क्योंकि निश्चय ही ऐसा करने से हमारी प्रगति में बाधा पड़ती है।

और अन्ततोगत्वा आप इस विकल्प को उस समाज द्वारा प्रशासित होने वालों के सामने रखते हैं, कि यदि आप उन्हें किसी भिन्न अवस्था में विकसित नहीं होने देते हैं तो उन के लिये केवल एक ही उपाय रह जाता है कि वे इस से अलग हो जायें, और किसी अन्य समाज में सम्मिलित हो जायें, और जब कोई समाज या जो कुछ भी यह है, न हो तो वह किसी अन्य धर्म में सम्मिलित हो जायें। किसी सामाजिक संगठन को यह विकल्प देना बुरी बात है। इसे अपनी कुशलता के अनुसार विकास करना चाहिये। किसी दूसरी दिशा में विकास करने के लिये दबाव डालना या बाध्य करना निस्सन्देह ग़लत है। और अपने इतिहास से मैं ने यह सीखा है कि भूतकाल में अनुकलन और परिवर्तन की क्षमता थी और उस के द्वारा हिन्दु समाज को कुछ स्थिरता प्राप्त हुई थी।

कुछ दिन हुये मैं अरबी भाषा के एक अत्यन्त योग्य मुस्लिम विद्वान् द्वारा दिये गये मुसलमानों की स्वीय विधि के एक अत्यन्त सुन्दर निर्वचन को पढ़ रहा था। उसका निर्वचन यह था—हम उस पर विचार नहीं कर रहे हैं—उस की धारणा यह थी कि मुसलमानों की स्वीय विधि को इस्लाम के एक अनिवार्य अंग के रूप में समझना पर्णतया ग़लत था। यह जो कुछ थी उस समय अच्छी थी। इसमें परिवर्तन होता है या नहीं होता है, किन्तु इसे इस्लाम के मूलभूत सिद्धान्तों के साथ जोड़ना एक अर्थ में उन मूलभूत सिद्धान्तों के प्रति अन्याय करना है। अस्तु ऐसा, नहीं होना चाहिये। वह निर्वचन चाहे एक व्यापक निर्वचन न भी हो, परन्तु मुझे विश्वास है कि यह विचार आज विचारवान व्यक्तियों के बीच सब प्रकार से मान्यता प्राप्त कर रहा है।

अब हम इस विधेयक के कुछ खण्डों अर्थात् खण्ड १५ से २१ पर विचार कर रहे हैं। हम इस विधेयक का क्या उद्देश्य समझते हैं? इन खण्डों की बहुत सी आलोचनायें मुझे विधेयक की मूल प्रवृत्ति पर आघात करने वाली प्रतीत होती हैं। यह विधेयक पुराने अदालती विवाह विधेयकों का विस्तार मात्र नहीं है। सब से पहले पुराना अदालती विवाह विधेयक था। फिर डा० गौड़ ने इस में संशोधन किया, और यह अब तक बहुत ही प्रतिषिद्ध विधेयक था। इस में संशोधन किया जा सकता था और इसे कुछ अधिक विस्तृत किया जा सकता था जिस से कि प्रत्येक भारतीय को, जिसे इस विधेयक के अधीन विवाह करने से पूर्व अपनी आस्था की शपथ लेने की आवश्यकता न होती, इसकी परिधि में सम्मिलित किया जाता। उस विधेयक में संशोधन करने से यह कार्य पर्याप्त सरलता से हो सकता था। हम इस के स्थान पर कुछ अधिक विस्तृत विधेयक ला रहे हैं, अर्थात् यह किसी भी धार्मिक समुदाय के सम्बद्ध किसी भी भारतीय को अपने निजी धर्म में विवाह करने और तत्पश्चात विवाह-विच्छेद कर लेने का केवल अवसर ही नहीं देता है, यह केवल इतना ही नहीं है बल्कि यह इस से भी कुछ अधिक है। यह

भारत में कुछ एकरूपता लाने की दिशा में पहला क़दम या यदि आप चाहें तो दूसरा क़दम है,—अब तक स्वेच्छापूर्वक है, क्योंकि इसके विषय में कोई अनिवार्यता नहीं है। किसी को बाध्य नहीं किया जाता है। लोग कई बार कहते हैं, कि यदि वे इस अधिनियम के अधीन विवाह करते हैं तो आप उन्हें अविभाजित हिन्दु परिवार से पृथक् होने पर क्यों बाध्य करते हैं। कोई किसी को बाध्य नहीं करता है। यह सब एच्छिक है। यदि वे इस विशिष्ट प्रकार से विवाह करते हैं, तो वे इस से होने वाले कतिपय परिणामों के पूर्ण ज्ञान के साथ करते हैं, वे विवाह करें या न करें यह उन की इच्छा है। अतः उद्देश्य यह है कि कुछ एकरूपता लाने की दिशा में पहला कदम उठाया जाय। केवल एकरूपता ही क्यों ? मैं समझता हूं कि इस देश को एक राष्ट्र बनाने की प्रक्रिया में यह अनिवार्य है कि हमें कुछ सामाजिक आचरणों आदि के विषय में कुछ एकरूपता लाने का प्रयत्न करना चाहिये। मैं धर्म के संकीर्ण क्षेत्र में नहीं जा रहा हूं। जहां तक इस का सम्बन्ध है, निस्सन्देह प्रत्येक व्यक्ति की धर्म सम्बन्धी अपनी अपनी रीतियां होती हैं। किन्तु यदि आप सब से पहले अपने हिन्दु समाज में इन सीमाओं को, इन जाति सीमाओं तथा अन्य सीमाओं को, जो प्रत्येक वर्ग को पृथक् पृथक् रखती हैं, नष्ट नहीं करते, और दूसरे हिन्दुओं और मुसलमानों तथा इसाइयों और पारसियों, तथा बौद्धों और जैनियों एवं इस देश में रहने वाले अन्य सभी व्यक्तियों के बीच स्थित वर्तमान सीमाओं को नष्ट नहीं करते हैं, आप उस बुनियादी विधि तथा राष्ट्रीय भावना का निर्माण नहीं कर सकते हैं जिस के सम्बन्ध में हम इतनी इतनी बातें कहते हैं। इसमें कोई सन्देह नहीं है कि उनके मार्ग में ये बाधाय आती हैं और जिसे हम सामुदायिकता या ऐसे ही किसी नाम से पुकारते आये हैं, वह इन सीमाओं का प्रतीक है। हमें धर्म को उस के साथ नहीं मिला देना चाहिये। मैं ऐसे देशों को जानता हूं, यदि मैं एक देश का नाम लूं जो आकार की दृष्टि से कोई बड़ा देश नहीं है, किन्तु सब प्रकार से एक अच्छा देश है—श्री लंका को लीजिये। वहां अनेक धर्म हैं: निस्सन्देह बौद्ध धर्म वहां है, ईसाई धर्म, इस्लाम और अन्य सभी धर्म वहां हैं। वहां हिन्दू भी बड़ी संख्या में बसते हैं। क्या आपने श्री लंका में किसी प्रकार के धार्मिक झगड़े होने की खबर सुनी है ? कदापि नहीं ? एक ही परिवार में, आप का अमुक अमुक व्यक्तियों से परिचय कराया जायेगा कोई हिन्दू होगा, कोई मुसलमान होगा और कोई बौद्ध होगा। इसे वे लोग कोई असाधारण बात नहीं मानते हैं; अपने देश में यह असाधारण बात है; हमें इस प्रकार की अवस्था की आदत नहीं है। इस दृष्टिकोण से वे श्री लंका में, अन्य कठिनाइयों के बावजूद जो उनको होती है, कम से कम उन सीमाओं में बंधे हुये नहीं हैं, जो उनकी राष्ट्रीयता के मार्ग में बाधा उत्पन्न करती है। हमारे यहां ये सीमायें हैं। यह ठीक है कि हम तुरन्त उनको छोड़ नहीं सकते हैं, और न ही हम बलपूर्वक उनको हटा सकते हैं, कम से कम हम इतनी अधिक अनिवार्यता लागू नहीं कर सकते हैं। इधर उधर कुछ अनिवार्यता की जा सकती है। यह उस दिशा में पहला कदम उठाने का एक एच्छिक उपाय है। अर्थात् हम एक ऐसे समाज में सम्मिलित होना चाहते हैं, जिसमें सब भारतीय किसी भी प्रकार अपना धर्म त्याग किये बिना—विवाह के इन कतिपय कामों आदि को छोड़ कर जो महत्वपूर्ण हैं और तत्स्वरूप उत्तराधिकार को छोड़ कर जो विवाह का अनुगामी है—सम्मिलित हो सकते हैं। अस्तु, यदि वे स्वेच्छा से चाहते हैं, तो वे इसमें सम्मिलित होते हैं।

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

वे अपने धर्म, अपने विश्वास या कुछ भी परित्याग नहीं करते हैं, किन्तु वे निश्चित रूप से उत्तराधिकार आदि के मामले में अपनी स्वीय विधि का परित्याग करते हैं।

कुछ मित्रों ने कहा है: "यदि आप एक सिविल संहिता पुरःस्थापित करें और इसे सब व्यक्तियों पर लागू करें, तो हम उसे पूर्णतया स्वीकार कर लेंगे" मैं किसी ऐसी सिविल संहिता को पसन्द करता हूं जो प्रत्येक व्यक्ति पर लागू हो।

श्री एस० एस० मोरे: तो बाधा क्या है ?

श्री जवाहरलाल नेहरू: बाधा क्या है ? बुद्धि बाधा डालती है।

श्री एस० एस० मोरे: बुद्धि नहीं, प्रतिक्रिया बाधा डालती है।

आचार्य कृपालानी: बुद्धि की न्यूनता ?

श्री एस० एस० मोरे: जी हां, बुद्धि की न्यूनता।

श्री जवाहरलाल नेहरू: माननीय सदस्य को इस विषय में अपने स्वतन्त्र विचार रखने का पूर्ण अधिकार है। यदि वह कोई सिविल संहिता विधेयक प्रस्तुत करें तो इस को मेरी सम्पूर्ण सहानुभूति प्राप्त होगी। परन्तु मैं इसे स्वीकार करूंगा; मैं नहीं समझता कि अभी भारत में ऐसा समय आ गया है कि मैं इसे लाने का प्रयत्न करूं। मैं भूमिका तैयार करना चाहता हूं, मैं इस का विरोधी नहीं हूं। और इस प्रकार का विधेयक भूमिका तैयार करने का एक उपाय है, और हम धीरे धीरे उस दिशा में अग्रसर हो रहे हैं। किन्तु इस प्रकार के तर्क का जिसे वह प्रगतिशील कहते हैं परिणाम यह है कि यह हमें उस दिशा में एक भी पग बढ़ाने से रोकता है; जब तक आप अन्तिम लक्ष्य पर पहुंचने के योग्य नहीं होते, वहां बिल्कुल न जाना, और इसलिये इस की ओर कोई भी पग न बढ़ाना, यह एक अत्यन्त असाधारण प्रकार की प्रगतिशीलता है। निश्चय ही यह तर्क संगत या उचित नहीं है। परन्तु हम इस मामले पर चर्चा नहीं कर रहे हैं।

मैं यह बात इन खण्डों के सम्बन्ध में ही कह रहा हूं। खण्ड १५ को लीजिये। मैं यह बता दूं कि जहां तक हमारा सम्बन्ध है, हम श्री डाभी के संशोधन संख्या ३१५ को स्वीकार करने को तैयार हैं, जो इस अधिनियम के लागू होने से पहले, रूढ़िगत विधि के अनुसार निषिद्ध पीढ़ियों के अन्तर्गत किये गये विवाहों के पंजीयन को रोकता है। यदि यह संशोधन न होता तो मैं शिकायत भी न करता। किन्तु कई व्यक्तियों ने यह सोचा कि यह समस्त कुमार्गों को स्वीकार करने के लिये लोगों को उत्साहित करन, तथा इधर उधर घूम फिर कर कोई सीधी कार्य वाही न करने का एक उपाय होगा। वह उन विवाहों पर लागू नहीं होता है, जो पहले सम्पन्न हो चुके हैं, अर्थात् रूढ़िगत विधि के अधीन सम्पन्न हुये विवाहों पर यह लागू नहीं होगा। इस विधेयक के अन्तर्गत जो निषिद्ध पीढ़ियां मानी गई हैं, यदि व रूढ़ि के अन्दर हैं, तो निश्चय ही वे पूर्णतया वैध हैं। क्या व पंजीयन करा सकते ह ? मैं कहूंगा "हां", मैं ने बाद को भी "हां" कहा होता, परन्तु यहां इस विषय में अवश्य कहा जाना चाहिये, कि केवल यही एक उपाय हो सकता है। इसलिय मैं श्री डाभी के इस संशोधन को स्वीकार करन को तैयार हूं, जिस में कहा गया है कि रूढ़िगत विधि के अनुसार, निषिद्ध पीढ़ियों के अन्तर्गत भी सम्पन्न किय गय विवाह, पंजीबद्ध किय

जायेंगे, यदि वे इस अधिनियम के लागू होने से पूर्व किये गये हैं।

खण्ड १८ में पंजीयन के प्रभाव के सम्बन्ध में, हम श्री वेंकटरामन् के संशोधन संख्या ३२० को स्वीकार करने के लिये तैयार हैं। संशोधन इस प्रकार है:

> "परन्तु इस धारा में अन्तर्विष्ट किसी भी उपबन्ध को उन बच्चों को किसी भी मामले में जहां, इस अधिनियम के पारित न होने की अवस्था में, ऐसे बच्चे अपने माता पिता की औरस सन्तान न होने के कारण ऐसा कोई अधिकार प्राप्त करने या रखने के अयोग्य होते, अपने माता पिता के अतिरिक्त अन्य किसी व्यक्ति की सम्पत्ति में या पर कोई अधिकार प्रदान करने वाला नहीं समझा जायेगा।"

मेरी राय में, मैं आशा करता हूं कि ऐसा समय आयेगा जब औरस और जारज सन्तान के बीच इन अधिकारों के सम्बन्ध म कोई भेद भाव नहीं किया जायेगा.....

श्री के० के० वसु : तो इसे वापिस ले लीजिय।

श्री जवाहरलाल नेहरु: परन्तु यहां हमें इस विधेयक की परिधि को याद रखना चाहिये। मेरे लिये या किसी अन्य सदस्य के लिये इस विधेयक में अपने विचार या अपनी धुन को प्रश्रय देना श्रेयस्कर नहीं है। हमें इस की परिधि को स्मरण रखना चाहिये। यदि हम और कुछ चाहते हैं तो हमें एक पृथक् विधेयक प्रस्तुत करके उस पर पृथक् रूप से विचार करना चाहिये। यहां यह तर्क दिया गया था और आपत्ति की गई थी कि इस विधेयक के द्वारा हम कुछ व्यक्तियों को सम्पत्ति के उत्तराधिकार सम्बन्धी कतिपय वर्तमान अधिकारों से वंचित कर रहें हैं। हम नहीं चाहते कि इस तर्क का उत्तर न दिया जाये। इसलिये यद्यपि हम यह नहीं मानते हैं कि तथाकथित जारजता से किसी व्यक्ति को, सम्पत्ति के उत्तराधिकार के मामले में हानि पहुंचेगी, तथापि हम दूसरे व्यक्तियों को वंचित करना नहीं चाहते हैं, क्योंकि जब यह विधेयक अपने उद्देश्य से आगे निकल जायेगा तो अन्य कठिनाइयां उत्पन्न हो जायेंगी। इस लिये हम खण्ड १८ में इस संशोधन को स्वीकार करने को तैयार हैं।

इन दो संशोधनों के अतिरिक्त जिनका मैं ने सुझाव रखा है, मैं निवेदन करता हूं कि पारसियों आदि से सम्बन्धित कुछ छोटे संशोधनों को छोड़ कर खण्ड १५, १६, १७, १८, १९, २० और २१ को जैसे वे हैं, वैसे ही स्वीकार कर लिया जाना चाहिये।

डा० रामा राव : क्या म प्रधान मंत्री से एक प्रश्न पूछ सकता हूं? खण्ड १५ (ङ) के विषय में उन्होंने कहा है कि इसके पश्चात् होने वाले विवाहों के पंजीयन की अनुमति नहीं दी जानी चाहिये। उन्हें ज्ञात होना चाहिये कि इस विधि की अवज्ञा करते हुए सामान्यतया हजारों विवाह होते हैं। उन व्यक्तियों को इसका लाभ उठाने से क्यों रोका जाये? यदि वे इस अधिनियम के पारित होने के पश्चात् विवाह करते हैं? तो उन्हें इस अधिनियम का लाभ उठाने से क्यों रोका जाय?

श्री जवाहरलाल नेहरु : स्वयं कुछ कठिनाई का अनुभव करते हुए मैं इस विषय में माननीय सदस्य से सहमत हूं। मैं उन्हें रोकना नहीं चाहता हूं, मैं समझता हूं कि हमें उन्हें रोकना नहीं चाहिये। परन्तु मैं यह भी मानता हूं कि जो आपत्ति की गई है, उसमें कुछ सार है। मैं स्पष्ट तौर पर कहता हूं कि मने इसे

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

समझौते के रूप में स्वीकार किया है। भविष्य म इस विधि के अधीन वे विवाह कर सकते हैं। उन्हें इसका लाभ उठाने के लिये किसी उल्टे रास्ते से आने की आवश्यकता नहीं है।

श्री वी० जी० देशपांडे : इस संशोधन के द्वारा, यह सम्भव नहीं होगा।

श्री जवाहरलाल नेहरू : जैसा मैंने कहा है, मेरा उत्तर यह है कि ऐसा व्यक्तियों की इच्छा के अनुसार किया गया है।

श्री बिस्वास : कम से कम इस सभा में विधेयक के पारित किये जाने के सम्बन्ध में यह अन्तिम भाषण नहीं है। मैं ऐसा नहीं कह सकता हूं। ऐसी भविष्यवाणी करना कि इस विधेयक को पारित करने की यह अन्तिम स्थिति है मेरे लिये एक मूर्खता की बात होगी।

श्री गाडगील (पूना मध्य) : इस संसार में कहीं भी अन्तिम स्थिति नहीं है।

श्री बिस्वास : हम इतिहास बना रहे हैं तथा इस विधेयक पर सर्वप्रथम एक संयक्त बैठक हो सकती है। मैं यहां तथा दूसरी सभा में इस विधान के सम्बन्ध में लगभग पांच बार बोल चुका हूं तथा प्रत्येक अवसर पर मैंने इस विधेयक के विशिष्ट अंगों पर विशेष ध्यान आकर्षित कराने का प्रयत्न किया है। ऐसा ज्ञात होता है कि इस सबका कोई प्रभाव नहीं हुआ है।

श्री अलगू राय शास्त्री : सभी देव दूतों की यही गति होती है।

श्री बिस्वास : मैं अपने कथन को वर्तमान अवसर तक ही सीमित रखूंगा तथा अपने भाषणों व निवेदनों को विस्तारपूर्वक नहीं दुहराऊंगा। यद्यपि कुछ न कुछ पुनरावृत्ति तो अनिवार्य रूप से हो ही जाती है।

अधिकांश माननीय सदस्यों के भाषण से मैं इस निर्णय पर पहुंचा हूं कि यह एक ऐसा क्रान्तिकारी परिवर्तन किया जा रहा है जिसके भयानक परिणाम होंगे तथा जो सामाजिक ढांचे को नष्ट भ्रष्ट कर देगा। (**अन्तर्बाधा**) मैं आदरपूर्वक तथा विनम्रता से यह सुझाव देता हूं कि इस विधेयक का न तो यह उद्देश्य ही है ओर न इसका ऐसा प्रभाव ही पड़ेगा।

बाबू रामनारायण सिंह : तब विधेयक का क्या उद्देश्य है ?

श्री बिस्वास : मैं यह आशा करता हूं कि सभा अपने मतदान से यह दिखायेगी कि वह इस विधान का एक उचित दिशा में एक कदम के रूप में स्वागत करती है। सर्वप्रथम, जैसा कि माननीय प्रधान मंत्री ने संकेत किया है कि यह राज्य की नीति के निर्देशक सिद्धान्तों का उपबन्ध करने वाले संविधान के अनच्छेद ४४ में निश्चित किये गये उद्देश्य की ओर एक सच्ची प्रगति है।

दूसरे, विधि को समाज की परिवर्तित परिस्थितियों के अनरूप लाने का यह एक वास्तविक प्रयत्न है। यही तो प्रमुख उद्देश्य है। डा० जयसूर्य ने कहा है कि सरकार ने यह व्याख्या नहीं की कि इन सामाजिक विधानों के पीछे कौनसा सामाजिक दर्शन है। इसका अन्तिम तथा सुस्पष्ट चित्र हम तब तक प्रस्तुत नहीं कर सकते हैं जब तक कि हम उसके ब्यौरे को जानने के लिये तैयार न हों। किन्तु सामान्य चित्र यह है।

वास्तव में, जैसा कि प्रधान मंत्री ने संकेत किया है कि देश में दसियों सम्प्रदाय तथा स्वीय विधियां हैं। (**अन्तर्बाधा**) जिस दिन हम इन सब स्वीय विधियों से छुटकारा पा लेंगे तथा उन्हें एक संहिता में समाविष्ट कर देंगे तो वह भारत के लिये एक महान् दिवस होगा तथा उसी दिन की ओर हम प्रगति करने का प्रयत्न कर रहे हैं। इस विधान

के पीछे यही सामाजिक दर्शन है । वास्तव में हम अनुभव से लाभ उठाना है ।

कई वर्षों तक हिन्दू कोड विधेयक देश के सम्मुख रहा तथा क्या हम कोई उल्लेखनीय प्रगति कर सके ? इस कारण यदि हम यह सुझाव दें कि विभिन्न सम्प्रदायों की स्वीय विधियों को ले लिया जाये तथा क्षण मात्र में ही कलम के एक अक्षर से यह सब कुछ प्राप्त कर लिया जाये तो यह एक ऐसी बात है कि जिसकी मैं कल्पना भी नहीं कर सकता कि ऐसा करना कभी सम्भव है ।

श्री एस० एस० मोरे : हम आप के वक्तव्य को स्वीकार करते हैं ।

श्री बिस्वास : मैं आशा करता हूं कि आप इसे अपने मतदान से सिद्ध करके दिखायेंगे । मैं जानता हूं कि मेरे माननीय मित्र की तरह कुछ अन्य सदस्य भी हैं जो देश के लिये एक रूप व्यवहारिक संहिता की जोरदार मांग करेंगे, तथा साथ ही वह धर्मान्धों का सा जोश दिखायेंगे और कहेंगे कि दूषित करने का अपराध किये बिना आप इसका स्पर्श भी नहीं कर सकते हैं, वे पवित्र हैं तथा वे स्पर्श करने योग्य नहीं हैं तथा तुम उनके सम्बन्ध में कुछ नहीं कर सकते ।'

इस विधेयक के सम्बन्ध में एक आधारभूत प्रश्न जिसका सामना करने के लिये आपने पूरी तरह प्रस्तुत होना है वह यह है कि क्या आप ऐसे दो व्यक्तियों को विवाह की अनुमति देंगे जो एक ही धर्म के अनुयायी न हों । मैं स्वीकार करता हूं कि यह इस देश के लिए विवाह विधि में एक नवीनता है। किन्तु इस विधान का बुनियादी आधार यही है । हमें इस सम्बन्ध में अपना मत निश्चय करना चाहिये । यदि आप यह नहीं चाहते हैं तो स्पष्ट रूप से कहिये और विधेयक को अस्वीकृत कर दीजिये ।

श्री अलगू राय शास्त्री : हम इसे स्वीकार करते ह ।

श्री बिस्वास : यदि आप इसे स्वीकार करते हैं तो आप को इसके परिणामों को भी स्वीकार करना होगा । विधेयक एक ही धर्म के मानने वाले दो व्यक्तियों को विवाह करने से नहीं रोकता है । वह स्वीय विधि अथवा इस विधि के अन्तर्गत विवाह करने के लिये स्वतन्त्र हैं; किन्तु जहां तक यह एक धर्म के व्यक्ति को दूसरे धर्म के व्यक्ति से विवाह करने की अनुज्ञा देता है तो आपको विवाह करने वाले पक्षों की स्वीय विधि को लागू करने का विचार त्याग देना पड़ेगा । आपके पास ऐसी कोई स्वीय विधि नहीं हो सकती है जो विवाह के दोनों पक्षों पर यदि विवाह दो विभिन्न धर्मों में हो रहा है तो लागू हो । यदि आप ऐसे मामले में किसी भी पक्ष की स्वीय विधि का प्रयोग करेंगे तो ऐसा करना अनुचित होगा ।

अब विवाहों के पंजीयन का प्रश्न है । यह भी एक नवीनता है; इसके सम्बन्ध में कोई सन्देह नहीं है । यह पंजीयन आंकड़े रखने के प्रयोजन के लिये नहीं है । इस विधेयक का एक निश्चित उद्देश्य है और वह यह है कि इससे पूर्व किसी रूप से भी विवाहित व्यक्ति इस विशेष विधि के लाभों तथा सुविधाओं से वंचित न हों । वे लाभ हैं अथवा सुविधायें यह बात सम्बन्धित पक्षों पर छोड़ दी जानी चाहियें । उनकी ओर से इसका स्वयं कोई निर्णय नहीं करना चाहिये । कोई विवशता नहीं है तथा लोग इस अधिनियम के आधीन विवाह करने अथवा न करने को स्वतन्त्र हैं ।

इससे मैं इस विधेयक के तीसरे बुनियादी तथ्य पर आता हूं जिसे माननीय सदस्यों को नहीं भूलना चाहिये, तथा मुझे दुख है कि इस अंग पर आलोचकों के द्वारा यथोचित जोर नहीं डाला गया है । यह नहीं भूलना

[श्री बिस्वास]

चाहिये कि जो लोग सर्वप्रथम इस विधि के आधीन विवाह करेंगे अथवा अपने विवाहों को पंजीबद्ध करायेंगे वे निरे बालक नहीं होंगे जिन्हें ऐसे मार्ग पर घसीटा अथवा धकेला जायेगा जिसके झंझटों व दायित्वों का स्वयं उन्हें पता न हो तथा कुछ माननीय सदस्यों के शब्दों में इस विधान की भयावह संभावनाओं के प्रति वे भी अपनी आंखें उतनी ही खुली रखेंगे जितनी कि आलोचकों की आंखें हैं। (**अन्तर्बाधा**)

इससे मैं आलोचना पर विशेष रूप से विचार करूंगा। मैं सर्वप्रथम खंड १५ के सम्बन्ध में की गई आलोचना पर विचार करूंगा। इस खंड का विरोध मुख्य रूप से पंडित ठाकुर दास भार्गव की ओर से हुआ है। श्री पाटस्कर की ओर से संशोधन २६०, ३७० तथा ३७१ तथा एन० सी० चटर्जी की ओर से संशोधन संख्या १८७ प्रस्तुत किये गये हैं। इन पर चर्चा करने से पूर्व मैं विधेयक के खंड ५० (२) के उपबन्धों की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हू कि १८७२ के विशेष विवाह अधिनियम के होते हुए भी

> "वह सभी विवाह, जिनको विशेष विवाह अधिनियम १८७२ (१८७२ का तीसरा ३) अथवा ऐसी किसी तत्स्थानी विधि के अधीन सम्पन्न किया गया हो, इस अधिनियम के आधीन सम्पन्न हुए मान लिये जायेंगे।"

इसलिये, खंड १५ के आधीन आपको विशेष विवाह अधिनियम के आधीन सम्पन्न हुए विवाहों से सम्बन्ध नहीं रखना है। वे स्वय ही इस अधिनियम के अधीन सम्पन्न हुए माने जायेंगे। बहुत से संशोधन इस भावना से प्रस्तुत किये गये हैं जैसे कि कोई ऐसा उपबन्ध ही न हो; मैं इसी का संकेत करना चाह रहा था।

श्रीमान् उन संशोधनों का, जिनका मैंने निर्देश किया है, प्रभाव व्यवहारिक रूप से यह होगा कि स्वीय विधि अथवा किसी अन्य विधि के अधीन सम्पन्न हुए विवाहों का पंजीयन से अपवर्जन हो जायेगा, अर्थात् यदि पहले सम्पन्न कोई वैध विवाह हो तो पक्षों को इस नई विधि के अधीन पंजीयन का अधिकार नहीं होगा जिससे कि वे इसके उपबन्धों का लाभ उठा सकें। श्री चटर्जी पडित ठाकुर दास भार्गव जितने दूर नहीं गये हैं, क्योंकि वह इस अपवर्जन को संस्कारिक हिन्दू विवाहों तक ही सीमित रखना चाहते हैं। मैंने तर्कों को ध्यानपूर्वक सुनने की कोशिश की किन्तु परन्तु वे मुझे सभाश्वासित नहीं कर सके। जैसा कि पहिले ही व्याख्या की जा चुकी है पंजीयन एच्छिक है। विधेयक में उचित सुरक्षाओं की व्यवस्था की गई है जिससे कि इस अधिकार का अनुत्तरदायी तथा अविवेकपूर्ण प्रयोग न हो सके। दूसरे, यह उपबन्ध है कि दोनों ने २१ वर्ष पूर्ण कर लिये हों। मेरा निवेदन है कि यह उपयुक्त सुरक्षा है। यदि अध्याय ३ की शर्तों की ध्यानपूर्वक परीक्षा की जाये तो यह ज्ञात होगा कि पंजीयन का एक अग्रेतर प्रभाव यह होगा कि संदेहयुक्त विवाहों को वैध मान लिया जायेगा। एक प्रश्न यह पूछा गया था कि यह कौन निश्चय करेगा कि विवाह संदिग्ध है अथवा नहीं। मैं कहूंगा कि स्वयं पक्षों को ही यह निश्चय करना चाहिये। यदि वे पति पत्नी के रूप में रह रहे हों तथा उनके जीवन पर आक्षेप किया गया हो यह निश्चय करने के लिये कि वे पंजीयन के लिये आवेदन करें या नहीं, वही सर्वोत्तम व्यक्ति है। यदि आप पक्षों पर यह निश्चय करने के लिये भरोसा कर सकते हैं कि उनका विवाह वैध है या नहीं तब आप उन्हें यह निश्चय करने का विवेक क्यों नहीं देते हैं कि वे पंजीयन के लिये आवेदन करें अथवा नहीं।

पंजीयन का दूसरा प्रभाव यह होगा कि यह अप्रत्यक्ष रूप में विवाह-विच्छेद तथा उत्तराधिकार पर एक रूप विधि लागू करेगा। यह किसी दूसरे रुप में विवाहित होने वाली स्त्रियों को यह देखने में सहायता देगा कि पति दूसरी पत्नी न रख सके। यदि पति तथा जीवित पत्नी विवाह को पंजीबद्ध करने का निश्चय करे तब दूसरी स्त्री के परिवार में लाये जाने का भय नहीं रहेगा। यह पक्षों के दृष्टिकोण से भी बच्चों के लिये अधिक अच्छे अधिकारों की सुरक्षा करता है। यह आलोचना की गई थी कि उत्तराधिकार तथा दूसरे अधिक्कार पर्याप्त आकर्षक नहीं हैं। मैं कहता हूं कि इन्हें पक्षों के निर्णय पर छोड़ दिया जाये। वे स्वयं अपने तथा अपने बच्चों के लिये कुछ उपबन्ध कर रहे हैं। क्या वे ऐसी बातों का निश्चय करने के लिये सर्वोत्तम व्यक्ति नहीं हैं? यद्यपि आप न सोचो किन्तु विवाह के पक्ष यह सोच सकते हैं कि इस विधेयक में विवाह-विच्छेद के उपबन्ध हिन्दू विवाह तथा विवाह-विच्छेद विधेयक में प्रस्तावित उपबन्धों से अधिक उदार हैं।

यह तर्क किया गया है कि यदि पक्षों का विधिपूर्वक विवाह हुआ हो तो विवाह को इस प्रकार पंजीबद्ध कराने का, जैसे कोई दूसरा विवाह होने वाला हो, कोई प्रश्न नहीं है। यह स्थिति नहीं है। यदि किसी दूसरी रीति से विधिपूर्वक विवाह हो जाने के पश्चात यह ज्ञात होता है कि इस अधिनियम के अधीन दिये गये अतिरिक्त अधिकार प्राप्त करने योग्य हैं तब उन्हें अपना विवाह पंजीबद्ध कराना चाहिये अन्यथा नहीं।

किसी भी बच्चे को प्रलोभन से दूर नहीं रखना चाहिये। प्रलोभन से बचने तथा अपने को धर्मात्मा कहने का आडम्बर करने से कोई लाभ नहीं है।

इसलिये मैं कहता हूं कि माननीय सदस्यों को इन व्यक्तियों के कल्याण का भी विचार होना चाहिये तथा उन की कार्य स्वतन्त्रता में हस्तक्षेप करने से कोई लाभ नहीं है। मैं जानता हूं कि कुछ लोग बच्चों की तरह होते हैं उन्हें, तथा अशिक्षित स्त्रियों इत्यादि की रक्षा के लिये विधि की आवश्यकता होती है। मैं नहीं समझता कि इस अधिनियम के अन्तर्गत पंजीबद्ध होने वाले विवाह इस श्रेणी के व्यक्तियों के होंगे।

मेरे कुछ माननीय मित्रों ने यहां तक सुझाव दिया है कि सरकार ने जैसे अपने प्रयोजन के निमित्त ऐसे मार्ग को प्रोत्साहित करन वाले उपबन्ध बनाये हैं जो कि निश्चय ही दूसरी रीतियों से विवाह करने वाले व्यक्तियों के हितों के प्रतिकूल होंगे। श्रीमान्, मैं इस आरोप का जोरदार विरोध करता हूं सरकार का न तो यह उद्देश्य है और न सरकार की यह नीति ही है। वह विभिन्न धर्मावलम्बियों के बीच विवाह होने की कठिनाई को सरल करना चाहती है। हम यह परिवर्तन करना चाहते हैं तथा खुले बन्दों करना चाहते हैं एव सभा की अनुमति से करना चाहते हैं न कि आंख मिचौली खेल कर। निसंदेह यदि सभा इसके विरोध में होगी तो हम इसे अस्वीकृत कर देंगे। किन्तु हमारा अनुमान है कि सभा इस प्रकार के विधान के प्रति अपनी सहमति देगी।

जहां तक मेरी सम्मति का प्रश्न है, मेरा तो यह कहना है कि इस अधिनियम से पहले या बाद की हुये किसी भी विवाह को पंजीयन से अपवर्जित नहीं किया जाना चाहिये। अपवाद केवल मैं खंड १५(ङ) के संबन्ध में करूंगा यदि पक्ष निषिद्ध पीढ़ियों के हों। मैं तो इस परन्तुक के बिल्कुल ही निकाल दिये जाने के पक्ष में हूं जिससे कि इस विधेयक से संलग्न अनुसूची में उल्लिखित निषिद्ध पीढ़ियों में यदि विवाह हो गया हो तो उस विवाह को पंजीबद्ध नहीं किया जायेगा। यही एक तर्कसंगत मार्ग है और इसमें कोई संदेह नहीं है।

[श्री बिस्वास]

मैं इसलिये श्री दाभी के संशोधन संख्या ३१५ को सरकार की ओर से स्वीकार कर लूंगा।

अब मैं संक्षेप में अन्य संशोधनों की ओर निर्देश करूंगा। श्री राघवाचारी का संशोधन संख्या १८६ स्वीकार्य नहीं है क्योंकि जिस शब्द को बदलने की संशोधन में प्रस्थापना की गई है वह अपने स्थान पर पूर्ण रूप से उपयुक्त है। श्री मुकन्दलाल अग्रवाल का संशोधन संख्या २६१ शब्दों "whether before or after" ("चाहे बाद अथवा पहले") के स्थान पर शब्द "before" ("पहले") रखे जाने के सम्बन्ध में है। जैसा मैं निवेदन कर चुका हूं इस अध्याय का उद्देश्य अधिनियम पूर्व के विवाहों तक ही सीमित नहीं है। प्रतिबन्ध केवल परन्तुक (ङ) के सम्बन्ध में है। अब आता है श्री बी० पी० सिन्हा का संशोधन संख्या ३९। उसमें यह कहा गया है कि इस अधिनियम के लागू होने से छः महीने की अवधि में हुये विवाहों को ही पंजीबद्ध किया जाये। संशोधन में यह नहीं दिया गया है कि यह अवधि अधिनियम के लागू होने से पूर्व की है अथवा बाद की, अतः यह संशोधन अस्पष्ट है।

श्री टेकचन्द का संशोधन संख्या ३७२ भी स्वीकार्य नहीं है। हम पंजीयन की व्यवस्था करते हैं और यदि पंजीयन करा लिया जाता है तो वह विवाह वैध हो जायेगा। इसलिये यह सब कुछ अनावश्यक है।

इसके पश्चात् डा० जयसूर्य का संशोधन संख्या १८८ है। अब पक्षों की आयु २१ वर्ष होगी इसलिये उनके द्वारा प्रस्तावित शब्दों के सम्मिलित किये जाने की आवश्यकता नहीं ह।

अब आते हैं श्रीमती जयश्री के दो संशोधन संख्या ७३ तथा ७५। मेरे विचार से वह प्रथम के सम्बन्ध में उत्सुक नहीं हैं। संशोधन संख्या ७५ से वह यह शब्द "स्त्री अकन्या न हो" जोड़ना चाहती हैं। शब्द "अकन्या" का रखा जाना आवश्यक नहीं है, क्योंकि शब्द "क्लीव" में सभी प्रकार अक्षमतायें आ जाती हैं। मुझे विश्वास है कि माननीय सदस्या मेरी इस व्याख्या से संतुष्ट हो जायेंगी।

अब आता है संशोधन संख्या १८९ जिसमें पंजीयन की आयु को पुरुष के लिये २१ वर्ष और स्त्री के लिये १८ वर्ष रखे जाने का प्रावधान है। मेरा निवेदन यह है कि इसके लिये वही आयु रखना जो कि विवाह के लिये रखी गई है आवश्यक नहीं है।

संशोधन संख्या १३० और २६४ भी स्वीकार्य नहीं हैं। दूसरा संशोधन निषिद्ध पीढ़ियों के सम्बन्ध में है। वह इसलिये स्वीकार्य नहीं है क्योंकि इस खंड में रखी गई शर्तें एकत्रीभूत हैं और उनके पूर्ण रूपेण पूरा हो जाने पर ही पंजीयन की अनुमति दी जायेगी।

श्री बोगावत : मैं जान सकता हूं कि जब हमने विवाह की आयु २१ और १८ वर्ष निश्चित कर दी है तो फिर वह पंजीयन के समय २१ वर्ष की आयु होने की बात पर क्यों आग्रह करते हैं ?

श्री बिश्वास : मैंने अभी निवेदन किया कि खंड १५ के अन्तर्गत विवाह को पंजीबद्ध कराने के लिये अपेक्षित आयु के विवाह की आयु के समान होना आवश्यक नहीं है।

संशोधन संख्या १३१ भी मुझे स्वीकार्य नहीं है। खंड १६ पर कोई संशोधन नहीं है।

खंड १७ पर केवल एक संशोधन है और उसमें आपत्तिकर्त्ता द्वारा अपील दायर किये जाने के अधिकार की मांग की गई है। मैं समझता हूं कि इसकी आवश्यकता नहीं है। यह विवाह तो है नहीं। अपना विवाह पंजीबद्ध

कराने वाले व्यक्ति पंजीयन कराना चाहते हैं, और यदि पंजीयन किये जाने से इंकार किया गया है तो वह अपील कर सकते हैं। आपत्ति-कर्त्ता का इसमें क्या काम है। अतः यह अनावश्यक है।

खंड १८ के सम्बन्ध में केवल तीन संशोधन हैं, दो पंडित ठाकुर दास भार्गव के हैं और एक श्री वेंकटरामन् का है। पंडित भार्गव का संशोधन संख्या २६८ मेरी समझ में नहीं आया है उनका क्या अभिप्राय है यह मैं नहीं समझ सका हूं।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : विवाह पंजीयन पंजीयन की तिथि से मान्य होगा अथवा विवाह की तिथि से ?

श्री बिस्वास : पंजीयन की तिथि से। इस अधिनियम के अन्तर्गत किया गया विवाह पंजीपन की तिथि से ही हुआ माना जायेगा, परन्तु यह उस विवाह को जो उस समय हुआ होगा रद्द नहीं करेगा।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : यदि आप खंड २१ को संशोधित नहीं करते हैं अथवा खंड १८ के सम्बन्ध में मेरे संशोधन को स्वीकार नहीं करते हैं तो उत्तराधिकार विधि पंजीयन से पूर्व उत्पन्न हुए बच्चों पर लागू होगी।

श्री बिस्वास : उत्तराधिकार अधिनियम लागू नहीं होगा। उत्तराधिकार अधिनियम केवल तभी लागू होगा जब यह इस अधिनियम के अनुसार विवाह होगा और जब यह इस अधिनियम के अधीन सम्पन्न हुआ समझा जायेगा। वही पंजीयन की तिथि होगी।

श्री एस० एस० मोरे : क्या मैं एक प्रश्न पूछ सकता हू ? विवाह सम्पन्न होने के लिये तो वह तिथि होगी, किन्तु जहां तक पंजीयन से पूर्व उत्पन्न बच्चों की और सत्ता का सम्बन्ध है यह विवाह की मूल तिथि से मानी जायेगी।

श्री बिस्वास : यदि आप खण्ड १८ की भाषा को देखें, तो यह बात स्पष्ट हो जायेगी।

श्री एस० एस० मोरे : उस खण्ड में दो अवधियां दी गई हैं एक अन्य कार्यों के लिये पंजीयन की तिथि से आरम्भ होती है, और दूसरी औरसत्ता के उद्देश्य के लिये मूल विवाह संस्कार की तिथि से आरम्भ होती है।

श्री बिस्वास : यदि आप खण्ड १५ के उपखण्ड (क) को देखें, तो वहां ये शब्द हैं "वर और वधू के बीच विवाह संस्कार हो चुका है और वे तभी से पति और पत्नी के रूप में इकट्ठे रह रहे हैं। "विवाह संस्कार" इन शब्दों का प्रयोग किया गया है। ये शब्द खण्ड १८ के एक भाग में दुहराये गये हैं, और उसी खण्ड में भिन्न शब्दावलि प्रयक्त की गई है। खण्ड में कहा गया है :

> "धारा २४ की उपधारा (२) में किये गये उपबन्धों के अधीन रहते हुए, जहां इस अध्याय के अधीन विवाह प्रमाण पत्र पुस्त में विवाह का प्रमाण पत्र अन्तिम रूप में दर्ज किया जा चुका है, विवाह इस दर्ज करने की तिथि से।"

अर्थात् पंजीयन की तिथि,

"इस अधिनियम के अनुसार सम्पन्न हुआ विवाह माना जायेगा।"

ऐसे विवाह के सम्पन्न होने से सभी परिणाम प्राप्त होंगे।

इस खण्ड के दूसरे भाग में कहा गया है :

"और विवाह संस्कार की तिथि के पश्चात् उत्पन्न सब बच्चे" अर्थात् यह कहा गया है कि यह विवाह की मूल तिथि से मानी जायेगी। अतः औरसता के सम्बन्ध में यह पिछले विवाह की तिथि से प्रभावी होगी।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : क्या इस खण्ड के अधीन सम्पन्न हुए विवाह से होने

[पंडित ठाकुर दास भार्गव]

वाले बच्चे खण्ड २१ के उद्देश्यों के लिये खण्ड २१ के अन्तर्गत आते हैं या नहीं ?

श्री बिस्वास : वह बच्चे जो पंजीयन के तिथि से पहले उत्पन्न हुए हों, भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के अधीन उत्तराधिकार के अधिकारी नहीं होंगे ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : तब आपको संशोधन अवश्य स्वीकार कर लेना चाहिये और विधि को अपने वक्तव्य के समान बनाना चाहिये ।

श्री बिस्वास : भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम केवल पंजीयन की तिथि के पश्चात् लागू होगा ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : तो, खण्ड २१ में, आपको संशोधन स्वीकार कर लेना चाहिये ।

श्री पाटस्कर : पहले बच्चे जारज होंगे ।

श्री बिस्वास : वे खण्ड १८ के पिछले भाग के द्वारा औरस बना दिये गये हैं । कृपया खण्ड १८ के दोनों भागों में भ्रान्ति उत्पन्न न कीजिये । एक भाग का सम्बन्ध उस तिथि से है जिससे अधिनियम लागू होगा । दूसरे भाग का सम्बन्ध उस तिथि से है, जिससे औरसता निश्चित की जायगी ।

श्री पोकर साहेब (मलप्पुरम्) : मैं जान सकता हूं कि विवाह सम्पन्न होने से पहले उत्पन्न हुए बच्चे, जिनका निर्देश खंड १८ में किया गया है, क्या विधेयक के खंड २१ के उपबन्धों के अनुसार भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम द्वारा प्रशासित नहीं होंगे ?

श्री बिस्वास : मैं बताऊंगा—खंड २१ में लिखा है "ऐसे विवाह से उत्पन्न संतति," इसका तात्पर्य यह है कि वह विवाह, जिसका निर्देश पहले खंड में किया गया है, अर्थात् इस अधिनियम के अधीन सम्पन्न हुआ विवाह, अथवा इसके अधीन सम्पन्न हुआ माना गया विवाह । इससे किसी अन्य विवाह की ओर निर्देश नहीं हो सकता है । अतः जो विवाह इस अधिनियम के अधीन सम्पन्न होगा, उसकी सन्तति भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम से प्रशासित होगी । परन्तु यदि विवाह तो पहले हो चुका हो और उसे बाद में पंजीबद्ध कराया गया हो, तब उत्तराधिकार अधिनियम पंजीयन के पश्चात् उत्पन्न होने वाली सन्तति पर लागू होगा ।

श्री वी० जी० देशपांडे : क्या यह विवाह के पश्चात् उत्पन्न हुई सन्तति पर खंड २१ के अधीन लागू होगा ?

श्री बिस्वास : यदि मुझे प्रत्येक माननीय सदस्य से बातचीत करनी पड़ी तो मैं कैसे बता सकूंगा? आपके सामने शब्द हैं, और भाषा भी दी गई है । यदि आप उस भाषा से सन्तुष्ट नहीं हैं तो आपको उसके स्पष्टीकरण के लिये संशोधन प्रस्तुत करना चाहिये था । दूसरे, संशोधन भाषा को सुधारने की दृष्टि से ही नहीं दिये जाते हैं बल्कि सारे विचार का ही विरोध करने के प्रयोजन से दिये जाते हैं । बहुत से संशोधन ऐसे ही हैं ।

श्री एन० सी० चटर्जी : मैं माननीय विधि मंत्री से यह कहना चाहता हूं कि यह खंड २१ उसी खंड का अनुकरण है जिसे डा० गौड़ के संशोधक अधिनियम, १९२३ द्वारा पुरःस्थापित किया गया था । इलाहाबाद उच्च-न्यायालय के न्यायाधीशों ने यह विचार प्रकट किया है कि इस खंड के शब्दों से भी यह प्रश्न उत्पन्न होगा, कि यदि कोई व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन विवाह करेगा तो उसका क्या बनेगा ? उसके एक पुत्र भी है जो पहले हिन्दू संस्कारों द्वारा सम्पन्न विवाह की सन्तति है—

उसने एक अन्य स्त्री से विवाह कर लिया है — और कुछ समय के पश्चात् उसकी मृत्यु हो गई। तो प्रश्न यह हुआ कि उस पुत्र की स्थिति अब क्या होगी ? इलाहाबाद के न्यायाधीशों का निर्णय है कि वह पुत्र दो तिहाई सम्पत्ति का अधिकारी है और वह विधवा एक तिहाई की। हिन्दू संस्कारों द्वारा सम्पन्न विवाह की सन्तति को दो तिहाई मिलेगा और भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के अधीन विधवा को एक तिहाई। यह खंड भी भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम द्वारा ही प्रशासित होगा और वह पुत्र खंड ३२-३३ के अधीन क्रमागत उत्तराधिकारी बन जाता है।

श्री बिस्वास : अपने माननीय मित्र के प्रति जो एक महान् विधिवेत्ता हैं, उचित सम्मान प्रकट करते हुए, मैं कहना चाहता हूं कि हमारा सम्बन्ध यहां किसी अन्य अधिनियम में उसे स्थान पाने की आवश्यकता नहीं क्योंकि पंजीयन का उपबन्ध वहां नहीं था। अतः हमें उस कठिनाई से कोई कष्ट नहीं है जो मेरे अनेक मित्रों को कष्टदायक है। वे जो कुछ कहते हैं वह उत्तर नहीं है। खंड इस प्रकार है:

> "भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम में किसी निबन्धनों के होते हुए भी, कतिपय जातियों के सदस्यों को उसे लागू करने के विषय में ....."

जैसे मुस्लिम, हिन्दू, पारसी इत्यादि

> "किसी व्यक्ति की, जिस का विवाह इस अधिनियम के अन्तर्गत सम्पन्न हुआ हो, सम्पत्ति का उत्तराधिकार तथा ऐसे विवाह से उत्पन्न संतति की सम्पत्ति का उत्तराधिकार,"...अथवा इस अधिनियम के अन्तर्गत सम्पन्न हुआ समझा जाता हो,
>
> "कथित अधिनियम के उपबन्धों से विनियमित होगा"।

इसकी भाषा स्पष्ट है और यदि मेरे माननीय मित्र यह सोचते हों कि कुछ भूल रह गयी है, तो वे एक संशोधन द्वारा जिसकी मुझे सूचना प्राप्त होती, स्पष्ट कर सकते थे।

अब समय निकट है। मैंने पहले कह दिया है और मैं श्री डाभी का संशोधन स्वीकार करूंगा। अन्य संशोधन खंड १८ से सम्बन्धित हैं। खंड १५ के सम्बन्ध में, मेरे मित्र यह स्थानापन्न रखना चाहते हैं :

> "विवाह करने वाले निषिद्ध पीढ़ियों के अन्तर्गत नहीं हैं :
>
> बशर्ते कि इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पूर्व सम्पन्न विवाह के सम्बन्ध में, यह शर्त किसी विधि, रूढ़ि अथवा प्रथा जिसे प्रत्येक को शासित करने वाली विधि का बल प्राप्त हो जो दोनों में विवाह की अनुज्ञा दे; तथा"

यह आज परिचालित सूची के पृष्ठ ४ पर संशोधन संख्या ३१५ है। मैं सरकार की ओर से इसे स्वीकार करता हूं जिसके लिए कारण मैंने पहले ही स्पष्ट कर दिये हैं और मैं उन्हें फिर दोहराना नहीं चाहता।

अगला संशोधन संख्या ३२० है जिसे स्वीकार करने के लिए मैं तैयार हूं। यह खंड १८ में संशोधन है। वह इस प्रकार है :

पृष्ठ ६ की पंक्ति ४७ के अन्त में निम्न लिखित अंश जोड़ा जाय :—

"Provided that nothing contained in this section shall be construed as conferring upon any such children any right in or to the property of any person other than their parents in any case where, but for the passing of this Act,

[श्री बस्वास]

such children would have been incapable of possessing or acquiring and such rights by reason of their not being the legitimate children of their parents."

["किन्तु इस धारा का कहीं यह अर्थ नहीं लगाया जायगा कि ऐसे बच्चों को ऐसे अधिकार दिये जा रहे हैं कि, सिवाय इस अधिनियम के पारण के, उन्हें माता-पिता के अलावा अन्य किसी की सम्पत्ति में या उसके सम्बन्ध में वे अधिकार मिल जायेंगे जो उन्हें अनौरस संतान होने के कारण नहीं मिल सकते"]

आप जानते हैं कि व्यक्तिगत विधि के के अधीन, हिन्दुओं के विषय में जारज संतानों को उत्तराधिकार नहीं मिलता। अब हम यह कहने जा रहे हैं कि चाहे औरस हों अथवा जारज हों, उन्ह औरस समझा जायगा। अब प्रश्न यह उठाया गया कि क्या उन्हें सपिंड उत्तराधिकार के अधिकार भी प्राप्त होंगे। मान लीजिये तीन भाई हैं। उनमें से एक इस अधिनियम के अन्तर्गत विवाह करता है। जहां तक उसकी संतानों का सम्बन्ध है, वे उसकी जारज संतान हैं। जहां तक उससे या उसकी स्त्री से जिससे संतान उत्पन्न हुई है, सम्बन्ध है, वे यह आपत्ति नहीं कर सकते कि यह संतान, यद्यपि जारज हैं, उत्तराधिकार के अधिकारी नहीं हैं। अतः जहां तक माता-पिता का सम्बन्ध है, उत्तराधिकार का अधिकार स्पष्ट रूप से मान्य किया जायगा यद्यपि वे जारज संतान हैं। मेरे अनेक लड़के हैं। मैं अपने भाई के औरस संतान को दाय भाग में हिस्सा क्यों लेने दूं जो मेरे औरस संतान को पूर्णतः मिलना चाहिये था। इस आपत्ति पर विचार किया गया और उसे उचित समझा गया। किसी तरह हो, हमें धीरे धीरे आगे बढ़ना चाहिये। पहली दशा में, हमे उनकी भावनाओं का आदर करना चाहिये जो परिवार के सदस्य हों, जो जारज संतानों को संतान मानने के लिए बिल्कुल इच्छुक न हों, किन्तु उन्हें उत्तराधिकार का अधिकार प्राप्त है। ऐसे मामले के उपबन्ध के लिए, हमने यह उपबन्ध किया है कि इस धारा के अन्तर्गत किसी बात से यह नहीं समझा जायगा कि ऐसी सन्तान को अपने माता पिता के अतिरिक्त अन्य किसी व्यक्ति की सम्पत्ति में कोई अधिकार है। यही विशेष भाग है। मुझे आशा है कि सभा यह संशोधन स्वीकार करेगी।

अन्तिम संशोधन जो मैं सरकार की ओर से स्वीकार करूंगा वह संख्या ८२ है, जो खंड २१ में संशोधन है। संशोधन यह है :

पृष्ठ ७ की पंक्ति १९ के अन्त में निम्नलिखित अंश जोड़ा जाय :—

"and for the purposes of this section that Act shall have effect as if chapter 3 of part V (Special Rules for Parsi intestates) has been omitted therefrom."

["और इस धारा के उद्देश्यों के लिये वह अधिनियम इस प्रकार लागू होगा मानों भाग ५ का अध्याय ३ (पारसी वसीयतहीनों के लिये विशेष नियम) वहां से निकाल दिया गया हो।"]

४ म० प०

माननीय सदस्य देखेंगे कि उत्तराधिकार अधिनियम में एक अध्याय वसीयत रहित उत्तराधिकार का है जिसमें पारसी उस अधिनियम के कार्य क्षेत्र से बाहर रखे गये हैं। अतः

हम उन्हें इस उपबन्ध के कार्यक्षेत्र से बाहर रखना चाहते हैं। अतः मैं इस संशोधन संख्या ८२ को सरकार की ओर से स्वीकार करता हूं। मैं इन संशोधनों को भी स्वीकार करने के लिए तैयार हूं :

खंड १५ में श्री डाभी का संशोधन संख्या ३१५;

खंड १८ में श्री वेंकटरमण और श्री कोठा रघुरामैया का संशोधन संख्या ३२०;

खंड २१ में श्री वेंकटरमण और श्री कोठा रघुरामैया का संशोधन संख्या ८२।

श्री के० के० बसु : अन्तिम क्यों ?

श्री बिस्वास वही मैं अब तक स्पष्ट कर रहा था। पारसी उत्तराधिकार अधिनियम के कार्य क्षेत्र से बाहर कर दिये गये हैं।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : एकरूपता प्राप्त करने के लिए ऐसा किया गया है।

श्री के० के० बसु : यह उपबन्ध उन सभी के लिए लागू किया जाना चाहिये जो इस अधिनियम के अन्तर्गत विवाह करते हैं।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार उत्तराधिकार की पारसियों की एक विशेष रीति है। एकरूपता प्राप्त करने के लिए ही उन्हें उत्तराधिकार अधिनियम के इस भाग के कार्यक्षेत्र से बाहर रखा गया है।

श्री एस० एस० मोरे : इसका यह अर्थ है कि एक पारसी, यदि वह इस अधिनियम के अधीन विवाह करे, तो इस विशिष्ट अध्याय को छोड़ कर उत्तराधिकार अधिनियम के अन्य उपबन्धों से वह शासित होगा।

श्री बिस्वास : यही स्थिति है। वास्तव में हमें पारसी जाति से अभ्यावेदन प्राप्त हुआ था और हमने उनकी प्रार्थना उचित समझी। वास्तव में सरकार से यह एक भूल रह गई थी। यह संशोधन विधेयक में ही सम्मिलित किया जाना चाहिये था।

नये खंड १८क, १८ख तथा १८ग के सम्बन्ध में जिन्हें पंडित ठाकुर दास भार्गव इस विधेयक में सम्मिलित करना चाहते हैं, कुछ कहना आवश्यक है। सम्पत्ति-अधिकारों पर विवाह का प्रभाव एक बहुत कठिन प्रश्न है। उस सम्बन्ध में विधि सम्बन्धी उपबन्ध बनाना उतना सरल नहीं है क्योंकि उस विषय में अनेक प्रश्नों पर विचार करना होगा। आज भी अनेक जातियां हैं जिनकी अपनी अपनी अलग व्यक्तिगत विधियां हैं। मुझे आशा है कि शीघ्र ही वह दिन आयगा जब विभिन्न व्यक्तिगत विधियां न होंगी। अतः इस प्रकार के विवाहों से प्रभावित होने वाले साम्पत्तिक अधिकारों के प्रश्न की विवेचना करने वाला उपबन्ध विधेयकों में जोड़ना गलत है। मुझे उनके संशोधन से सहानुभूति है किन्तु दुर्भाग्यवश अनेक बातों के कारण मैं उनका संशोधन स्वीकार नहीं कर सकता।

सभापति महोदय : अब मैं खंड १५ के संशोधनों को पहले लूंगा। जो माननीय सदस्य अपने संशोधनों के लिए आग्रह करना चाहते हैं, वे कृपा कर बतलायें।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : मैं अपने संशोधन संख्या ३७१ के लिए आग्रह करना चाहता हूं।

श्री एन० सी० चटर्जी : मैं अपना संशोधन संख्या १८७ तथा १९३ के लिए आग्रह करना चाहता हूं।

श्री सी० आर० चौधरी (नरसरावपेट) मैं अपने संशोधन संख्या ७६ के लिए आग्रह करना चाहता हूं।

श्री टेकचन्द : मैं अपने संशोधन-संख्या ३७२ तथा ३७५ के लिए आग्रह करना चाहता हूं।

श्री डाभी : मैं अपने संशोधन संख्या ३१५ के लिए आग्रह करना चाहता हूं।

सभापति महोदय : अतः ये संशोधन हैं जिनके लिए आग्रह किया जा रहा है। हम खंड १५ के संशोधनों को पहले लेंगे।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : संशोधन संख्या ३७१।

सभापति महोदय : खंड १५ में केवल इतने ही संशोधन हैं जिनके लिए माननीय सदस्य आग्रह करना चाहते है : ३७१, १८७, १९३, ७६, ३७२, ३७५ तथा ३१५।

पंडित के० सी० शर्मा : मेरा संशोधन संख्या ५०८।

सभापति महोदय : खंड १५ के लिए अन्य सभी संशोधन सभा की अनुमति से वापस लिये गये समझे जायेंगे।

संशोधन अनुमति से वापस लिये गये।

(तत्पश्चात् सभापति महोदय ने पंडित ठाकुरदास भार्गव का संशोधन संख्या ३७१, श्री एन० सी० चटर्जी के संशोधन संख्या १८७ तथा १९३, श्री सी० आर० चौधरी का संशोधन संख्या ७६, तथा श्री टेकचन्द के संशोधन संख्या ३७२ मतदान के लिए रखे तथा वे अस्वीकृत हुए।)

सभापति महोदय : अब मैं संशोधन संख्या ३७५ मतदान के लिए रखंगा। प्रश्न यह है.....

डा० रामा राव : किन्तु यह पहले ही सम्मिलित हो चुका है।

श्री बिस्वास : वह पहले ही से अवरुद्ध है।

सभापति महोदय : तब मैं उसे न रखूंगा। अगला संशोधन श्री दाभी का संशोधन संख्या ३१५ है।

डा० रामा राव : क्या मैं बता सकता हूं कि यह संशोधन भी सम्मिलित किया जा चुका है ? हम पहले ही विचार कर चुके हैं कि यह शर्त स्वीकार की जाय, निकाल दी जाय अथवा परिवर्तित कर दी जाय।

सभापति महोदय : यह बिल्कुल दूसरी बात है। वह पहले के संशोधनों से वरुद्ध नहीं हो सकता।

श्री राघवाचारी : सभापति महोदय, जानकारी के हेतु एक सूचना की ओर मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। उम्र सम्बन्धी खंड के विषय में ऐसी ही स्थिति में निर्णय हो चुका है और बाद में जब हम संरक्षक की सम्मति से सम्बन्धित संशोधन के लिए आग्रह करना चाहते थे, तो अध्यक्ष महोदय ने यह निर्णय दिया कि सभी संशोधनों पर एक साथ विचार किया गया है और खंड के लिए एक संशोधन स्वीकार किया गया है और इसलिए अन्य सभी संशोधन अवरुद्ध हैं।

सभापति महोदय : यह उन विवाहों के पंजीयन के सम्बन्ध में है जो पहले सम्पन्न हो चुके हैं।

श्री राघवाचारी : मैं आपका ध्यान ऐसी ही परिस्थितियों में दिये गये सभापति के एक पुराने विनिर्णय की ओर दिलाना चाहता हूं। जब इन बातों के सम्बन्ध में उस दिन वाद विवाद हुआ था और एक विशेष संशोधन स्वीकार कर लिया गया था तो अन्य बातें रद्द हो गई थीं।

सभापति महोदय : वह कौन सा संशोधन है ? यह तो बिल्कुल नया विषय है। इसके अनसार खण्ड १५ के अन्तर्गत कुछ विशेष प्रकार के विवाह ही पंजीयन के पात्र समझे जायेंगे। इस विषय पर पहले कोई भी वाद विवाद नहीं हो चुका है।

श्री एस० एस० मोरे : हम श्री एन० सी० चटर्जी का संशोधन अस्वीकार कर चके हैं। इस प्रकार सभा विनिश्चय कर चुकी हे कि इस अधिनियम के पूर्व तथा पश्चात सम्पन्न

होने वाले विवाहों पर किसी प्रकार का प्रतिबन्ध न हो। संशोधन संख्या १९३ अस्वीकार किया जा चुका है जिसका तात्पर्य है कि हमने यह स्वीकार कर लिया है कि ऐसे रूढ़िगत विवाहों पर किसी प्रकार के प्रतिबन्ध न लगाये जायें।

सभापति महोदय : मैं इससे सहमत नहीं हूं। यह बिल्कुल दूसरी ही बात है।

प्रश्न यह है कि :

पृष्ठ ६ में, पंक्ति १३ से १६ के स्थान पर यह रखा जाय—

"the parties are not within the degrees of prohibited relationship :

Provided that in the case of a marriage celebrated before the commencement of this Act, this condition shall be subject to any law, custom or usage having the force of law governing each of them which permits of a marriage between the two. and"

पक्ष निषिद्ध पीढ़ियों के अन्तर्गत नहीं आते हैं :

[परन्तु इस अधिनियम के प्रारंभन के पूर्व सम्पन्न हुए विवाह के विषय में यह शर्त उस विधि, रूढ़ि अथवा विधि का सा प्रभाव रखने वाली प्रथा जो उनमें से प्रत्येक को लागू होती हो और जो उन दोनों में विवाह की अनुमति देती हो, के अधीन होगी, और]

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है कि :

"खण्ड १५, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड १५ संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड १६ विधेयक में जोड़ दिया गया।

(सभापति महोदय द्वारा खण्ड १७ के सम्बन्ध में श्री टकचन्द का संशोधन मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है कि :

"खण्ड १७ विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड १७ विधेयक में जोड़ दिया गया।

(सभापति महोदय द्वारा पंडित ठाकुर दास भार्गव का खण्ड १८ से सम्बन्धित संशोधन संख्या २६८ मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है कि :

पृष्ठ ६ की पंक्ति ४७ के अन्त में निम्नलिखित अंश जोड़ा जाय :—

"Provided that nothing contained in this section shall be construed as conferring upon any such children any rights in or to the property of any person other than their parents in any case where, but for the passing of this Act, such children would have been incapable of possessing or acquiring any such rights by reason of their not being the legitimate children of their parents."

["किन्तु इस धारा का कहीं यह अर्थ नहीं लगाया जायगा कि एसे

[सभापति महोदय]

बच्चों को ऐसे अधिकार दिए जा रहे हैं कि, सिवाय इस अधिनियम के पारण के उन्हें माता-पिता के अलावा अन्य किसी की सम्पत्ति में या उसके सम्बन्ध में वे अधिकार मिल जायेंगे जो उन्हें अनौरस संतान होने के कारण नहीं मिल सकते।"]

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(सभापति महोदय द्वारा पंडित ठाकुर दास भार्गव का खण्ड १८ सम्बन्धी संशोधन संख्या २६९ मतदान के लिये रखा गया था तथा अस्वीकृत हुआ।)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है कि :

"खंड १८ सशोधित रूप में विधेयक काअंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खड १८ संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया।

(सभापति महोदय द्वारा पंडित ठाकुर दास भार्गव का खण्ड १८ में, खण्ड १८क, १८ ख तथा १८ ग जोड़ने वाला, संशोधन संख्या २७० मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।)

सभापति महोदय : खण्ड १९ के सम्बन्ध में श्रीमती रेणु चक्रवर्ती तथा श्री बोगावत के दो संशोधनों के अतिरिक्त अन्य सभी संशोधन सभा की अनुमति से वापस ले लिये गये।

संशोधन सभा की अनुमति से वापस लिये गये।

(सभापति महोदय द्वारा श्रीमती रेणु चक्रवर्ती तथा श्री बोगावत के संशोधन मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए।)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है कि :

"खण्ड १९ विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड १९ विधयक में जोड़ दिया गया।

सभा की अनुमति से श्री टेकचन्द का संशोधन संख्या ३७८ वापिस ले लिया गया।

(खंड २० सभापति महोदय द्वारा मतदान के लिये रखा गया तथा स्वीकृत हुआ।)

खण्ड २० भी विधेयक में जोड़ दिया गया।

सभापति महोदय : अब मैं खण्ड २१ के संशोधन सभा के सामने मतदान के लिये रखूंगा।

(श्रीमती जयश्री, श्री टेकचन्द तथा श्री बोगावत ने अपने अपने संशोधन सभा की अनुमति से वापस ले लिये।

सभापति महोदय द्वारा पंडित ठाकुर दास भार्गव का संशोधन संख्या २७४ मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है कि :

पृष्ठ ७ की पंक्ति १९ के अन्त में निम्न-लिखित अंश जोड़ा जाय :

"and for the purposes of this section that Act shall have effect as if chapter 3 of Part V (Special Rules for Parsi intestates) has been omitted thereform".

["और इस धारा के उद्देश्यों के लिये वह अधिनियम इस प्रकार लागू होगा मानों भाग ५ का अध्याय ३ (पारसी वसीयतहीनों के लिये विशेष नियम) वहां से निकाल दिया गया हो।"]

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है कि :

"खण्ड २१, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड २१ संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया।

सभापति महोदय : अब हम २२ से २६ तक के खण्डों पर विचार करेंगे।

श्री एस० वी० रामस्वामी (सैलम) : और खण्ड १ ?

सभापति महोदय : खण्ड १ के सम्बन्ध में केवल दो संशोधन हैं उनको मैं सभा के मतदान के लिये रख रहा हूं।

(सभापति महोदय द्वारा खण्ड १ के दोनों संशोधन संख्या ३३६ तथा २२१ मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए।)

श्रीमती जयश्री : खण्ड १ के सम्बन्ध में मेरा भी एक संशोधन है।

सभापति महोदय : क्या वह प्रस्तुत किया जा चुका है ? खण्ड १ के सम्बन्ध में वाद विवाद अभी समाप्त नहीं किया जा रहा है। खण्ड १ अन्त में लिया जायगा।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : क्या इसका अर्थ है कि हम खण्ड १ के सम्बन्ध में नये संशोधन प्रस्तुत कर सकते हैं ?

सभापति महोदय : हां।

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

खण्ड २२—(दाम्पत्य अधिकारों का प्रतिस्थापन)

खण्ड २३—(न्यायिक पृथक्करण)

खण्ड २४—(अमान्य विवाह)

खण्ड २५—(अमान्य घोषित किये जा जा सकने वाले विवाह)

खण्ड २६—(अमान्य तथा अमान्य घोषित घोषित किये जा सकने वाले विवाहों के बच्चों की औरसता)

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा संख्या २२ से २४ तक के खण्डों पर विचार करेगी। माननीय सदस्य कृपा कर के ऐसे संशोधनों को भेज दें जो वे रखना चाहते हैं।

आचार्य कृपालानी : खंड २२ दाम्पत्य अधिकारों के प्रतिस्थापन के सम्बन्ध में है। यह खंड विवाह को केवलमात्र शारीरिक सम्बन्ध तक ही सीमित रखना चाहता है। विवाह एक आत्मिक सम्बन्ध भी है। इसके अतिरिक्त जैसे जैसे समय बीतता जाता है शारीरिक सम्बन्ध आत्मिक सम्बन्ध में परिवर्तित हो जाता है।

मेरा विचार है कि आजकल के व्यक्तियों की अपेक्षा हमारे पूर्वज अधिक वैज्ञानिक थे। ५० वर्ष की अवस्था होने पर वे वानप्रस्थ ले लेते थे किन्तु आज यदि कोई स्त्री अथवा पुरुष इस पारिवारिक जीवन से मुक्ति पाना चाहता है तो कोई भी पक्ष इस अधिनियम के उपबन्धों का आश्रय लेकर दाम्पत्य अधिकारों का प्रतिस्थापन करा सकता है। क्या इसी विधान को आप वैज्ञानिक एवं नवीनतम समझते हैं ?

मेरे विचार से तो दाम्पत्य अधिकारों के प्रतिस्थापन सम्बन्धी यह खंड शारीरिक एवं नैतिक रूप से अवांछनीय है। स्त्री की अनिच्छा के होते हुए भी यदि कोई व्यक्ति पारिवारिक जीवन बिताना चाहता है तो मेरे विचार से वह जारता का अपराध करता है। दाम्पत्य अधिकारों के प्रतिस्थापन वाला यह खंड बहुत ही असंगत है।

अधिकांशतः अब यह प्रवृत्ति हो गई है कि विवाहों को केवल शारीरिक दृष्टिकोणों से ही नहीं देखा जाता। मैं यह मानता हूं कि जैसे जैसे व्यक्ति उम्र में बढ़ते जाते हैं शारीरिक महत्व कम होता जाता है और केवल नैतिक तथा आत्मिक सम्बन्ध रह जाता है। अतः यदि आप वैज्ञानिक होने जा रहे हैं

[आचार्य कृपालानी]

तो हमारे पूर्वजों की अपेक्षा कम वैज्ञानिक न बनिये जिन्होंने कि इन अधिकारों को ठीक नर्वी माना था ।

यह उपबन्ध पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों को अधिक हानि पहुंचायेगा । दाम्पत्य अधिकारों के प्रतिस्थापन पर दृढ़ रहने की अपेक्षा यही काफी है कि स्त्री और पुरुष साथ साथ रहें । दाम्पत्य अधिकारों के प्रतिस्थापन का भार तो दोनों पर साथ साथ रहना चाहिये। सन्तान होने के बाद तो इन अधिकारों के बारे में आग्रह करना बहुत ही अमानुषिक होगा । मेरे विचार से तो यह उपबन्ध बर्बर, असभ्य, अस्वास्थ्कर तथा अनैतिक है । अतः विधेयक में इसको स्थान नहीं मिलना चाहिए । यदि इसके बनाने बाले इन पर आग्रह करते हैं तो वे कहें कि हम नये समय के व्यक्ति नहीं हैं । वे कहें कि हम पुराने व्यक्तियों की अपेक्षा अधिक दकियानूसी हैं ।

श्री पाटस्कर: मेरा विचार है कि सामान्य विधि के अन्तर्गत दाम्पत्य अधिकारों के प्रतिस्थापन के सम्बन्ध में विवाद प्रस्तुत किया जा सकता है । यहां तक कि ऐसे उपबन्ध की अनुपस्थिति में भी वाद प्रस्तुत हुए हैं और आज्ञप्तियां निकाली गई हैं । अतः मेरी समझ में यह नहीं आता कि इस प्रकार के विधेयक में ऐसे साधारण विधि सम्बन्धी अधिकार के परिपालन कराने का उपबन्ध क्यों रखा है जो कि सब के लिये लागू हो सकता है । यदि यह उपबन्ध न भी होता तो भी दाम्पत्य अधिकारों के प्रतिस्थापन के सम्बन्ध में न्यायालय में विवाद प्रस्तुत करना सम्भव हो सकता है । खंड २२ के इस उपबन्ध की अनुपस्थिति में खंड २७ के उपखंड (अ) के अनुसार दाम्पत्य अधिकारों के प्रतिस्थापन के लिये एक पक्ष दावा दायर कर सकता है । फिर भला इस खंड की क्या आवश्यकता है ?

उपाध्यक्ष महोदय: यह सामान्य विधि भी दिया हुआ है । यह उपबन्ध तो केवल उसकी पूर्ति के लिये है ।

श्री पाटस्कर: जहां तक सामन्य विधि के अधिकार की बात है जब तक हमें उसके क्रियान्वित करने की विधि में कोई परिवर्तन न करना हो तब तक नया विधान बना कर आप कोई विशेष उपबन्ध नहीं बनाते । किन्तु नये विधान में सामान्य विधि द्वारा प्रदत्त अधिकार की पुनरावृत्ति करना अनावश्यक है । अतः यह व्यर्थ में ही अधिनियम में भार के रूप में है और समय समय पर विभिन्न रूप में इसका निर्वचन हो सकता है ।

मैं इसलिये भी इसका विरोध करता हूं कि यह कुछ पुरुषों को यह अधिकार देता है कि वे अपनी पत्नियों से सम्बन्ध विच्छेद कर लें । अतः यह खंड २२ अनावश्यक एवं असंगत है ।

श्री झुनझुनवाला (भागलपुर मध्य): उपाध्यक्ष महोदय, आचार्य कृपलानी जी ने कहा है कि यह जो सेक्शन २२ यहां पर रक्खा गया है उस के लिये कहा जाता है कि यह एसा पीस आफ लेजिस्लेशन है जो कि बड़ा प्रोग्रेसिव मेजर है । भले ही इस को प्रोग्रेसिव मेजर कहा जाता हो, लेकिन मेरी समझ में यह बड़ा बारबेरिक सेक्शन है । इस से आप किसी भी सभ्य आदमी को या सभ्य स्त्री को ऐसे काम के लिये मजबूर करते हैं जिस के लिये उस की इच्छा नहीं है ।

एक माननीय सदस्य : किस काम के लिये ?

श्री झुनझुनवाला : रेस्टोरेशन आफ कन्जुगल राइट्स । इस के लिये आप किस

तरह से कम्पेल कर सकते हैं ? आज आप ने यह प्राविजन कर दिया कि डाइवोर्स (विवाह विच्छेद) करने का अधिकार है । आप ने कह दिया कि इतने दिन तक वह अलग रहे तो वह डाइवोर्स कर सकती है । जब आप ने यह अख्त्यार दे दिया है तो इस तरह की चीज़ कोर्ट में ले जा कर असभ्यता दिखलाना होगा । जो भी चीज़ें फोरन कन्ट्रीज़ में हैं उन सब चीज़ों को हम यह समझ लें कि वह प्रोग्रसिव हैं, वह सिविलाइज्ड हैं, वह सभ्य हैं, जो भी व काम करें, वे कसे ही हों, अच्छे हों या बुरे, वे हमारे लिये आदर्श चीज़ हैं और जो हम यहां पर ऐक्ट बनावें उन सब में बाहर की चीज़ों को चाहे वह अच्छी हों या बुरी हों, उन को हम मान लें कि वह आदर्श चीज़ें हैं हमारे लिये, और ऐसा मान कर हम उन को ज़रूर रक्खें, यदि हम ऐसा नहीं करेंगे तो बाहर जा कर कैसे मुंह दिखलायेंगे सोचें, यह मेरी समझ में नहीं आता । बाहर वाले कहें कि तुम्हारा देश बड़ा असभ्य है, यह सेक्शन तो तुम्हारे यहां है ही नहीं, किसी को तुम ने यह अधिकार नहीं दिया कि वह कन्जुगल राइट रेस्टोर कर सके, इस लिये तुम लोग बड़े असभ्य हो, बड़े अनसिविलाइज्ड हो, यह सब बातें हमारे मन में आती हैं । लेकिन इन सब बातों का मन में आना यह तो हमारी कमज़ोरी है । हमारे आचार्य कृपालानी जी ने अभी आप लोगों को समझाया कि यदि यहां पर इस प्रकार के प्राविज़न होते तो भगवान बुद्ध के लिये घर से बाहर जाना बड़ा मुश्किल होता । हमारे पूज्य बापू महात्मा गांधी के लिये जो व्रत उन्होंने लिया देश की सेवा करने का, उस का लेना बड़ा मश्किल हो जाता । अतएव में ला मिनिस्टर साहब से प्रार्थना करूंगा.....

सरदार हुक्म सिंह (कपूरथला-भटिंडा): आप भी तो ऐसा व्रत नहीं लेना चाहते ?

श्री झुनझुनवाला: हमारे हुक्म सिंह जी पूछते हैं कि आप तो व्रत नहीं लेना चाहते । हो सकता है इस प्रोवीजन को उठा देने पर भी हुक्म सिंह जी व्रत लेंगे अभी उनको डर लगता है ।

बाबू राम नारायण सिंह: लेने नहीं पायेंगे :

श्री टी० एन० सिंह (ज़िला बनारस—पूर्व): कामन ला को बदल दीजिये ।

श्री झुनझुनवाला: तो मैं आप से यह प्रार्थना करना चाहता हूं कि जो भी चीज़ बाहर की है उस को आदर्श मान कर ही इस में न रक्खें । उस में अच्छापन है या बुरापन है इस के ऊपर भी आप ख्याल करें ।

अतएव मैं ला मिनिस्टर साहब से प्रार्थना करूंगा कि वह इस सेक्शन को यहां से निकाल दें ।

श्रीमती सुषमा सेन: प्रवर समिति में भी मैंने इस खंड का विरोध किया था । मेरा विचार है कि इससे स्त्रियों को और विशेषतः अशिक्षित स्त्रियों को जो इसकी जटिलताओं को नहीं समझतीं, बहुत कठिनाई होगी । अतः इस खंड को निकाल देना चाहिये ।

श्रीमती जयश्री: हम सभी जानते हैं कि एक परिष्कृत समाज के लिये यह विधान असंगत है । राष्ट्रीय योजना समाज की महिला समिति ने भी इसका विरोध किया है ।

चूंकि समय हो गया है अतः मैं अपना भाषण कल दूंगी ।

इसके पश्चात सभा बुधवार, १५ सितम्बर १९५४ के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई ।

GIPD—HS—385 LSD—20-1-55—000